महानगर नई दिल्ली मंगलवार 18 जून, 2019, रु. 5.00 (12 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

17वीं लोकसभा का पहला सत्र, प्रधानमंत्री ने दिया नया मंत्र

न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा, 'जब हम संसद आते हैं तो हमें पक्ष और विपक्ष भूल जाना चाहिए। हमें निष्पक्ष भावना के साथ मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए।'

विपक्ष को लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त बताते हुए कहा कि उन्हें अपनी संख्या को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और उनका हर शब्द सरकार के लिए मूल्यवान है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि विपक्ष सक्रियता से बोलेगा और सदन की कार्यवाही में भागीदारी करेगा। उन्होंने सांसदों से कहा कि वे लोग सकारात्मक विचारों के साथ जनता की आवाज उठाने का काम करते रहें।

संसद भवन परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा, 'नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। अनेक नए साथियों के परिचय का यह अवसर है। नए साथी जब जुड़ते हैं तो नया उमंग, नया उत्साह, नए सपने भी जुड़ते हैं। भारत के लोकतंत्र की विशेषता और ताकत का अनुभव हम हर चुनाव में करते हैं। इस बार खास यह रहा कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधियों को चुना गया और सबसे अधिक मतदान हुआ। कई दशक के बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को संसद सत्र के पहले दिन मीडिया से बातचीत करते हुए।

विपक्ष को महत्त्वपूर्ण बताते हुए मोदी ने कहा, संख्या की चिंता न करें, आपका हर शब्द मूल्यवान
सांसदों से कहा, सकारात्मक रुख के साथ जनता की आवाज उठाते रहें

प्रधानमंत्री, मंत्रियों सहित नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

सत्रहवीं लोकसभा के पहले सत्र में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित नवनिर्वाचित सदस्यों ने निचले सदन की सदस्यता की शपथ ली। केरल के वायनाड से निर्वाचित हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने भी लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली।

राहुल, सोनिया समेत विपक्ष के नेताओं ने भी शपथ ली

सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने परंपरा के अनुसार 17वीं लोकसभा की पहली बैठक के 'पुनीत अवसर' पर कुछ मिनट का मौन रखा। नए सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। सदन की बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरेंद्र कुमार को राष्ट्रपति भवन में कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष बाकी पेज 8 पर

'ग्रामीण सेवा' चालक से मारपीट

तीन पुलिसकर्मी निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

मुखर्जी नगर थाने से चंद कदमों की दूरी पर रविवार को 'ग्रामीण सेवा' चालक और पुलिसकर्मियों में हुई मारपीट में दो पुलिस अधिकारियों व एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बाकी पेज 8 पर

चालक से मिलने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। *फोटो : आरुष चोपड़ा*

बचाव में किया हमला

'ग्रामीण सेवा' चालक सरबजीत सिंह का कहना है कि उसने अपने बचाव में किरपान निकाल ली। एक पुलिसकर्मी ने उसे दबोचा तो उसने आपा खो दिया और हमला कर दिया।

चालक और उसका बेटा भी शक के घेरे में

वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि सरबजीत का बेटा पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं।

पेज 3 चालक के बेटे को भी बनाया आरोपी
पिटाई पर गरमाई दिल्ली की सियासत

अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मेजर शहीद

सेना के कैप्टन व दो जवान घायल, दो आतंकी मार गिराए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के अचबल में सुरक्षा बलों व आतंकवादियों के बीच सोमवार को हुई मुठभेड़ में सेना के मेजर केतन शर्मा शहीद हो गए और एक कैप्टन व दो जवान घायल हो गए। घायलों को श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आतंकियों के साथियों की तलाश में सुरक्षाबलों का अभियान जारी है।

शहीद मेजर केतन शर्मा

सुरक्षाबलों ने आतंकियों के एक समूह को बिदूरा गांव के पास घेरा था। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, सोमवार सुबह अनंतनाग के अचबल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ व एसओजी के संयुक्त दल ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकी हमले में शहीद और घायल जवान सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े हुए हैं।

सेना प्रवक्ता के मुताबिक, मुठभेड़ में मेजर व कैप्टन समेत चार सैन्य कर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। मारे गए दोनों आतंकियों के शव सुरक्षाबलों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। दोनों आतंकी स्थानीय हैं। अनंतनाग के एसएसपी अनंतनाग अल्ताफ खान ने दो आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि इनमें से एक की पहचान मोहम्मद असलम डार निवासी रेडवानी कुलगाम के रूप में हुई है। जबकि दूसरे की भी पहचान की जा रही है।

दरअसल, हाल में मुठभेड़ में अंसार गजावत उल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद आतंकियों ने हमले तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस आशय का इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजंसियों ने गश्त बढ़ा दी है। शुक्रवार को पुलवामा के अवंतीपोरा के ब्राव बंदिना इलाके में मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया गया था।

सेना के जवानों ने मुठभेड़ स्थल की घेराबंदी की।

पाक का संघर्षविराम उल्लंघन

पाकिस्तानी सेना ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भारी गोलाबारी की। इसमें एक जवान और तीन स्थानीय लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के तमाम रिहाइशी इलाकों में भारी गोलाबारी की गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया।

सेना के काफिले पर हमला, नौ जवान घायल

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों ने सोमवार को ही सेना के एक काफिले को निशाना बनाते हुए आईईडी से हमला किया। इस हमले में नौ जवान घायल हुए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर के इस जिले में अरिहाल-लस्सीपोरा सड़क पर आतंकवादियों ने ईदगाह अरिहाल के पास 44 राष्ट्रीय रायफल्स की एक गाड़ी और बुलेट व बारूदी सुरंग प्रूफ वाहन को निशाना बनाया। इस घटना के बाद सेना ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान चलाया। यह जगह, 14 फरवरी को हुए हमले वाली जगह से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। आज के हमले के बाद जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में भी सीआरपीएफ के काफिले को कार बम से उड़ाने की साजिश रची गई थी, हालांकि आतंकी सफल नही हो सके।

ममता ने मांगें मानीं, हड़ताल खत्म

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा किए जाने के बाद राज्य में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने सप्ताह भर से चली आ रही अपनी हड़ताल को वापस ले लिया। डॉक्टरों के एक प्रतिनिधि ने कहा, 'हम बैठक से संतुष्ट हैं।'

राज्य सचिवालय नवान्न के पास स्थित एक सभागार में हुई बैठक का सीधा प्रसारण किया गया। हड़ताली डॉक्टरों ने बैठक के लिए यह शर्त रखी थी। हड़ताली डॉक्टरों की मांग पर मुख्यमंत्री ने मीडिया बाकी पेज 8 पर

जेपी नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, शाह बने रहेंगे अध्यक्ष

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सोमवार को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हालांकि अमित शाह फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया।

संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोर्ड के इस निर्णय की घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह शामिल हुए। नड्डा ने कहा, वे पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर उसकी मजबूती के लिए काम करेंगे। शाह को धन्यवाद देते हुए नड्डा ने कहा कि उनकी अगुआई में पार्टी ने नई ऊंचाइयों को छुआ।

सिंह ने ट्वीट किया, 'भाजपा संसदीय बोर्ड की आज बैठक हुई और नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। वे संगठनात्मक चुनाव होने तक कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे।' नड्डा को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी बाकी पेज 8 पर

सेना के आलोचक पाक ब्लॉगर-पत्रकार की हत्या

इस्लामाबाद, 17 जून (भाषा)।

पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना एवं जासूसी एजंसी आइएसआइ की आलोचना करने के लिए जाने जाने वाले 22 वर्षीय पाकिस्तानी ब्लॉगर एवं पत्रकार की यहां अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी।

'डॉन' समाचार पत्र ने पुलिस के हवाले से बताया कि मोहम्मद बिलाल खान अपने के मित्र के साथ थे, तभी उन्हें एक फोन आया जिसके बाद एक व्यक्ति रविवार रात को उन्हें निकटवर्ती जंगल लेकर गया। खान के ट्विटर पर 16000, यू-ट्यूब पर 48000 और फेसबुक पर 22000 फॉलोवर्स हैं। पुलिस अधीक्षक सद्दार मलिक नईम ने बताया कि संदिग्ध ने हत्या के लिए छुरे का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने बंदूक चलने की भी आवाज सुनी। खान का मित्र गंभीर रूप से घायल हो गया।

बिलाल खान

ब्लॉगर एवं पत्रकार खान की हत्या के बाद हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। कई ट्विटर यूजर्स ने कहा कि पाकिस्तानी सेना और आइएसआइ के आलोचक होने के कारण उनकी हत्या की गई। एक व्यक्ति ने ट्वीट किया, 'पाकिस्तानी पत्रकार मोहम्मद बिलाल खान बाकी पेज 8 पर

भारतवंशी परिवार के चार लोग मृत, मिले गोलियों के निशान

वॉशिंगटन, 17 जून (भाषा)।

अमेरिका के आयोवा राज्य में एक भारतीय अमेरिकी आइटी पेशेवर, उनकी पत्नी और उनके दो नाबालिग बच्चे अपने घर में मृत मिले। उनके शवों पर गोली के निशान पाए गए हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

वेस्ट डेस मोइनेस पुलिस ने बताया कि संभवतया आंध्र प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर सुंकारा (44), लावन्या सुंकारा (41) और उनके 15 वर्षीय तथा 10 वर्षीय बेटे शनिवार सुबह अपने घर में मृत पाए गए। पुलिस विभाग के अधिकारी शनिवार सुबह दस बजे घटनास्थल पहुंचे और 65वीं स्ट्रीट के 900 ब्लॉक में इन शवों को पाया।

चंद्रशेखर सुंकारा

लावन्या सुंकारा

दोनों बेटे

'एनबीसी न्यूज' ने वेस्ट डेस मोइनेस पुलिस के हवाले से बाकी पेज 8 पर

भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध की आशंका में लुढ़का शेयर बाजार

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध की आशंका में सोमवार को शेयर बाजार लुढ़क गया। कारोबारी सत्र के पहले दिन शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ।

अमेरिका द्वारा भारत को जीएसपी का दर्जा खत्म किए जाने और उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तहत भारत सरकार द्वारा अमेरिका के 28 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला लागू करने से कारोबार युद्ध की आशंका बाजार पर हावी रही। इसके अलावा, पश्चिम एशिया में ताजा भू-राजनीतिक तनाव और मानसून की प्रगति को लेकर चिंता से भी निवेशकों के मनोबल पर असर पड़ा है। वैश्विक निवेशकों ने सोमवार को जबरदस्त निकासी की।

इस्पात और एल्युमीनियम जैसे भारतीय उत्पादों पर अमेरिका के आयात शुल्क बढ़ाने के बाद भारत ने बादाम, दाल और अखरोट समेत 28 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाया है। इससे व्यापार युद्ध बढ़ने की आशंका है। मोतीलाल ओसवाल सिक्यॉरिटीज के रिटेल रिसर्च के प्रमुख सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का कदम बाकी पेज 8 पर

दरअसल

स्टॉकहोम स्थित संस्था सिपरी ने कहा | **रिपोर्ट** | दुनिया में 'कम लेकिन नए' परमाणु हथियार हैं

भारत, चीन, पाकिस्तान बढ़ा रहे परमाणु हथियारों का जखीरा

स्टॉकहोम, 17 जून (एजंसी)।

दुनिया में पिछले वर्ष परमाणु हथियारों की संख्या में कमी आई है लेकिन देश अब अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि परमाणु हथियारों से संपन्न देश इन हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और चीन, भारत तथा पाकिस्तान अपने हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं।

स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) के अनुमान के मुताबिक 2019 की शुरुआत में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास करीब 13 हजार 865 परमाणु हथियार थे। यह संख्या 2018 के शुरुआत की तुलना में 600 कम है। 2018 में परमाणु हथियारों की संख्या 14,465 थी। 13,865 परमाणु हथियारों में से 3,750 की बाकी पेज 8 पर

किसके पास कितने परमाणु हथियार *(सिपरी ईयरबुक 2019)*

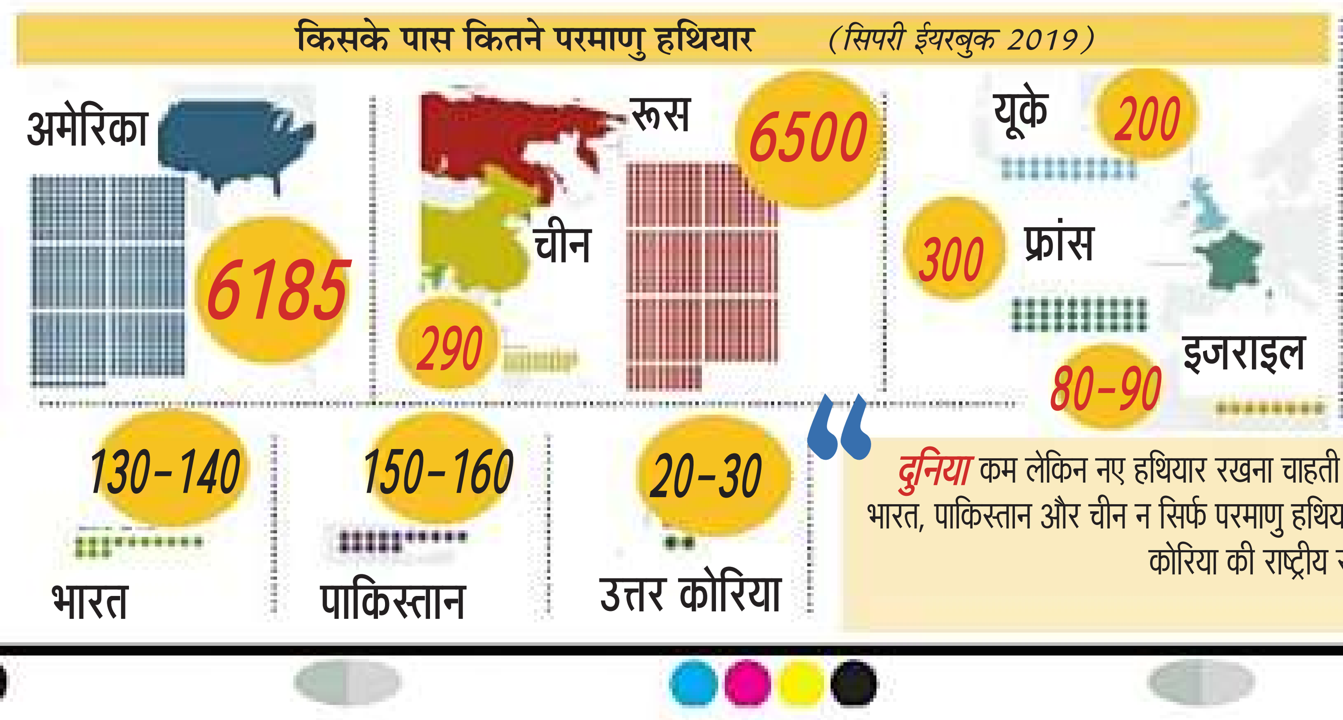

जनवरी 2019 परमाणु हथियार

देश	तैनात हथियार	अन्य हथियार	कुल
अमेरिका	1750	4435	6185
रूस	1600	4900	6500
यूके	120	80	200
फ्रांस	280	20	300
चीन		290	290
भारत		130-140	130-140

"**दुनिया** कम लेकिन नए हथियार रखना चाहती है। अन्य देशों के पास कम परमाणु हथियार हैं और आकार में भी ये छोटे हैं। लेकिन भारत, पाकिस्तान और चीन न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं बल्कि इनका आकार भी अगले दशक तक बढ़ा लेंगे। उत्तर कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में सैन्य परमाणु कार्यक्रम केंद्रीय तत्व है।"
-शैनन काइल, निदेशक, सिपरी परमाणु हथियार नियंत्रण कार्यक्रम

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Pinki W/O Ashok Alawadhi R/O-27, Vikas Sheel-Apartment, Sec-13, Rohini, Delhi-110085. Changed My Name To Pinky Alawadhi. 0040499583-4

I, Parth Abrol S/o Sanjeev Abrol R/o SF, N-73, Kirti Nagar, Delhi-110015, have changed my name to PAARTH ABROL. 0040499621-1

I, No.14682542F Hav Manju Pujar,serving at-7033 EME BN, inform that in my service records my Wife's name is wrongly mentioned as LAXMI PUJAR. Her correct name is LAXMI MANJU PUJAR which may be amended accordingly. 0040499547-1

I, Neha R/o RZG-79, Second Floor, Nihal Vihar, Nangloi, West Delhi, Delhi-110041 have changed my name to Neha Arora. 0070660703-1

I, Mr.Sunil Kumar S/o Shri Phool Chand R/o-House.No.30-31, Block-BG,Madangir,Dr. Amabedkar Nagar,Sec-IV,New Delhi-110062,have changed my name from Sunil to Sunil Kumar. 0040499580-2

I, Mohd Nasim S/o Mohd Yasin R/o 1211 Rakab Ganj behind Delite Cinema, Delhi-110002, have changed my name to Mohammad Naseem Qureshi for all purposes. 0040499527-1

I, Mohammad Khalid Hussain S/o Haseenuddin R/o 5413, 3rd Floor, Sadar Nala Road, Sadar Bazar Delhi-110006 Have Changed My Name To Khalid Hussain. 0070660701-1

I, Mohammad Amarul Ansari S/O-Mohammad Taslimuddin Ansari R/O-1901, New-Jai Bharat-Apartment.plot.no.5, sector 4, Dwarka, N.Delhi-110078.Changed my Name TO Mohammad Amrul Ansari. 0040499583-8

I, Md Mohd Asif S/O, Muhammad Aftab R/o 536/879, Madey Ganj Sitapur Road, Khadra, Near Ram Naresh Wali Gali, Nirala Nagar, Lucknow, have changed my name to Muhammad Asif Lucius Khan for all purposes. 0040499571-2

I, Mansi W/O, Ankur Shahi R/o D-86, D Block, Sector-50, Noida, Pin Code-201301, have changed my name to Mansi Makkar for all purposes. 0040499573-1

I, Mahima Bisht D/o Sh. Rajendra Singh R/o A-2, 2nd Floor, Plot No-424, Sector-4, Vaishli, Ghaziabad U.P. do hereby solemnly inform that my father name is wrongly written as Rajinder Singh instead of Rajendra Singh in my passport and both are one and same person. 0040499550-1

I, Madhu Devi W/o Late Sh. Suraj Lal R/o H.no. 24/285, Trilok Puri, Delhi-91, near Water tank. have changed my name from Madhu Devi to Shiv Devi for all future purposes. 0040499531-1

I, Tejinder Sethi S/O Jagdish Sethi R/O 1853, Sohan-Ganj Subji Mandi Delhi-110007.Have Changed My Name To Tejinder Singh Sethi. 0040499575-2

I, Tejinder Sethi S/O Jagdish Sethi R/O 1853, Sohan-Ganj Subji Mandi Delhi-110007.Have Changed My Name To Tejinder Singh Sethi. 0040499575-2

I, Veena W/o Manjeet Kumar Gambhir R/o 189/A Old Gupta Colony Delhi-110009, have changed my name to Veena Gambhir. 0040499656-5

I, Vishal S/O Sham Lal R/O-D-30 New Police-Line Kingsway Camp Delhi-110009.Have Changed My Name To Vishal Kanojia. 0040499575-1

I hitherto known as Namrata Barman W/o Simran Grewal D/o Narayan Barman R/0656, Phase-3, JJ Colony, Near Mother Dairy, Madan Pur Khaddar, Sarita Vihar, New Delhi-110076, have changed my name and shall hereafter be known as Namrata Grewal. 0070660640-1

I, Sushil Jindal W/o Sanjiv Kumar R/o A-1012, Block-A, Parl-1 Palam Extn Delhi-110075 Have ChangedMy Name to Sanjna Goyal. 0070660691-1

I Satish Kumar Rathore S/o Narinder Kumar R/o Flat no-D-1902, Tower-D, 19th Floor RG Residency,Sector-120 Noida-201301 Have Changed My Minor Daughter's Name From Sanha to Sanha Rathore. 0070660697-1

I, Kanwal Singh S/o.Sh.Sukhpal Singh R/o. Village and Post Office Basi Tehsil and District Gurugram-122006, have change my minor son's name from Mayank to Mayank Kataria for all future purposes. 0040499543-1

I, Vasudha Dhamija W/o Atin Kumar R/o G-902, Prateek Wisteria Sector-77, Noida(U.P.) have changed my name from Vasudha Arya to Vasudha Dhamija for all future purposes. 0040499582-1

I, Vanshika Goel/Vasudha D/O Vishal Malhotra R/O B-28 Soochana Apartments Vasundhara Enclave Delhi-110096 Have Changed My Name To Vanshika Malhotra For All Future Purposes (This is the last time I will be changing my name) 0040499580-4

I, Robin S/o Lt. Dinesh Tyagi R/o 1/10101/H ,Gali.No 3K West Gorakh Park Shahdara,Delhi-32 inform that Robin and Robin Tyagi are both names are mine and same person and shall be known as Robin Tyagi for all future purpose. 0040499580-6

I, Naresh Singh Rawat S/O Inder Singh Rawat R/O B-137 Subhash Park Extn Uttam Nagar New Delhi-110059 Have Changed My Minor Daughter's Name Sinya Rawat To Sanvi Rawat For All Future Purposes. 0040499580-5

I, Monika Rani D/O Hardesh Kumar W/O Deepak Mehra R/o 1/6770 East Rohtash Nagar Shahdara Delhi-32 have changed to Mahimaa Mehra for all purpose. 0040499582-2

I,Manasvi D/o,Vijay Kumar R/o-Moti Lal Nehru School of sports, Rai Sonipat, have changed my name to Manasvi Chahar for all purposes. 0040499634-3

I, Vijay Kumar S/O Devraj Popli R/O Z-406,Siddharth Apartment, Pitampura, Delhi-110034. Have Changed My Name To Vijay Kumar Popli. 0040499583-2

I, Swaroop Singh Gambhir S/o S. Jang Singh Gambhir R/o 4/7, W.E.A. Karol Bagh New Delhi-110005 have changed my son's name from Sehej Gambhir to Sehej Singh Gambhir for all purposes. 0040499569-1

I, Suraj Prakash S/o Shri Bihari Lal Jha R/o G-603, Park View City-2, Sector-49, Gurugram-122018, have changed my minor son's name from Pranav Rakshit to Pranav Rakshit Jha for all purposes. 0050152227-1

I, Subhashis Halder S/o Kunja Behari Halder R/o Flat no-266 epdp Cghs Ltd Plot no-19 Sector-4 Dwarka Delhi-110078 Have Changed My Name to Subhashish Haldar. 0070660699-1

I, Shri Kishan Yadav S/o Chhotu Ram R/o D-1504 Bestech Parkview Ananda sector 81 Gurgaon Haryana solemnly declare that Shri Kishan Yadav and Shri Krishan Yadav both are same and one person only vide affidavit dated 17 June 2019 at Gurgaon 0050150233-1

I, Shiwani D/o Devendra Kumar Verma,R/o-820, Sector-3,Vasundhara, Ghaziabad,(U.P) 201012,have changed my name to Sakshi Verma,for all purposes and my Correct Date-of-Birth is-07.02.1998. 0040499575-5

I, Shivani Vij W/O, Atin Agarwal R/o 120/39, Beldari Lane, Lalbagh, Lucknow 226001, have changed my name to Shivani Agarwal for all purposes. 0040499577-2

I, Pooja W/o Satish Kumar Rathore R/o Flat no-D-1902, Tower-D, 19th Floor RG Residency, Sector-120 Noida-201301 Have Changed My Name to Pooja Rathore. 0070660693-1

I, RAJESH KUMAR SHARMA S/o ANSUYA PRASAD SHARMA R/o T-17-101, Sunshine County, Sector-63, Kundli, Badh Khalsa, P.S. Rai, Sonipat, Haryana-131029, was earlier known as Rajesh Sharma is now know as RAJESH KUMAR SHARMA for all purposes. 0040499597-1

I, Rajeev Nagpal S/o K.L.Nagpal R/o WZ-1161, RaniBagh, Shakur-Basti, Delhi-110034,have changed my name to Rajiv Nagpal for all purposes. 0040499575-7

I, Rashmi Singh W/o Ravi Kumar R/o F-1/125-126, First Floor, Sector-11, Rohini, Delhi-110085,have changed my name to Reshu Rajput. 0040499575-6

I, Keertana D/o Rajesh Kumar Muruppel Janardhanan Nair R/o-Flat. No.376-B, DDA Flat Gazipur Delhi-96. changed my name to Keertana Nair. 0040499583-6

I, Khush Dyal S/o Thau Ram Hasija R/o-A-79 Shakti Apartment Sector-9 Rohini Delhi-85 changed my name to Khush Dayal Hasija. 0040499656-2

I, Km Rekha Rani,W/O Sanjay Gupta R/O-2686, Gali. No.6, Bihari Colony, Shahdara, Delhi-32, Have Changed My Name To Swati Gupta,For All Purposes. 0040499583-5

I, Sajiya Jasmin W/o Safdar Jamal R/o Flat-304, Tower-A8, Nirala Aspire GH03 Sector-16, Greater Noida West -201306 Have Changed My Name to Shazia Jashmin. 0070660698-1

I, Shivakumar M. Malakannavar R/o Post: Kunchanur, Tq Jamkhandi, Distt.: Bagalkot, Karnataka, have changed my name from Shivakumar Malakannavar to Shivakumar M. Malakannavar for all future purposes. 0040499614-1

I, Shela W/o-Shakir Hussain R/o-A-14, Mange Ram Park, Budh Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110086, have changed my name to Shehla for all purposes. 0040499589-1

I, Sharda Chauhan W/o Vijay Sharma, Plot No.124, 2nd floor, Pocket-2, Jasola Okhla, New Delhi-110025, have changed my name to Dr. Sharda Sharma for all purposes. 0040499540-1

I, Shakeer Hussain S/o-Mohammad Khairati R/o-A-14, Mange Ram Park, Budh Vihar, Phase-1, Rohini, Delhi-110086, have changed my name to Shakir Hussain for all purposes. 0040499584-1

I, Shah Nawaj Alam S/o Shujauddin R/o A-124, Block-A, Chungi no-2 Lal kaun Jaitpur Delhi-110044Have Changed My Name to Shahnawaz. 0070660702-1

I, Seema R/o A-88, Sudarshan Park, Delhi-110015, inform that name of my husband has been wrongly written as Shakkan Lal in LIC policy no. 122640186. The actual name of my husband is Ashok Harjai. 0040499539-1

I, Satyawan S/o Late Sh.Banwari Lal R/o-House.No.278, Sector-47,Gurugram,Haryana,have changed my name to Satyawan Singh Moun for all future purposes. 0040499580-3

I, Satish Kumar S/o Narinder Kumar R/o Flat no-D-1902, Tower-D, 19th Floor RG Residency, Sector-120 Noida-201301 Have Changed My Name to Satish Kumar Rathore. 0070660694-1

I, Sanjay Kumar S/o Balbir Singh Resident Of Village+Post Ama-Madapur, Aligarh, U.P. Change My Name To Sanjay Kumar Singh. 0040499643-3

I, Sahidan Begum W/O-Nisar Ahmad H.No D-624, Street. No-1, Near-Saeediya Masjid, Chauhan-Banger, New-Seelampur, Delhi-110053. Have Changed My Name To Saidan. 0040499656-7

I, Renu Bala W/o Ashok Kumar Hasija R/o-A-79 Shakti Apartment Sector-9 Rohini Delhi-85 changed my name to Renu Hasija. 0040499656-4

I, Taruna Rani W/O Anil Taneja R/O-Wz-132, SriNagar,Shakur-Basti, Delhi-110034.Changed My Name To Taruna Taneja. 0040499583-1

I Shivangi Krishna R/o H.No.354, Sector-3, R.K. Puram Delhi-110022 has changed my name fromShivangi to Shivangi Krishna. 0070660706-1

खोया+पाया

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate and Marksheet of main Secondary Examination of year 2017 and Roll No.8158000 and issued by CBSE has been actually lost. Name of candidate Divas Gupta S/o Sh. Harish Kumar R/o 8/253, Khichri Pur, Delhi-110091 # 9310680181. 0040499537-1

I, Chameli Devi W/o Late Sh. Kanhaiya Lal R/o 8/253, Khichri Pur, Delhi-110091 have lost my original documents of DSIDC Ltd of shed No-21(which of 60) Block-5, Khichri Pur, Delhi-110091. 0040499537-2

I, Arman S/o Moharram Ali R/o-B-484 old seemapuri Delhi-95.have lost my original-certificate class-10th year-2016 Rollno-8632056 c.b.s.e-Delhi. 0040499634-6

I, Harish Kumar S/o Sh. Kanhaiya Lal R/o 8/253, Khichri Pur, Delhi-110091 have lost my original documents of DSIDC Ltd of shed No-9(which of 60) Block-5, Khichri Pur, Delhi-110091. 0040499537-3

I, Kavita Gupta D/o Mahendra Gupta R/o-A-908, Soniya-Vihar Delhi-110090.have lost my Original CBSE 12th-Class Marksheet & Certificate Roll.No.9634871 year-2017. 0040499643-5

I, Khushboo D/o Premnath sharma part-2 st.no-10 Jharorda majra-burari Delhi,have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8679065 c.b.s.e Delhi. 0040499634-7

I Avinash Kumar Singh S/o Shashi Bhushan R/o 3/845 Vastu Khand, Gomti Nagar, Lucknow have lost my Class 10th CBSE Marksheet, Year of passing 2015, Roll Number 5330274. Finder please contact 8299515913 0060067492-2

I, Preeti Rana D/o Yogender Rana, House.no-204, V.P.O.-Khera Kalan, Delhi-110082,have lost my all original documents such as 10th-Class Marksheet, Roll.No-6133005, Year-2003 C.B.S.E., 12th-Class Marksheet, Roll.No-6224823 (2005) CBSE, B.S.C (2006-2009) D.U, B.Ed (2009-2010) I.P, CTET and O.B.C. Certificates. 0040499575-8

I, Soni kashyap D/o Shri Ram R/oh.no-34 Digupura-Dichaon kalan-najafgarh N.D-43.have lost my original-certificate class-10th (2009) Rollno-6410235 class-12th(2011) Rollno-9702407 c.b.s.e-Delhi. 0040499634-8

I, Sukhdev Prasad kanoujia s/o Late Bhola,R/o-P-285, Sector-12 Pratap-Vihar, Ghaziabad,UP.have lost my original property Paper (all documents), Registered Paper of Plot,please contact me-9899165397. 0040499634-4

I,Adesh Kumar Jain,S/o Chetram Jain R/o-K-1/37, IInd-Floor, Model-Town Delhi-110009,has lost my Original-Property document/allotment letter of Plot No.85, Poket-485,Sec-23, Rohini,Delhi-110085 Finder my contact-above address-9250808672. 0040499634-10

It Is Notified For The Information That My Original-Qualifying Examination-Certificate And Marksheet Of Class-10th,Year-2015, Roll No-2192108,Issued By Cbse Has Been Lost.Candidate Chirag Antil, 366/29, Sector-23, Sonipat, Haryana, Founder Contact-8708880749. 0040499634-9

I, Kunika choudhary D/o-Rupesh kumar R/o-H.no-288 st.no-12 Near-Ravidas Mandir village-mandoli Delhi-93, have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8644040 c.b.s.e-Delhi. 0040499634-5

नियुक्तियां

Requirement : Special educatorDRP Convent Sec. school, Shiv Vihar tiraha, Krawal Nagar, Delhi - 110094Salary : Negotiate Contact :8287710710 0040499582-4

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री प्रेम चंद, पुत्र श्री मनोहर लाल एवं श्रीमति संपत्ती देवी, पत्नी - श्री प्रेम चंद, दोनों निवासी- म. नं. 162 व 320, जाटव बस्ती, असोला, फतेपुर बेरी, नई दिल्ली-74, ने अपने द्वितीय पुत्र अश्विनी कुमार और उसकी पत्नी निशा से अपने प्रति उनके बुरे आचरण/व्यवहार के कारण अपना संबंध विच्छेद कर लिया है तथा उन्हें अपनी समस्त चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में उपरोक्त दोनों के द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेवार नहीं होंगे।

हस्ता./-
अमरेन्द्र कुमार (अधिवक्ता)
चै.नं.-302, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली-17

PUBLIC NOTICE

Plot no: C-3/23, DLF Qutub Enclave complex, Gurgoan (Haryana) was registered in the name of Mr. Rajinder Kumar Bhasin s/o Late Shri Munshi Ram Bhasin r/o AE-64, Tagore Garden New Delhi-110027, who expired on 11/04/2013. Vide Relinquishment deed dated 16/06/2014 registered with SR-II, Basaidarapur, New Delhi, vide registration no: 11,952 in Boot No: 1 Vol No 21897 on page no 97 to 100 dated 17/06/2014, in favour of Mr Jatin Bhasin and accordingly in the name of Mr Jatin Bhasin is being noted in DLF's record in respect of the captioned plot. If anybody has any objection to this, he or she may approach M/s DLF Ltd or the undersigned within 21 days of publication of this notice.

Sd/-
Pramod Gupta (Advocate)
Ch. No. T-57, Tehsil Building Compound, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

It is inform to the general public that my client Smt. Shashi Bala W/o Late Sh. Lalit Gupta R/o A-1/220 FIRST FLOOR PASCHIM VIHAR, DELHI-110063 have disowned and disinherited their son Sh. Harish Gupta S/o Late Sh. Lalit Gupta and daughter-in-law Smt. Poonam Gupta W/o Sh. Harish Gupta R/o A-1 /220 FIRST FLOOR PASCHIM VIHAR, DELHI-110063 from their moveable & immoveable properties as they are disobedient and also due to their uncivilized behaviour and attitude towards my client. They shall have no claim of any kind over the property of my client either movable or immovable. whoever will deal with Mr. Harish Gupta and his wife Mrs. Poonam Gupta, will do so at his or her own risk. My client shall not be held responsible for any of their acts, deeds and things of whatsoever nature.

Sd/-
SHIVANGINI BINNY
ADVOCATE
For DE JURE LEGAL SOLUTIONS
Ch. No. 664, W.Wing, Tis Hazari Courts Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My Client Sh. ASHOK S/O SH. SHAM LAL R/O 23, DDA MARKET, NEW SHAM NAGAR, SUBHASH NAGAR MOR, TILAK NAGAR, NEW DELHI-110018, has disowned and debarred his Son MASTER SONU from 14.06.2019 onwards. I hereby disowned and debarre My Son from all my movable & immovable properties, including primarily membership of my family. If anybody dealing with him shall do so at their own risk and costs, and my client have no responsibility or relationship with him from 14.06.2019 onwards.

Sd/-
SATYAINDER NATH SHARMA (Advocate)
Residence: 165, Vikas Kunj, New Delhi- 110018

PUBLIC NOTICE

My client Jai Bhagwan S/o Bharti Singh R/o H. No-255, Street No-11 A, Near Kerosin oil Depot, Saboli Bagh, Delhi, North-East, Delhi-110093, has disowned his son Deepak from all his movable and immovable properties due to his bad behaviour any one dealing with him at his own risk and consequences.

Sd/-
AKHIL REXWAL
ADVOCATE
D/5021/2017

PUBLIC NOTICE

That my client Sh. Mohan Lal, S/o Lt Sh. Sewati Ram and Mrs. Gauri W/o Sh. Mohan Lal, R/o H. No. N- 77 B/528, Sawan Park Extension, Ashok Vihar Phase III, New Delhi - 110052 do hereby solemnly affirm and declare, That their Son Rakesh and his wife Smt Luxmi D/o Sh. Kulbhushan both are out of our control and do not obey them in any way. That is for the information of the General Public to note that whosoever deal with them in any case will do so at his own risk and they shall not be responsible for them in any case. That they shall not be responsible for their acts, deeds & consequences which they shall do with any of the person. That they and their children debar/disown them from their movable and immovable properties henceforth.

Sd/-
MANISH SAHNI (Advocate)
Enrl, No. D/2527/2009

PUBLIC NOTICE

Be it known that my clients Shri. Hansraj Rajput S/o Shri. Jammu Ram Rajput and Smt. Poonam W/o Hansraj Rajput both R/o H.no. RZ-66A Mahindra Park, New Delhi, have disowned and severed all their relations with their son Mr. Varun Kumar and his wife Mrs. Ritu @ Ritu Rani and debarred them from their moveable and immovable properties/ assets and their personal life Anybody dealing with them in any manner shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.

Sd/-
ABHAY RAJ VERMA (ADVOCATE)
Enrol. No. D-366/2011

Classifieds
The Indian EXPRESS
FROM ANYTHING TO EVERYTHING

EXPRESS EDUCATION

BHARTI CONCEPT
MATHS
by S.S. Bharti
SSC-T, T2, Banking, CSAT & PCS
& ALL GOVT. SERVICES
Batch Starts 18 June 2019
At 1:15pm to 2:45pm
Now Bharti Concept is in New Avatar as All classes ONLINE
DOWNLOAD
BHARTI LEARNING APP
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-9
9136335283, 09250291082

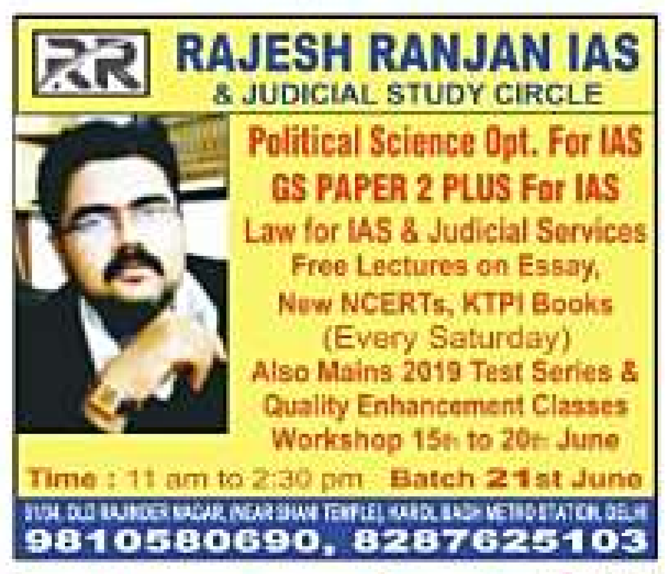

FREE & CONCESSIONAL COACHING/नि:शुल्क व रियायती कोचिंग
SSC, CGL, CPO, BANK-PO/CLERK, RAILWAY
and Other Competitive Exams
Exclusive Initiation by Govt of NCT Delhi Under "Jai Bhim Mukhyamantri Pratibha Vikas Yojana"
SCHEDULED CASTE (SC) Aspirants (अनुसूचित जाति)
Last Date 30.06.2019
301/A-37, 38, 39, Ansal Building, Comm. Comp., MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009
EDUCATIONAL SOCIETY
011-42705373, 9891086435, 9811069629

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Seema Rani W/o Sh. Vinod Kumar R/o WZ-38A/1, J-Block, Beri Wala Bagh, Hari Nagar, New Delhi-110064 declare that name of mine has been wrongly written as Seema Arora in my minor son Saksham Arora, born on 23.11.2001 in CBSE 10th standard educational marksheet/ certificate and in my office record my name is recorded as Seema Rani Arora. The actual name of mine is Seema Rani which may be amended accordingly.
It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

It is to be inform to the general public that my client(s) namely, Sh. Surinder Kumar Saajan S/o Late Sh. Mohan Lal and his wife namely, Smt. Kamlesh Saajan along-with, their middle son namely, Sh. Naresh Kumar Saajan, his wife namely, Smt. Janvi Saajan and their children namely, Ms. Priyanshi Saajan and Master Hitansh Saajan; and their younger son namely, Sh. Kailash Saajan, At present all R/o Flat No. 2-C, Block-11, Pocket-B, Ashok Vihar, Phase-3, New Delhi-110052 has disown and disinherit their elder son namely, Sh. Leelesh Kumar Saajan, his wife namely, Smt. Kashish Saajan and their daughter namely, Ms. Myash Saajan, at present resident of above-mentioned address, out of their movable and immovable properties and severe all their relations from them due to their unsocial, inhuman & cruel-some behaviour and neither my client nor any of his above-mentioned legal heirs will be responsible for any of their act(s) or deed(s) in future. Anyone dealing with them, will do the same at his or her own risks.

Sd/-
R.D. SAWHNEY & ASSOCIATES (ADVOCATES)
Ch. No. 131, W. Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Anita W/o Late Sh. Kamal Singh R/o A-425, New Seemapuri, Delhi-110095 has debarred and disowned her son Deepak & daughter-In-law Jyoti alongwith their family from her all movable-immovable properties due to their disobedient and misconduct with me and my family. In future my client shall not be responsible by their any acts, deed or conduct.

Dilawar Singh (Advocate)
G-719, Karkardooma Court, Delhi1 10032
M.: 9811451160

PUBLIC NOTICE

I, hitherto known as (old Name) SUNITA THRIJA in my passport (Passport No. G0480281) daughter of VIRBHAN VERMA (father's name) / wife of CHARANJIT SINGH (Husband's name), Employed as Govt. Job, S.M.O. (post of applicant) in the OFFICE OF THE CHIEF DISTRICT MEDICAL OFFICER (N.W.) Directorate of Health Services Govt. of NCT of Delhi at DGD Building First floor, Sector-13, Rohini, Delhi-110085. (office/company name & Aaddress) residing at F-137, PRASHANT VIHAR, ROHINI, DELHI-110085, (residential address) have changed my name and shall hereafter be known as SUNITA THAREJA (New Name) It is certified that I have complied with other legal requirements in the connection

---

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Trade Tax Bhawan, Raj Nagar, Ghaziabad-201014, Phone.: 0120- 2780091, Fax: 0120-2780091, MICR: 110025165

परिशिष्ट - IV- ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 33,98,039.98 (रू. तेंतीस लाख अठानवे हजार उन्तालिस और अठानवे पैसे मात्र) + 01-03-2019 से ब्याज तथा लागतें इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24-07-2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:-
1. मै0. शिव शक्ति कन्स्ट्रक्शन और बिल्डर्स, पता: मकान नं0. 2436, देवी भांट वाली गली, घूकना मोड़, गाजियाबाद।
2. श्री आनन्द कुमार, पता: मकान नं0. 355, गली नं0.4, न्यू दौलतपुरा, जय प्रकाश नगर, गाजियाबाद, यू0पी0.- 201001.

सुरक्षित मूल्य रू. 22,64,000/- (रू. बाईस लाख चौंसठ हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,26,000/- (रू. दो लाख छब्बीस हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

प्लॉट नं0. 144, राधे श्याम विहार 111, खसरा नं0. 591 का हिस्सा, गांव बसंतपुर सैंतली, दिल्ली-मेरठ रोड, गाजियाबाद, यू0पी0 201206, 144.36 स्क्वेयर मीटर माप के साथ।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Sahibabad, CEL, Industrial Area-IV, Sahibabad-201010, Ghaziabad Phone.: 0120- 2895170, 7889026548, E: br.8776@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट - IV- ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रतीकात्मक/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 6,13,34,520.04 (रू. छ करोड़ तेरह लाख चौंतिस हजार पांच सौ बीस और चार पैसे मात्र) + 01-02-2019 से ब्याज तथा लागतें इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24-07-2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:-
मै0. डी बोनो फ्लैक्सकॉम () लि0., डायरेक्टर: 1. श्री तरुन कुकरेजा, 2. पुनीता चौधरी, 3. श्री अंजान मुखर्जी। रजि0. ऑफिस पता:
दिल्ली: प्रथम तल, कुकरेजा घर- 48, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055, इण्डिया।
मुम्बई: फ्लैट नं0. 9-10, जय दुर्गा बिल्डिंग, द्वितीय तल, प्लॉट नं0. 154, सियन के पास, मुम्बई-400022.
फैक्ट्री पता: ए-48/8, साईट-4, इण्डिस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद।
जमानती: 1. श्री तरुन कुकरेजा पुत्र दर्शन कुमार कुकरेजा, बी-5, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली-110092.
2. श्री वरुन कुकरेजा पुत्र श्री दर्शन कुकरेजा, फ्लैट नं0. एसवी-1/12, तृतीय तल, इलडैको, सैक्टर-93ए, ताज एक्सप्रैसवे, नोएडा, गौतमबुद्धनगर, यू0पी0- 201304.
3. पुनीता चौधरी पुत्री श्री दर्शन कुमार कुकरेजा, फ्लैट नं0. 6021, एटीएस वन हैमलेट, ताज एक्सप्रैसवे, सैक्टर-104, नोएडा।
4. श्रीमति सरोज कुकरेजा पत्नि दर्शन कुमार कुकरेजा, बी-5, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, ईस्ट दिल्ली- 110092.

सुरक्षित मूल्य रू. 2,50,00,000/- (रू. दो करोड़ पचास लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 25,00,000/- (रू. पच्चीस लाख मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

प्लॉट जिसकी माप 327.60 स्क्वेयर यार्डस, डब्ल्यू जैड-283, श्री नगर, रेलवे रोड, शकुरबस्ती, गांव शाकुरपुर, दिल्ली। चौहद्दी:- पूर्वप्रॉपर्टी का हिस्सा, पश्चिम- पुनीता चौधरी का हिस्सा उत्तर:- सर्विस लाईन, दक्षिण- रेलवे रोड।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 प्राधिकृत अधिकारी

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

सम्पत्ति वसूली प्रबन्धन शाखा
एम.डी.आई. बिल्डिंग, भूतल, 28, एस.वी. रोड़, अन्धेरी (प.), मुम्बई-400058
टेलिफोन नं. - 26210406/07, ईमेल: asset.mnz@bankofindia.co.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्रि सूचना

अनुबंध - IV-A (नियम 8 (6) के लिए प्रावधान देखें)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 को लागू करना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) में साबित हुआ। सूचना आम तौर पर जनता को दी जाती है और विशेष रूप से ऋणी (ओं) और जमानत (ओं) को जो नीचे वर्णित है, अचल संपत्तियों को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी रख दिया जाता है, जिन पर भौतिक कब्जा कर लिया गया है। कंसोर्टियम की ओर से बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षित लेनदार को जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है, पर बेचा जाएगा। और "जो कुछ भी है" नीचे दी गई तारीखों पर, रुपये की वसूली के लिए। 1,73,17,77,673.09 (कंसोर्टियम राशि) प्लस उनकी ब्याज पर ब्याज (फंड आधारित सीमा और गैर-निधि आधारित सीमा) और उधारकर्ता से लागत, शुल्क और व्यय: सुश्री। लेवे लॉजिस्टिक लिमिटेड और गारंटर: श्री संजय सिन्हा और श्रीमती नमिता सिन्हा। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि और नीचे वर्णित गुण विवरण: -

विवरण एवं सम्पत्तियों की बिक्रि का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी
सम्पत्ति के सभी हिस्से जो कि फ्लेट नं. 702 एवं 703, सातवां तल, ब्रीजी हाईट्स, कार्टर रोड़, रिजवी कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पश्चिम), मुम्बई- 400050, श्री संजय सिन्हा एवं श्रीमती नमिता सिन्हा के नाम से। क्षेत्रफल 1532 वर्गफीट कारपेट क्षेत्रफल लगभग	रू. 9.63 करोड़ (रू. नौ करोड़ तिरेसठ लाख मात्र)	रू. 96.30 लाख (रू. छियानवे लाख तीस हजार मात्र)
सम्पत्ति के सभी हिस्से जो कि मकान नं. 59, ई ब्लॉक, सेक्टर 46, सॉलिटेयर रेजीडेन्सी, ग्रीन वुड्स सिटी, गुरूग्राम स्थित श्री संजय सिन्हा एवं श्रीमती नमिता सिन्हा के नाम से। क्षेत्रफल 2397 वर्गफीट कारपेट क्षेत्रफल	रू. 2.77 करोड़ (रू. दो करोड़ सतत्तर लाख मात्र)	रू. 27.70 लाख (रू. सताईस लाख सत्तर हजार मात्र)

निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	22.07.2019 सायं 4.00 बजे से पूर्व
नीलामी बिक्री का समय व अंतिम तिथि	24.07.2019 दोपहर 12.00 से 1.00 बजे तक (5 मिनट के स्वतः असिमित विस्तार के साथ)
निरीक्षण का समय व दिनांक	28.06.2019 एवं दोपहर 12.00 बजे से 3.00 तक

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक ऑफ इंडिया सिक्योर क्रेडिटर की वेबसाइट पर दिए गए लिंक को देखें।
https://www.bankofindia.co.in
ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स टू बैंक - ज्ञात नहीं

दिनांक : 18.06.2019
स्थान : मुम्बई

हस्ताक्षर
प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्रीमति रामो देवी पत्नी श्री रामवीर निवासी मकान नं० 1/269A, गली नं० 23, सी-ब्लॉक, खजूरी खास, दिल्ली-94 ने अपने दोनो पुत्रों जय प्रकाश व सुरेंन्द्र को व इनकी पत्नियों सुरेश व रिंकल को इनके बच्चों सहित उनके दुर्व्यवहार व गलत आचारण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में उनके किसी भी गलत कार्य के लिये मेरी मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होगी।

Ashish Kumar Upadhyay Advocate
Off. E-223, Main Road, Khajuri Khas, Delhi-110094

PUBLIC NOTICE

To whomsoever it may concern

Our client states that SHRI NITIN KAUSHIK AND SMT SHWETA KAUSHIK are the absolute owners of property bearing DDA FLAT NO 402 4th FLOOR BLOCK-F POCKET-C MOLAR BANDH NEW DELHI-110044
The original of the said following documents being :-
1. Allotment letter issued by DDA in favour of Mr Nitin Kaushik & Mrs Shweta Kaushik
2. Conveyance deed executed by DDA duly regd on 08-04-2013 in favour of Mr Nitin Kaushik & Mrs Shweta Kaushik

were lost by our client, while in their custody. An FIR was lodged by our client in this respect.
The said property is absolutely free from any encumbrance whatsoever.
If any person has any claim or interest over the said property, he/she is requested to forward their claim/s along with the relevant documents to us within 15 days of this public notice. If we do not receive any claim from any person within 15 days, it will be strictly presumed that this property is absolutely free from any claim or encumbrance and no one has any claim over this property.

RAVI CHOPRA
ADVOCATE - 9811020745
ENRL NO.DL/215/01
OFFICE NO.1, FIRST FLOOR, DDA MARKET POCKET-A-1 MAYUR VIHAR-III, DELHI-110096

मुखर्जी नगर मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी

चालक के बेटे को भी बनाया आरोपी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

ग्रामीण सेवा चालक से मारपीट के मामले में मुखर्जी नगर थाने में सोमवार को दोनों पक्षों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। दिल्ली पुलिस प्रवक्ता मधुर वर्मा ने बताया कि पीड़ित चालक सरबजीत सिंह की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं, घायल पुलिसकर्मी योगराज और मुकेश की शिकायत पर चालक सरबजीत के खिलाफ भी शिकायत ली गई है। सरबजीत के नाबालिग बेटे को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। मामले की जांच अब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है।

बताया जा रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ अन्य धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। प्रवक्ता ने कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद उत्तरी रेंज के संयुक्त आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने मामले की जांच की और प्रारंभिक स्तर पर दोषी पाए गए तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मुखर्जी नगर थाने के बाहर पहुंचे और रविवार देर रात तक जमकर हंगामा किया। इस दौरान जब बातचीत करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) आए तो लोगों ने उनके साथ भी हाथापाई की और मारपीट की। इस दौरान भीड़ ने उनकी वर्दी तक फाड़ दी। कड़ी मशक्कत के बाद अधिकारी को थाने के अंदर भेजा गया और मामले को शांत कराया गया। प्रवक्ता ने बताया कि एहतियातन थाने के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर दिया गया है, ताकि इलाके की कानून व्यवस्था ना बिगड़े।

सोमवार देर रात मुखर्जी नगर थाने के बाहर प्रदर्शन करते स्थानीय लोग।

पूरे दिन बना रहा तनाव का माहौल

मुखर्जी नगर में सोमवार को पूरे दिन तनाव का माहौल बना रहा। देर शाम तक स्थानीय लोग थाने के बाहर हंगामा करते रहे और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन कर रहे गुरु दर्शन सिंह ने कहा कि वीडियो में कई पुलिसकर्मी सरबजीत के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। जब तक सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, यहां से कोई नहीं हटेगा।

थाने में भी बेटे के साथ मारपीट का आरोप

सरबजीत का आरोप है कि उसके साथ थाने में भी मारपीट की गई और बेटे को ऐसे कमरे में ले जाकर पीटा गया, जहां सीसीटीवी नहीं है। वहीं इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उसे थाने जरूर लाया गया लेकिन कोई गलत व्यवहार नहीं किया गया। सरबजीत का आरोप यह भी है कि वह पुलिसकर्मियों से गलती की माफी मांगता रहा। पर पुलिसकर्मी उसकी पिटाई करते रहे। वहीं, पुलिसकर्मियों का कहना है कि सरबजीत ने माफी नहीं मांगी, बल्कि वह मारपीट पर उतारू हो गया और कृपाण दिखाकर डराने लगा।

देर रात तक चला प्रदर्शन

सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मुखर्जी नगर थाने के बाहर पहुंचे और सड़क को जाम कर दिया। इसके बाद सोमवार रात में भी लोग थाने और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गए और दोनों जगहों पर सड़कें जाम कर दीं। यह प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा। प्रदर्शन के दौरान लोग दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

'गाली-गलौज करने पर किया था विरोध'

सरबजीत सिंह ने बताया कि आरोपी पुलिसकर्मी ने उससे रिश्वत नहीं मांगी थी बल्कि वह चौराहे से वाहन हटाने के लिए कह रहा था। बाद में वह गली-गलौज करने लगा, जिसका उन्होंने विरोध किया था। वह चाहते हैं कि उनके साथ वार्ता करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे से कोई पुलिसकर्मी ऐसा व्यवहार किसी आम आदमी के साथ न करे।

चालक की पिटाई पर गरमाई दिल्ली की सियासत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

मुखर्जी नगर की घटना के बाद दिल्ली की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों ने मामले को लेकर बयान जारी किए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने जहां निष्पक्ष जांच की मांग की है वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पीड़ित ऑटो चालक के घर जाकर मुलाकात की। कांग्रेस ने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। ऑटो चालक यूनियन ने भी घटना पर विरोध जताया है।

मामले की निष्पक्ष जांच हो : मनोज तिवारी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस घटना पर खेद जताया और इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए और गुनाहगारों को बक्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने कभी भी ऑटो चालकों से किया कोई भी वादा पूरा नहीं किया है।

चालक की मेडिकल जांच कराने पहुंचे संजय सिंह

घटना के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी ग्रामीण सेवा चालक सरबजीत सिंह के साथ खड़े दिखाई दिए। वे सरबजीत के घर पहुंचे और उसकी मेडिकल जांच कराई। 'आप' नेताओं के घर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने घटना के विरोध में हंगामा किया। 'आप' नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से शांत रहने की अपील की। परिवार से मिलने विधायक जरनैल सिंह, जगदीप सिंह, पंकज पुष्कर और अखिलेश पति त्रिपाठी पहुंचे थे।

कांग्रेस बोली पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत

मारपीट की इस घटना को कांग्रेस ने पुलिस की गैर जिम्मेदाराना हरकत बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र कोचर ने कहा कि मुखर्जी नगर थाने के बाहर एक ग्रामीण सेवा चालक को बेरहमी से पीटा गया। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में केवल अधिकारियों को निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। यह एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऑटो चालकों ने किया विरोध

ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने घटना पर विरोध जताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई मानवता को शर्मसार करने वाली है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चालकों पर सरकारी एजंसियों और पुलिस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। उधर, सिख समुदाय ने भी इसकी निंदा की है। समाज के लोगों का कहना है कि पहले पुलिस ने चालक और उसके नाबालिग बेटे को जमकर मारा फिर इनके खिलाफ मामले दर्ज किए। उन्होंने इस मामले में गृह मंत्रालय से कड़ी कार्रवाई की अपील की है।

आइपी ने पांच पाठ्यक्रमों के आवेदन की तिथि बढ़ाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ (आइपी) विश्वविद्यालय ने पांच पाठ्यक्रमों में आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 21 जून कर दी है। बीटेक, बीएएलएलएबी व बीबीएएलएलबी, एमसीए व एमसीए (सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग), मास्टर ऑफ लॉ और एमबीए, एमबीए (अंतरराष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय विश्लेषण) में दाखिले के लिए पहले अंतिम तिथि 17 जून थी। इन सभी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर प्रवेश होंगे।

आइपी विश्वविद्यालय में पांच साल बाद हुई प्रेसवार्ता में कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर अशुतोष मोहन सहित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान दाखिला शाखा के संयुक्त कुलसचिव डॉक्टर नितिन मलिक ने प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमने पांच पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 21 जून शाम 4 बजे तक कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विवि ने इस साल एमवोक के तीन नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इंटीरियर डिजाइन शामिल हैं। इनके अलावा एमससी (योग), बीएससी नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), पीजी डिप्लोमा योग थेरेपी, पीजी डिप्लोमा साइबर अपराध एवं कानून, पीजी डिप्लोमा सुरक्षा प्रबंधन और पीजी डिप्लोमा विक्टिमोलॉजी एंड विक्टम असिस्टेंस शामिल है।

दस फीसद ईडब्लूएस कोटे के लिए सरकार के आदेश का इंतजार

विवि की ओर से कहा गया है कि हमें दिल्ली सरकार द्वारा दस फीसद ईडब्लूएस कोटे को लागू करने का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार इस पर विचार कर रही है। हमारी पंजीकरण प्रक्रिया जारी रहते हुए यदि सरकार की ओर से कोटा लागू करने का आदेश आता है तो हम इसे तुरंत लागू कर देंगे।

'फीस की वजह से डिग्री को बंधक नहीं बना सकते कॉलेज'

विवि के कार्यकारी कुलपति प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने कहा कि यदि कोई कॉलेज फीस के भुगतान नहीं होने की वजह से किसी विद्यार्थी की डिग्री या अंकपत्र को बंधक बनाता है तो विश्वविद्यालय उस कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। अगर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। कॉलेजों को मान्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि विवि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर किसी कॉलेज को मान्यता देता है। अगर उसके बाद भी कहीं कोई कमी रहती है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा।

36 पाठ्यक्रमों की होगी ऑनलाइन काउंसलिंग

डॉक्टर मलिक ने बताया कि इस साल विवि 36 पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग करने जा रहा है। पिछले साल 10 पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी। इससे आवेदकों को बहुत आसानी होगी और वे जहां हैं, वहीं से काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे।

बढ़ा ऑटो किराया आज से लागू

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

दिल्ली में ऑटो में यात्रा करने वाले मुसाफिरों को मंगलवार से ज्यादा किराया देना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाड़े में 18.75 फीसद की बढ़ोतरी को लागू करने के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी। ऑटो के किराए में बढ़ोतरी विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले की गई है। इसका असर शहर में चलने वाले 90,000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वालों पर पड़ेगा जिन्होंने आम आदमी पार्टी के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है।

डीयू में पीएचडी, एमफिल और पीजी के पंजीकरण 22 जून तक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने स्नातकोत्तर (पीजी), एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 22 जून कर दिया गया है। पहले इन पाठ्यक्रमों में पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 जून थी। स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहले ही तिथि को बढ़ा दिया गया था।

पीजी पाठ्यक्रमों में आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए डीयू छात्र संघ (डूसू) ने भी विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा था। डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने बताया कि डीयू की वेबसाइट में लगातार आ रही समस्या के स्थायी समाधान की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए हमने डीयू से पीजी पाठ्यक्रमों में आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग की थी। बाद में विश्वविद्यालय ने इस मांग को मान लिया।

इसके अलावा सोमवार को डीयू की प्रवेश के लिए बनी स्थायी समिति की भी बैठक हुई। इसमें निर्णय किया गया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की पात्रता को पिछले साल की तरह ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा समिति ने विश्वविद्यालय को एक दाखिला शाखा बनाने की संस्तुति भी भेजी है। ताकि यह शाखा पूरे साल दाखिले से संबंधित मामलों पर कार्य कर सके। विद्वत परिषद (एसी) के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने कहा कि परीक्षा शाखा की तरह ही दाखिला शाखा भी बनाई जाए ताकि यह शाखा साल भर दाखिले से जुड़े हितधारकों से बातचीत कर नीति का निर्धारण और उसे कार्यान्वित करे।

स्नातक पाठ्यक्रमों की पात्रता में हुआ बदलाव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

डीयू ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता में बदलाव करते हुए संशोधित पात्रता डीयू की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड दी है। डीयू ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 2019-20 के नियमों को बदलते हुए शैक्षणिक सत्र 2018-19 के नियमों को लागू किया है।

विश्वविद्यालय ने इस साल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता में बदलाव किया था। इसको लेकर कुछ विद्यार्थी दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए पिछले सालके नियमों के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने का आदेश डीयू को दिया था। इसके साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून से बढ़ाकर 22 जून तक करने का भी आदेश दिया था। इसके बाद डीयू प्रशासन ने जहां आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। वहीं, सोमवार को पिछले साल के नियमों के अनुसार आवेदन स्वीकार करने की जानकारी देते हुए संशोधित दाखिला पात्रता मानदंडो को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

सेंट स्टीफंस में 24 से 27 जून के बीच होंगे खेल कोटे के सत्यापन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

डीयू की पंजीकरण तिथि बढ़ने के कारण सेंट स्टीफंस कॉलेज का दाखिला कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है। आवेदन 22 जून तक होने के कारण सेंट स्टीफंस ने खेल कोटे के सत्यापन का नया कार्यक्रम जारी किया है। अब 24 जून से सत्यापन शुरू होगा जो 27 जून तक चलेगा। 24 जून को स्क्वैश (पुरुष) क्रिकेट (पुरुष), टेबल टेनिस व बैडमिंटन के लिए दस्तावेजों का सत्यापन होगा। 25 जून को बॉस्केटबॉल, शूटिंग, फुटबॉल (वुमेन), 26 जून को तैराकी व लॉन टेनिस व फुटबॉल (पुरुष) का सत्यापन होगा। अर्थशास्त्र ऑनर्स, इतिहास ऑनर्स, अंग्रेजी ऑनर्स, दर्शनशास्त्र ऑनर्स, बीएससी गणित ऑनर्स, भौतिक शास्त्र ऑनर्स, रसायन शास्त्र ऑनर्स, बीएससी प्रोग्राम रसायन शास्त्र आदि पाठ्यक्रम के लिए अभी साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।

EXPRESS Careers

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
(निफ्ट अधिनियम, 2006 द्वारा शासित एक सांविधिक संस्थान)
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
निफ्ट परिसर, हौज खास, समीप गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली-110016

विज्ञापन संख्या- 05/Rectt. Group-A&B Posts/Deputation/2019
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय तथा देश भर में स्थित 16 कैम्पसों सहित फैशन व्यवसाय शिक्षा का एक प्रमुख संस्थान, केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/यू.टी./स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों आदि में नियमित आधार पर कार्यरत व्यक्तियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर निफ्ट हेड ऑफिस/कैम्पसों में कार्यकारी इंजीनियर, सहायक निदेशक, कंप्यूटर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर (सिविल) और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) के पदों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन आमंत्रित करता है।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2019, सायं 5:00 बजे है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइट www.nift.ac.in पर जाएं।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.3 डि.से.	33.3 डि.से.	31.6 डि.से.	31.9 डि.से.
न्यूनतम	28.0 डि.से.	28.0 डि.से.	27.9 डि.से.	29.0 डि.से.

एम्स

मारपीट से नाराज डॉक्टरों ने ठप की सेवाएं

जनसत्ता संवाददाता
नइ दिल्ली, 17 जून।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी सेवा में तैनात एक जूनियर डॉक्टर के साथ रविवार देर रात मरीज के परिजनों की ओर से कथित हाथापाई और गाली-गलौज की घटना के बाद साथी चिकित्सकों ने हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल सोमवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह छह बजे तक की गई। इस बीच रेजीडेंट डॉक्टरों ने एम्स परिसर में विरोध मार्च भी किया। एम्स रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन ने पहले तय किया था कि मरीजों के हित में वे आइएमए की ओर से रखी गई हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस घटना के बाद फैसला बदलना पड़ा।

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर हुई हिंसा के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल की जगह एम्स के रेजीडेंट डॉक्टरों ने अपनी बैठक में तय किया था कि वे मरीजों के हित में सोमवार को काम करना जारी रखेंगे। क्योंकि यहां मरीजों वैसे ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसलिए हड़ताल के बजाय विरोध में पट्टी व हेलमेट लगाकर काम करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इस बैठक के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर में झड़प व हाथापाई का एक मामला सामने आ गया लिहाजा एम्स आरडीए को अपना फैसला बदलना पड़ा।

डॉक्टरों ने बताया कि ओपीडी सेवा, नियमित आपरेशन थियेटर और वार्ड राउंड सेवाएं सोमवार की दोपहर से मंगलवार की सुबह छह बजे तक बंद कर दी गई हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं, गहन चिकित्सा कक्ष (आइसीयू) और प्रसूति कक्ष सेवाओं को इस हड़ताल से बाहर रखा गया है। कई डॉक्टरों ने सिर पर सफेद पट्टी और बाजू पर काली पट्टी बांधकर मरीजों को देखा। एम्स आरडीए ने एक बयान में कहा है कि हम एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने और मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने का अनुरोध करते हैं। कई डॉक्टरों ने विरोध जताने के लिए अपने-अपने परिसरों में मार्च निकाला। इस दौरान जिन मरीजों को हड़ताल की जानकारी नहीं थी, वे इलाज के लिए अस्पताल पहुंच गए तो घंटों इंतजार करना पड़ा या वापस लौटना पड़ा। एम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती चार अलग-अलग मरीजों ने बताया कि उनका अपरेशन पिछले एक हफ्ते से टल रहा है, जबकि रोज हड़ताल नहीं थी।

आरडीए के पदाधिकारियों की ओर से प्रेसवार्ता की गई (1) और एम्स में हड़ताल के बाद परेशान घूमते नजर आए मरीज और तीमारदार (2)।
फोटो : आरुष चोपड़ा

यह है मामला

एम्स रेजिडेंट डाक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के अध्यक्ष डॉ अमरिंदर सिंह मल्ही ने बताया कि रविवार रात साढ़े 11 बजे जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में अपने सहायक के साथ एक जख्मी मरीज इलाज कराने पहुंचा। सिंह ने दावा किया कि वह पहले अपने मरीज को देखने की जिद कर रहा था, जबकि डॉक्टर अन्य गंभीर मरीजों को देख रहे थे। डॉक्टरों ने उनको थोड़ा रुकने को कहा तो आरोप है कि सहायक डॉक्टरों के साथ अभद्रता करने लगा और हाथापाई की। आरडीए ने अपने जारी बयान में कहा है कि ट्रॉमा सेंटर में एक गंभीर रोगी को तरजीह देने के लिए एक डॉक्टर पर हमला किया गया। इस बारे में एम्स पुलिस चौकी ने कहा कि उन्हें एक शिकायत मिली है कि डॉक्टर को उसकी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। मरीज के संग आए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और मामला दर्ज किया गया है।

एलएनजेपी के चिकित्सकों ने निकाला विरोध मार्च

जनसत्ता संवाददाता
नइ दिल्ली, 17 जून।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के चिकित्सकों ने सोमवार को विरोध मार्च किया। यहां के सभी पंजीकरण काउंटरों पर सन्नाटा पसरा रहा। मरीज जो आ रहे थे और बिना इलाज के ही वापस जो रहे थे। जबकि गंभीर मरीजों को आपातकालीन वार्ड में भेजा जा रहा था। कुछ मरीजों का कहना था कि वे कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है। जबकि कई मरीजों का कहना था कि वे काफी दूर से आएं हैं लेकिन इलाज नहीं मिला। इस तरह जीबी पंत, गुरुनानक नेत्र चिकित्सालय, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज व अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अस्पताल, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, महर्षि वाल्मीकि अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल व राजा हरिश्चंद्र अस्पताल सहित कई चिकित्सा केंद्रों में के डॉक्टर भी हड़ताल में शामिल रहे।

दिल्ली में अवैध हथियारों की आपूर्ति करने का आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

● आरोपी मेवात से लाकर पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी जिले के बदमाशों को हथियारों की आपूर्ति करता था

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने द्वारका से एक अंतरराज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से तीन पिस्तौल जब्त किए गए हैं। यह आरोपी मेवात से लाकर पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी जिले के बदमाशों को हथियारों की आपूर्ति करता था। गिरफ्तार किए गए बदमाश की पहचान सन्नी उर्फ प्रेम के तौर पर हुई है।

अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त अजीत कुमार सिंघला के मुताबिक टीम में तैनात कांस्टेबल श्याम सुंदर और प्रवीण को सूचना मिली कि द्वारका सेक्टर-16 में एक तस्कर मेवात से हथियार लेकर आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सन्नी को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपी सागरपुर थाने का घोषित बदमाश है। शुरू में उसने जुए से अपराध की शुरुआत की थी। इसके बाद हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट, छेड़छाड़ और एक्साइज एक्ट के मामलों में शामिल रहा। आरोपित ने पूछताछ में बताया कि वह मेवात इलाके से हथियार खरीदकर दिल्ली में बदमाशों को बेचता था।

विरोध बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत पर दिल्ली में हुए प्रदर्शन में बच्चे भी हुए शामिल

दिमागी बुखार से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करे सरकार : माकपा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

● पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या के प्रभावित इलाकों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने बिहार में दिमागी बुखार से बच्चों की मौत की घटनाओं पर दुख व्यक्त करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से युद्ध स्तर पर प्रयास करने की मांग की है।

माकपा पोलित ब्यूरो की ओर से सोमवार को इस बारे में जारी बयान में दिमागी बुखार से बिहार में 100 से अधिक बच्चों की मौत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि राज्य के विभिन्न इलाकों खासकर मुजफ्फरपुर में इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पोलित ब्यूरो ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार चिकित्सा अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर एहतियाती उपाय करने की जरूरत है। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस समस्या के प्रभावित इलाकों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पोलित ब्यूरो ने कहा कि पार्टी की ओर से डॉक्टरों का दल भेजा जाएगा। यह प्रभावित इलाकों में पीड़ित परिवारों को चिकित्सा सेवा सहित अन्य सहायता मुहैया कराने में मदद करेगा।

कांग्रेस की कलह

विधानसभा चुनाव में आपदा साबित होंगी शीला दीक्षित : गोयल

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

कांग्रेस में अंदरूनी कलह सोमवार को तब सामने आ गई जब एक वरिष्ठ नेता ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी की करारी शिकस्त की वजह से पद से हटाने की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम गोयल ने दीक्षित को हटाने की मांग की और अगले साल शुरू में होने वाले विधानसभा चुनाव किसी नए चेहरे के साथ लड़ने का सुझाव दिया।

यह काउंसिल अब अस्तित्व में नहीं है। गोयल ने कहा कि शीला दीक्षित विधानसभा चुनावों में एक आपदा साबित होंगी गोयल के पत्र से पहले, कांग्रेस नेता रोहित मनचंदा ने दिल्ली इकाई के एआइसीसी प्रभारी पीसी चाको को बदलने की मांग की थी। दीक्षित ने कहा, 'ठीक है। यह उनकी राय है।' लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर दीक्षित और चाको में गंभीर मतभेद थे। दीक्षित गठबंधन के खिलाफ थीं तो चाको चाहते थे कि गठजोड़ हो जाए। आखिरकार दोनों दलों ने अलग-अलग चुनाव लड़ा।

गोयल ने कहा, 'दीक्षित तीन लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी हैं। इस बार वह पार्टी की हार की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती हैं। वह अपनी उम्र की वजह से जमीन पर सक्रिय नहीं हो सकीं और पार्टी का नेतृत्व नहीं कर सकीं। वह विधानसभा चुनावों में एक आपदा साबित होंगी'। पत्र में गोयल ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस को कपिल सिब्बल या योगानंद शास्त्री को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिल्ली कांग्रेस प्रमुख पद से हटाने की मांग की

दोगुना करने के नाम पर हजारों रुपए की ठगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

देश बंधु गुप्ता रोड थाना क्षेत्र में दो ठगों ने राजस्थान के कारोबारी महावीर प्रसाद को 'पर्ची खींचो दोगुना इनाम पाओ' का झांसा देकर करीब 60 हजार रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित महावीर प्रसाद की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक महावीर ने अपनी शिकायत में बतया है कि वह 15 जून की सुबह बेटे पंकज के साथ सैनिक एक्सप्रेस ट्रेन से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। वहां से वह टैंक रोड पर एटीएम में से 8000 रुपए निकाले। तभी पीछे से एटीएम में मौजूद युवक भी वहां आ गया। उसने अपने 'पर्ची खींचने' वाले काम के बारे में बताया। युवक के कहने पर महावीर ने भी 10 हजार की पर्ची खींची जो खाली निकल गई। युवक ने लालच दिया तो महावीर ने 50 हजार रुपए की पर्ची खींची। मगर यह भी खाली निकली। इस तरह ठगों ने उससे 60 हजार रुपए ठग लिए। बाद में वे फरार हो गए। इसके बाद उसने घटना की जानकारी पुलिस को दी।

एटीएम क्लोन से ठगने का आरोपी नाइजीरियन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

दक्षिणी-पूर्वी जिला पुलिस ने एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मेगा स्टोर संचालक को लाखों रुपए का चूना लगाने वाला था। आरोपी ने एक क्लोन कार्ड से 450 किलो घी करीब ढाई लाख रुपए का खरीदा थी। संचालक ने शक होने पर जब कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मांगी तो वह वहां से फरार हो गया। समय रहते संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नाइजीरिया निवासी शौक्सी एबे (45) को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर क्लोन किया हुआ एटीएम कार्ड जब्त किया है, जो अमेरिका के डिस्कर बैंक का है।

2016 में ऑनलाइन ठगी की दोबारा खुली फाइल

कारोबारी को महंगी कार बेचने के नाम पर लूटने वाले तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

जांच अधिकारी के बदलने के बाद ठंडे बस्ते में थी पड़ताल

दरियागंज थाना पुलिस ने 90 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज कार 22 लाख रुपए में बेचने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह में एक नाइजीरियन समेत तीन ठगों को गिरफ्तार किया गया है। मामला 2016 का है, जो जांच अधिकारी के बदलने के बाद लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आरोपियों ने दिल्ली के एक कारोबारी से 22 लाख 75 हजार रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान नाइजीरियन निवासी जगालो उर्फ बाबा मोबाइल (38), मुंबई निवासी मंगेश (32) और शिब्बू (27) के रूप में हुई है। पीड़ित कारोबारी मनीष ने 2016 में बिक्री वेबसाइट क्विकर पर मर्सिडीज बेंज कार का विज्ञापन देखा था।

करीब 90 लाख रुपए की कार 22 लाख रुपए में मिल रही थी। फोन पर संपर्क किया तो आरोपियों ने इंग्लिश में बात कर उसे विश्वास में ले लिया। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने इसी बीच 31 अगस्त, 2016 को उससे 22 लाख रुपए खाते में मंगवाए। कार दिल्ली भेजने की बात कही गई।

दो दिन बाद फिर ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम पर 75 हजार रुपए लिए गए, जिसके बाद फोन बंद कर लिए गए। 2017 में पीड़ित ने दरियागंज थाने में ठगी की शिकायत दी। पर कुछ समय बाद जांच अधिकारी बदल गए। इस बीच दरियागंज थाने में इंस्पेक्टर राकेश शर्मा ने बतौर थाने का कार्यभार संभाला। उन्होंने इस मामले की जांच नए सिरे से एसआइ बलजिंदर को दी। बलजिंदर अपनी टीम के सोमनाथ गिल के साथ मुंबई पहुंचे। पुलिस ने मंगेश नाम के शख्स को पकड़ा और दिल्ली ले आई। मंगेश ने पूछताछ के बाद बताया कि वारदात में उसका जीजा शिब्बू व नाइजीरियन जगालो शामिल है। मंबई में पुलिस ने शिब्बू और जगालों को भी पकड़ा। जगालो ने खुलासा किया कि उसका भी एक बॉस है, जो उसे ठगी की रकम में से 30 फीसद हिस्सा देता है।

बीएसईएस अधिकारी बनकर ठगने का प्रयास, एक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

● आरोपी के दो साथी फरार बताए जा रहे हैं

पुलिस और बीएसईएस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है जो एक उपभोक्ता से इस बिजली आपूर्ति कंपनी का प्रवर्तन अधिकारी बनकर धन एंठने का प्रयास कर रहा था।

बीएसईएस के प्रवक्ता सीपी कामत ने बताया कि इस गिरोह के एक सदस्य और बुध विहार निवासी रवि कुमार को गत सप्ताह गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसके दो साथ फरार हो गए। इस गिरोह के सदस्य बीएसईएस की प्रवर्तन शाखा के अधिकारी बन कर ग्रेटर कैलाश इलाके के एक निवासी से 30 हजार रुपए उगाहने की कोशिश कर रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर बीएसईएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस और उपभोक्ता की मदद से जाल बिछाकर कुमार को पकड़ लिया जबकि उसके दो साथी भागने में सफल रहे। मामले में प्राथमिकी दर्ज करके जांच की जा रही है।

अदालत ने कठुआ मामले को घृणित और भयानक बताया

पठानकोट, 17 जून (भाषा)।

जम्मू क्षेत्र के कठुआ में खानाबदोश समुदाय की आठ साल की लड़की की हत्या के मामले की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने इसे सबसे 'शर्मनाक, अमानवीय और बर्बर तरीके' से किया 'घृणित और भयानक' अपराध बताया और कहा कि इसके लिए दोषियों के साथ पूरा न्याय करने की जरूरत है। पठानकोट के जिला व सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में 10 जून को छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इनमें सांजी राम, निलंबित पुलिसकर्मी दीपक खजुरिया और परवेश कुमार शामिल हैं। विशेष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई की थी।

न्यायाधीश डॉ तेजविंदर सिंह ने 432 पृष्ठों के अपने फैसले की शुरुआत में कहा, 'स्वर्ग और नरक का कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। हमारे विचार, काम और चरित्र हमारे लिए स्वर्ग और नरक की स्थिति पैदा करते हैं।' उन्होंने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस 'घृणित और भयानक अपराध से समाज में शोक की लहर दौड़ गई और इसलिए असली दोषी को सजा दिए जाने की जरूरत है।' उन्होंने यह भी कहा कि नाबालिग के खिलाफ किया अपराध 'शर्मनाक, अमानवीय और बर्बर' है लेकिन रिकॉर्ड में लाए गए सबूतों को असली दोषियों का पता लगाने के लिए सच्चाई की कसौटी पर मापने की जरूरत है ताकि कोई निर्दोष इसकी चपेट में ना आ जाए।

अदालत ने कहा, 'ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे इस मामले में आरोपियों को झूठा फंसाना साबित हो।' अदालत ने 'बकरवाल' (खानाबदोश) समुदाय और स्थानीय निवासियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बारे में पुलिस में दर्ज 11 मामले सूचीबद्ध किए और अन्य बयानों को रिकॉर्ड में लिया जिनसे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जहां गत वर्ष 10 जनवरी को इस अपराध को अंजाम दिया गया वहां इलाके में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त था।

न्यायाधीश ने कहा, 'बकरवाल समुदाय को इलाके के स्थानीय निवासी स्वीकार नहीं करते हैं जिससे दोनों समुदायों के बीच तनावपूर्ण संबंध बने और इससे इस अपराध के पीछे ठोस मकसद था।' अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को अस्वीकार कर दिया कि जांच दोषपूर्ण थी और किसी भी आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं है।

हुडिनी के करतब करने की कोशिश में डूबा भारतीय जादूगर मैंड्रेक

कोलकाता, 17 जून (भाषा)।

दुनिया के नामी-गिरामी जादूगरों में शुमार अमेरिकी जादूगर हैरी हुडिनी के एक नायाब जादुई करतब को दोहराने की कोशिश में कोलकाता का एक जादूगर रविवार को हुगली नदी में डूब गया।

मैंड्रेक के नाम से मशहूर जादूगर चंचल लाहिड़ी (40) ने 'हुडिनी ट्रिक' नाम से प्रसिद्ध जादुई करतब को दोहराने के लिए खुद को एक शीशे के पिंजरे में बंद कर लिया। छह मजबूत तालों वाले इस पिंजरे को क्रेन की मदद से नदी के बीचों बीच तेज धारा में उतारा गया। इस दौरान लाहिड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ-पैर भी बंधे हुए थे।

जादूगर हुडिनी से मशहूर हुई इस ट्रिक में जादूगर खुद को एक पिंजरे में बंद कर लेता है और यह पिजरा पानी में डुबो दिया जाता है। फिर जादूगर अपने कौशल से बिना किसी चाबी की मदद से इस डिब्बे से बाहर आ जाता है। हुडिनी ने करीब 100 साल पहले यह नायाब खेल दिखाकर जादू की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया था।

हालांकि, मैंड्रेक ऐसा करतब पहली बार नहीं कर रहा था। वह साल 2013 में भी इसे अंजाम दे चुका था और शायद इसी भरोसे उसने दोबारा इसे करने का जोखिम उठाया, पर शायद इस बार किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इस बार वह पानी में उतरा तो वापस नहीं आ सका।

उसके नदी में जाने के काफी देर बाद तक जब वह वापस नहीं आया तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा नॉर्थ पोर्ट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत हावड़ा पुल के नीचे हुआ। पुलिस ने आपदा प्रबंधन विभाग और गोताखोरों की मदद से लाहिड़ी का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है। उसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है।

धोखाधड़ी मामले में पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत को जमानत मिली

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

शराब कारोबारी दिवंगत पोंटी चड्ढा के बेटे मनप्रीत सिंह चड्ढा को कथित रियल एस्टेट घोटाला मामले में सोमवार को जमानत दे दी गई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने मनप्रीत को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की दो जमानत राशियों पर राहत दी। उसे दिल्ली हवाईअड्डे पर उस समय पकड़ा गया, जब वह बुधवार को फुकेट के लिए रवाना हो रहा था। हालांकि, अदालत ने उस पर कई शर्तें लगाई हैं। जिनमें पूर्व अनुमति के बगैर देश छोड़कर न जाना भी शामिल है। उसने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) से भी पूछा कि अन्य निवेशकों के दावों पर जनवरी 2018 और जून 2019 के बीच कोई जांच क्यों नहीं की गई। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 13 जून को उसे जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि हजारों निवेशक प्रभावित हुए और केवल कुछ ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। चड्ढा उप्पल-चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है। पुलिस ने कहा था कि अभी तक 29 पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने कंपनी पर आरोप लगाया कि उनसे जिन प्लॉटों का आबंटन करने का वादा किया था वे नहीं दिए और न ही उनकी निवेश की गई राशि लौटाई।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

मयूर विहार शाखा, 11/01, कल्याणी वाणिज्य कॉम्पलेक्स, पॉकेट-II, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

ईमेल: mayurvihar.newdelhi@bankofindia.co.in, फोन: 22822190, 22750372

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार श्री गजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जयनारायण शर्मा और सुश्री शुभी शर्मा पुत्री श्री गजेन्द्र शर्मा को मांग सूचना दिनांकित 01.02.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 21,14,916.14 (रुपये इक्कीस लाख चौदह हजार नौ सौ सोलह और पैसे चौदह मात्र) और दिनांक 29.01.2019 से + भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 13.06.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, मयूर विहार शाखा, दिल्ली के प्रभार वास्ते रु. 21,14,916.14 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट न. टीएफ-1, यादु अपार्टमेंट, सैक्टर-6 (सामने आरएचएस), चिरंजीव विहार, चांसलर क्लब के पास, गाँव महरौली सिटी एवं टाऊन, गाजियाबाद, चौहद्दी : उत्तर में – अन्य का फ्लैट, दक्षिण में – 30 फीट रोड, पूरब में – अन्य का फ्लैट, पश्चिम में – अन्य का फ्लैट

दिनांक : 13.06.2019, स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

अकादमी का कार्टून को पुरस्कृत करने के फैसले की समीक्षा से इनकार

त्रिशूर (केरल), 17 जून (भाषा)।

केरल की एक सरकारी अकादमी ने बिशप फ्रेंको मुल्लकल पर केंद्रित एक कार्टून को सम्मानित करने के अपने फैसले की समीक्षा करने के बाबत राज्य सरकार की सलाह को मानने से सोमवार को इनकार कर दिया।

पुरस्कृत कार्टून में मुल्लकल के खिलाफ लगे बलात्कार के आरोप की ओर इशारा किया गया था। अकादमी ने कहा कि जूरी का निर्णय अंतिम है और अकादमी उस पर कायम है।

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

प्रधान कार्यालय, मंगलूरु – 575 001, वेबसाइट: www.corpbank.com, ई-मेल: isdcorpbank.co.in

ऊपरी टीयर-I (IPDI) और ऊपरी टीयर-II बॉण्डों की कॉल ऑप्शन हेतु नोटिस

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक आवश्यक अनुमोदन के अधीन ऊपरी टीयर-I (IPDI) और ऊपरी टीयर-II बॉण्डों की निम्नलिखित सीरीज़ पर कॉल ऑप्शन प्रक्रिया का प्रयोग करने जा रहा है:

आईएसआईएन	बॉण्डों का विवरण	निर्गत तिथि	कॉल ऑप्शन का दिनांक	कॉल ऑप्शन हेतु दर्ज तिथि
INE112A09117	IPDI 2008-09 Series I(2)	10.07.2009	10.07.2019	09.06.2019
INE112A09125	UT-II 2008-09 Series III(5)	10.08.2009	10.08.2019	10.07.2019
INE112A09133	UT-II 2008-09 Series III(6)	11.08.2009	11.08.2019	11.07.2019
INE112A09141	IPDI 2008-09 Series I(3)	11.08.2009	11.08.2019	11.07.2019
INE112A09158	IPDI 2008-09 Series I(4)	26.08.2009	26.08.2019	26.07.2019

प्रत्येक बॉण्डधारक को व्यक्तिगत सूचना भेजी जा रही है। यह नोटिस बैंक की वेबसाईट www.corpbank.com में भी उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी बॉण्डधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक खाते का विवरण अपने डिपॉजिटरीज़ के पास चल रहे डीमैट खातों में अद्यतन करें, जिससे समयबद्ध और सुचारू भुगतान किया जा सके।

स्थान: मंगलूरु
तिथि: 17.06.2019

हस्ताक्षरित/-
(एस.के. दाश)
कंपनी सचिव

हलफनामा मामलों में सलमान को कोर्ट से राहत

जोधपुर, 17 जून (भाषा)।

अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए जोधपुर की एक अदालत ने कथित रूप से दो झूठे हलफनामे दायर करने पर उनके खिलाफ अभियोजन का अनुरोध सोमवार को ठुकरा दिया। जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित रमन ने अदालत में 2006 में कथित रूप से दो झूठे हलफनामे दायर करने के लिए उनके खिलाफ मामला चलाने के अभियोजन के अनुरोध को खारिज करते हुए अभिनेता को राहत दी।

जोधपुर जिले के कंकणी गांव के पास काले हिरन का शिकार करने के अक्तूबर 1998 के मामले के संबंध में शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपित खान ने हलफनामा में दावा किया था कि शिकार में कथित रूप से प्रयुक्त हथियार का उनके पास वैध लाइसेंस था।

आयकर 'कंपाउंडिंग' के नए दिशानिर्देश जारी

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर भरने में चूक या गड़बड़ी के मामलों में कुछ जुर्माना या शुल्क चुकाकर उसे नियमित करने या कंपाउंडिंग की प्रक्रिया के संबंधित नए दिशानिर्देश दिए हैं जिनसे अब मनी लॉड्रिंग, आतंक के वित्तपोषण, भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति रखने और विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने जैसे गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति के लिए आयकर चोरी को लेकर राहत पाने के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। ये दिशानिर्देश सोमवार से लागू हो गए हैं।

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement.)

SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITED

Corporate Identification Number: U51496MH2008PLC184997

Our Company was originally incorporated under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated July 23, 2008 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Later in the year 2016, the name of the company was changed from "Sudarshan Specialty Chemsolve Private Limited" to "Sudarshan Pharma Industries Private Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on November 25, 2016 and vide certificate of incorporation dated December 17, 2016 issued by the Registrar of Companies, Mumbai. Thereafter, Our Company was converted in to a public company pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on December 12, 2016 and consequently name was changed to "Sudarshan Pharma Industries Limited" (SPIL) vide fresh certificate of incorporation dated January 15, 2017 issued by Registrar of Companies, Mumbai. For details pertaining to the changes of name of our company and change in the registered office, please refer to the chapter titled '*History and Certain Corporate Matters*' beginning on page no. 151 of this Prospectus.

Registered Office: 301, 3rd Floor, Aura Biplex, Above Kalyan Jewellers, S V Road, Borivali (West), Mumbai – 400 092, Maharashtra, India; | **Tel. No.:** +91 22 242221111

Email: compliance@sudarshanpharma.com/ compliance.spil@gmail.com | **Website:** www.sudarshanpharma.com

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. HEMAL V. MEHTA & MR. SACHIN V. MEHTA

Initial Public Issue of 34,40,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 Each (**"Equity Shares"**) of Sudarshan Pharma Industries Limited (**"Our Company" or "The Issuer Company"**) For cash at a price ₹ 75 Per Equity Share (Including a Share Premium of ₹ 65 Per Equity Share) ("Issue Price") Aggregating to ₹ 2580.00 Lakhs (**"The Issue"**), of which 1,76,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each for a cash price of ₹ 75 Per Equity Share, aggregating to ₹ 132.00 Lakhs will be reserved for subscription by market maker (**"Market Maker Reservation Portion"**). The issue less the market maker reservation portion I.E. issue of 32,64,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 each at an issue price of ₹ 75.00 Per Equity Share aggregating to ₹ 2448.00 Lakhs (**is hereinafter referred to as the "Net Issue"**). The issue and the net issue will constitute 25.49 % and 25.13 %, respectively of the post issue paid up Equity Share capital of our company.

ATTENTION INVESTORS- CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED JUNE 03, 2019

ISSUE CLOSING DATE EXTENDED UPTO MONDAY; JUNE 24, 2019*
ISSUE PRICE REVISED AT ₹ 72 PER EQUITY SHARE

* The issue opened on Wednesday, June 12, 2019 and was scheduled to close on Monday, June 17, 2019, pursuant to the disclosure made in the prospectus dated June 03, 2019 filed with the Registrar of the Companies, Mumbai, Maharashtra ("The ROC"), NSE Emerge and SEBI. All capitalized term used in the notice shall, unless the context otherwise requires, has the meaning ascribed in the Prospectus dated June 03, 2019.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10.00 EACH AND THE REVISED ISSUE PRICE OF ₹ 72.00 IS 7.2 TIMES OF THE FACE VALUE
THE APPLICATION MUST BE FOR A MINIMUM OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

Initial Public Issue of 34,40,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 Each (**"Equity Shares"**) of Sudarshan Pharma Industries Limited (**"Our Company" or "The Issuer Company"**) for cash at a price ₹ 72 Per Equity Share (Including a Share Premium of ₹ 62 Per Equity Share) (**"Issue Price"**) aggregating to ₹ 2476.80 Lakhs (**"The Issue"**), of which 1,76,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 Each for a cash price of ₹ 72 Per Equity Share, aggregating to ₹ 126.72 Lakhs will be reserved for subscription by market maker (**"Market Maker Reservation Portion"**). The Issue less the market maker reservation portion I.E. Issue of 32,64,000 Equity Shares of face value of ₹ 10 Each at an Issue Price of ₹ 72.00 Per Equity Share aggregating to ₹ 2350.08 Lakhs (**is hereinafter referred to as the "Net Issue"**). The Issue and the net Issue will constitute 25.49 % and 25.13 %, respectively of the Post Issue paid up Equity Share capital of our company.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE PROSPECTUS, THE APPLICATION FORMS, THE ABRIDGED PROSPECTUS AND GENERAL INFORMATION DOCUMENT SHALL BE READ IN CONJUNCTION WITH THIS CORRIGENDUM.

For **SUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LIMITED**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Hemal V. Mehta
Managing Director

Place: Mumbai
Date: June 17, 2019

Sudarshan Pharma Industries Limited subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.focl.in, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com/emerge, and website of the Issuer Company at www.sudarshanpharma.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "*Risk Factors*" beginning on page 24 of the Prospectus, which has been filed with ROC.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Roka

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

SBC EXPORTS LIMITED

Our Company was incorporated as "SBC Exports Limited" on January 18, 2011 at Uttar Pradesh as a Public Limited Company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated January 18, 2011 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttarakhand and Later on, the Certificate of Commencement of Business was issued on 23rd February, 2011 by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh and Uttarakhand. For further details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "Our History and Corporate Structure" beginning on page 51 and page 142 respectively of the Prospectus.

Corporate Identification Number: U18100UP2011PLC043209
Registered Office: House No.-20, Lohiya Talab, Choti Basahi, P.O. Vindhyachal Mirzapur, Uttar Pradesh-231307
Corporate office: 49/95, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010 **Tel:** 0120-2895246
Email: info@sbcel.com Website: www.sbcexportslimited.com **Contact Person:** Mr. Hari Om Sharma, Company Secretary & Compliance Officer

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 29,82,000 EQUITY SHARES OF A FACE VALUE OF RS. 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF SBC EXPORTS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "SBC" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 22/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 12 PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 656.04 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH UPTO 1,50,000 EQUITY SHARES AT AN ISSUE PRICE OF RS. 22 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 33.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF UPTO 28,32,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 22 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 623.04 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 28.18% and 26.76%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS RS. 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS RS. 22/- EACH I.E. 2.20 TIMES OF THE FACE VALUE.
THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF REGULATION 281 READ WITH REGULATION 103(1) THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME.

For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 223 of the Prospectus.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 6,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 6,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE — **OPENS ON MONDAY, JUNE 24, 2019** — **CLOSES ON WEDNESDAY, JUNE 26, 2019**

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016. No cheque will be accepted.

UPI **Now available in ASBA for Retail Individual Investors**

The Issue is being made through the Fixed Price process wherein 50% of Net Issue of the Equity Share offered are reserved for allocation to Applicants below or equal to 2.00 lakhs and the balance for higher amount Applicants. The Issue comprises a Net Issue to Public of 29,82,000 Equity Shares of Rs.10/- each ("the Net Issue") and a reservation of 1,50,000 Equity Shares of 10 each for subscription by the designated Market Maker ("the Market Maker Reservation Portion"). The Issue and the Net Issue will constitute 28.18% and 26.76%, respectively of the Post Issue Paid-up Equity Share Capital of the Company. Allocation to all categories shall be made on a proportionate basis subject to valid Application received at or above the Issue Price. Under subscription, if any, in any of the categories, would be allowed to be met with spill-over from any of the other categories or a combination of categories at the discretion of our Company in consultation with the Lead Manager and Designated Stock Exchange. Such inter-se spill over, if any, would be affected in accordance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. All Investors shall participate in this Issue only through the ASBA process. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" on page no. 232 of the Prospectus. Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF OUR COMPANY : MR. DHEERENDRA KUMAR GUPTA AND MRS. DEEPIKA GUPTA

PROPOSED LISTING: The Equity Shares offered through Prospectus are proposed to be listed on the BSE SME Platform. Our company has received an approval letter dated 30th May, 2019 from BSE for using its name in offer document for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited ("BSE").

SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Draft Offer Document is also filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI on page 218 of the Prospectus.

Disclaimer Clause of BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause of BSE on page 219 of the Prospectus.

IPO GRADING: Since the issue is being made in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 142 of the Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 273 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

SIGNATORIES TO MOA AND AOA:

ORIGINAL SIGNATORIES		CURRENT PROMOTER	
Name	**No. of Shares**	**Name**	**No. of Shares**
Mr. Govindji Gupta	40,000	Mr. Dheerendra Kumar Gupta	25,25,000
Mrs. Deepika Gupta	20,000	Mrs. Deepika Gupta	31,30,000
Mr. Sandeep Kumar Gupta	20,000		
Mrs. Sarika Gupta	5,000		
Mr. Dheerendra Kumar Gupta	10,000		
Mr. Gaurav Gupta	2,500		
Mr. Sudeshwar Kumar Gupta	2,500		

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized share capital of Rs. 1,100.00 Lacs divided in to 1,11,00,000 Equity Shares of Face value of Rs. 10 each, Issued, subscribed and paid up share capital prior to issue is Rs. 760.00 Lacs divided in to 76,00,000 Equity Shares of Rs. 10/- each, Proposed post issue paid up share capital Rs. 1,058.20 Lacs divided in to 1,05,82,000 Equity shares of Rs. 10/- each.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Navigant **NAVIGANT CORPORATE ADVISORS LIMITED** 423, A Wing, Bonanza, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 059 **Tel No.** +91-22-4120 4837 **Email Id-** navigant@navigantcorp.com **Investor Grievance Email:** info@navigantcorp.com **Website:** www.navigantcorp.com **SEBI Registration Number:** INM000012243 **Contact Person:** Mr. Vikas Chhangani	**BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai – 400059, Maharashtra, India. **Tel:** +91 022 – 62638200 **Fax:** +91 022 – 62638299 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration No:** INR000001385 **Contact Person:** Mr. Babu Rapheal	**Mr. Hari Om Sharma** 49/95, Sahibabad Industrial Area Site 4, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010 **CIN:** U18100UP2011PLC043209 **E-mail:** info@sbcel.com **Website:** www.sbcexportslimited.com **Tel. No.** +91-0120-2895246 Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar in case of any pre-Issue or post-Issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary accounts and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.sbcexportslimited.com, www.navigantcorp.com, www.sebi.gov.in and www.bseindia.com respectively.

Availability of Application forms: Application forms can be obtained from the Issuer Company: SBC Exports Limited, Lead Manager: Navigant Corporate Advisors Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 232 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 06, 2019.

For **SBC Exports Limited**
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Mr. Dhereendra Kumar Gupta
Managing Director

Date: 17.06.2019
Place: Mirzapur, Uttar Pradesh

SBC Exports Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at www.sbcexportslimited.com, www.bseindia.com and www.navigantcorp.com respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 25 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Applicants may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

आतंकियों को पैसा

अब तो यह साफ हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद दे रहा है और इस पैसे का इस्तेमाल विशेषरूप से भारत में अशांति और अस्थिरता फैलाने में किया जाता रहा है। हालांकि यह पहले से स्थापित सत्य है और इस बारे में भारत ठोस सबूतों के साथ अपना पक्ष रखता रहा है। दुनिया के दूसरे देश भी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देता है। लेकिन अब तो वे लोग जिन्हें पाकिस्तान से पैसा मिलता रहा है, खुद इस बात को कबूल रहे हैं। इसके अलावा, आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराने पर नजर रखने वाली संस्था- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसने इस दिशा में जो भी कदम उठाए हैं वे दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। हाल में पाकिस्तान के बारे में ऐसी जो खबरें आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान पर चाहे जितना अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। हालांकि हाल में उसने पहली बार आतंकी हमले के बारे में भारत को सूचना देकर दुनिया के समक्ष अपने को भारत के हमदर्द के रूप में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन अब तक का पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, उसे देखते हुए भरोसा करना भी खतरे से खाली नहीं होगा।

जम्मू-कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के समक्ष इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान से उसे जो पैसा मिलता था, उसका इस्तेमाल वह घाटी में सेना और सरकार के खिलाफ महिलाओं से प्रदर्शन करवाने के लिए करती थी। सिर्फ आसिया को नहीं, ज्यादातर अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान सिर्फ इसलिए पैसे देता है कि वे घाटी में अलगाववादी आंदोलन, धरने-प्रदर्शन, पथराव जैसी गतिविधियां चलवाते रहें। इसी पैसे से अलगाववादी नेताओं ने घाटी में कई जगहों पर जायदाद बना ली हैं और बड़े कारोबार खड़े कर लिए हैं। एनआइए जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी संगठनों को मिलने वाले पैसे की गहराई से जांच कर रही है, ताकि पैसे के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके। यह जांच इसलिए जरूरी हो गई थी कि अब तक अलगाववादी संगठनों के नेता यही कहते आए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से इस तरह की कोई मदद नहीं मिलती और उनका मकसद आजाद कश्मीर के लिए संघर्ष है। पाकिस्तान भी यही कहता रहा है कि वह किसी आतंकी या अलगाववादी संगठन को मदद नहीं देता है। लेकिन एनआइए की जांच और अलगाववादी नेताओं के कबूलनामे ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है।

आतंक पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि आतंकी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो। एफएटीएफ ने आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद रोकने के लिए पाकिस्तान के लिए सत्ताईस मानक तय किए थे। लेकिन पाकिस्तान इनमें से पच्चीस मानकों पर खरा नहीं उतरा है। जाहिर है, आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद रोकने की जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई, उस पर वह खरा नहीं उतरा। एफएटीएफ ने साल भर पहले पाकिस्तान को निगरानी सूची में डाल दिया था। लेकिन साल भर में पाकिस्तान सरकार ऐसा कोई ठोस काम नहीं कर पाई जिससे लगता कि वह आतंकी संगठनों पर लगाम कस रही है। हाल में एफएटीएफ की बैठक में भारत ने वे सारे ठोस सबूत रखे हैं जो यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि कैसे पाकिस्तान घाटी में अलगाववादियों को पैसा पहुंचा रहा है। एफएटीएफ के कड़े रुख से पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए कि अगर वह आतंकी संगठनों की मदद करना बंद नहीं करेगा तो उसे इसकी भारी कीमत चुकाने को तैयार रहना चाहिए।

मिसाल बेमिसाल

कहते हैं- जहां चाह, वहां राह। वाकई इसमें कोई शक भी नहीं है। दुनिया में ऐसे जुनूनी लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने दम पर समाज को, व्यवस्था को बदल, कुछ नया करके इतिहास में नाम दर्ज कराया है। ऐसे जीवटता वाले लोग ही संकल्प करते हैं और उसे पूरा कर-के दिखाते हैं। ऐसी शख्सियतें किसी सरकारी मदद की भी मोहताज नहीं होतीं। ये प्रेरणा के ऐसे स्रोत हैं जो अपने बूते समाज के लिए ऐसे बड़े काम कर जाते हैं जो दुनिया के सामने मिसाल बनते हैं और लोगों को रास्ता दिखाते हैं। अक्सर हमें ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने-सुनने को मिलता है और जब हम उनके काम को कसौटी पर परखते हैं तो लगता है कि यह असंभव नहीं था। इसके लिए लगन, मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा की जरूरत होती है, जिसका आज हर जगह समाज, नागरिक संगठनों से लेकर सरकार तक में अभाव दिखाई दे रहा है। आज जब देश में अधिसंख्य प्राथमिक स्कूल खस्ताहाल हैं, एक सरकारी शिक्षक ने यह साबित कर दिखाया कि चाहें तो हम खुद नागरिकों के सहयोग से स्कूलों को खड़ा कर सकते हैं। इस शिक्षक की यह उपलब्धि दूसरों के लिए मिसाल है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक बेहद पिछड़े गांव अर्जुनपुर गढ़ा में जिस तरह से एक प्राथमिक विद्यालय को अकेले एक शिक्षक की पहल और प्रयास ने आज आदर्श विद्यालय बना दिया, वह मामूली काम नहीं है। इस काम में उन्हें साढ़े तीन दशक का लंबा वक्त लगा, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं छोड़े, हिम्मत नहीं हारी और व्यवस्था के सामने अपने को टिकाए रखा। इस शिक्षक ने 1982 में जब यहां नौकरी शुरू की, तब स्कूल की इमारत जर्जर थी और उस पर गांव वालों का कब्जा था। बच्चे आने का तो सवाल ही नहीं था। ऐसे में और कोई शिक्षक होता तो शायद दी ऐसा जोखिम लेता। लेकिन इस शिक्षक ने इस विद्यालय के कायाकल्प का संकल्प किया, जिसका सुफल आज गांव को मिल रहा है। आज गांव के इस स्कूल में बड़ा बगीचा, बच्चों के लिए भोजन कक्ष, साफ-सुथरा माहौल जैसी सुविधाएं तो हैं ही, सबसे बड़ी चीज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। इस जीवट वाले शिक्षक के सामने बुनियादी सुविधाएं जुटाने से भी सबसे बड़ी चुनौती तो यह थी कि बच्चों को कैसे स्कूल लाया जाए, कैसे उनके परिवारों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन इसमें अंततः कामयाबी हासिल हुई। आज यहां बच्चों को पढ़ाई के अलावा बागवानी, स्वच्छता जैसे कामों से भी जोड़ा जाता है। इस विद्यालय ने जिस तरह अपने को खड़ा किया, उससे दूसरे स्कूलों को सीखने की जरूरत है।

ऐसी चुनौतियां जीवन में तब आती हैं जब हमारे पास कुछ होता नहीं है और हमारे सपने और लक्ष्य काफी बड़े होते हैं। तभी रास्ते बनते हैं। सिर्फ स्कूल इसके उदाहरण नहीं हैं। अगर सरकार ने दशकों तक सड़क नहीं बनाई तो गांव वालों ने खुद ही पहल की और पहाड़ खोदते हुए सड़क तक बना लीं। ऐसा एक नहीं कई जगह हुआ। दशरथ मांझी की कहानी हम सब जानते हैं। लोगों ने अपने बूते तालाब तक बना डाले। आज गांवों में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। पीने के पानी का इंतजाम नहीं है। सड़कें नहीं हैं। हालत यह है कि सरकारें और जनप्रतिनिधि कभी ऐसे इलाकों में जाकर सुध तक नहीं लेते। इसलिए लोगों को ऐसा बीड़ा उठाने को मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जनभागीदारी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या भ्रष्ट और निकम्मे सरकारी तंत्र को इससे कुछ सीखना नहीं चाहिए!

कल्पमेधा

कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे या न दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है।
-एपीजे अब्दुल कलाम

बिजली वाहनों का भविष्य

अतुल कनक

> बिजली से चलने वाले तंत्र के विकास के बाद कारें काफी महंगी हो जाएंगी और यह बढ़ी हुई कीमत आम ग्राहक को आकर्षित नहीं कर सकेगी। भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए 'क्रेडिट प्वाइंट' जैसी सुविधा या टोल टैक्स आदि में कुछ खास किस्म की छूट का प्रावधान कर सकती है। चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ के सदस्यों की तरह इन वाहनों की खरीद पर सबसिडी देने का विचार फिलहाल भारत सरकार का नहीं है।

इस आवश्यकता को बहुत दृढ़ता के साथ रेखांकित किया जा चुका है कि सड़कों पर पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों, विशेषकर कारों और दुपहिया वाहनों को बिजली से चलने वाले वाहनों से विस्थापित किया जाना चाहिए। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि यदि ऐसा कर पाना संभव हो सका तो पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद में खर्च होने वाला देश का बहुत सारा धन भी बचाया जा सकता है। एक बार फिर सड़क परिवहन मंत्रालय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बात की पूरी संभावना है कि वह 'इलेक्ट्रिक व्हीकल्स' यानी बिजली से चार्ज होकर चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने की अपनी योजना को ठोस रूप देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।

भारत ही नहीं दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रति जागृति आई है और उन वाहनों को बेहतर विकल्प माना जा रहा है जिनकी बैटरी को बिजली से चार्ज करके आसानी से चलाया जा सकता है। चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों ने तो ऐसे वाहनों की खरीद पर आर्थिक प्रोत्साहन (सबसिडी आदि) देना भी प्रारंभ कर दिया है। भारत में भी कुछ प्रमुख कार उत्पादकों ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल की है। बिजली से चलने वाले वाहन चूंकि भविष्य की जरूरत हैं और इस क्षेत्र में व्यापार की नई संभावनाएं छिपी हैं, इसलिए कुछ बड़ी कंपनियों ने तो इस दिशा में शोध, प्रयोग और अनुसंधान हेतु अच्छा खासा निवेश भी कर दिया है। उधर, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी ने कुछ दिन पहले ही एक अप्रैल 2020 के बाद डीजल गाड़ियों का उत्पादन शनैः शनैः बंद कर देने का एलान कर दिया था। यह वह तारीख है जब वाहनों के लिए भारत-6 (बीएस-6) मानक अस्तित्व में आ जाएगा। तब मानकों के अनुसार डीजल इंजन बनाना डेढ़ लाख रुपए तक महंगा हो जाएगा।

दरअसल, पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल से चलने वाले वाहन पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 के अनुसार दुनिया भर में सबसे प्रदूषित वायु वाले पंद्रह शीर्ष शहरों में से दस शहर भारत के हैं। इसने भी नीति-नियंताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे हवा में वाहनों के कारण फैलने वाले प्रदूषण के समाधान के बारे में सोचें। लेकिन शहरों के विस्तार के कारण सभी वाहनों पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। बेशक सार्वजनिक परिवहन एक समुचित समाधान हो सकता है, लेकिन नागरिकों को निजी वाहनों के उपयोग से पूर्णतः वंचित कर देना किसी भी दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकेगा।

ऐसे में बिजली से चलने वाले वाहन एक श्रेष्ठ विकल्प हो सकते हैं। भारत की योजना यह है कि सन 2030 तक सड़कों पर मौजूद वाहनों में से तीस प्रतिशत वाहन बिजली से चलने वाले हों। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। बिजली से चलने वाले तंत्र के विकास के बाद कारें काफी महंगी हो जाएंगी और यह बढ़ी हुई कीमत आम ग्राहक को आकर्षित नहीं कर सकेगी। भारत सरकार इस समस्या के समाधान के लिए 'क्रेडिट प्वाइंट' जैसी सुविधा या टोल टैक्स आदि में कुछ खास किस्म की छूट का प्रावधान कर सकती है। चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ के सदस्यों की तरह इन वाहनों की खरीद पर सबसिडी देने का विचार फिलहाल भारत सरकार का नहीं है। यों बीएस-6 मानक लागू होने के बाद डीजल कारों की कीमत में प्रत्याशित वृद्धि भी बिजली से चलने वाली कारों को प्रोत्साहित कर सकती है। यहां यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि कुछ साल पहले तक भारत में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बहुत अंतर रहा करता था। पेट्रोल की तुलना में डीजल बहुत सस्ता हुआ करता था। लेकिन अब स्थिति वैसी नहीं है।

लेकिन बिजली से चलने वाले वाहनों की खरीद के बाद ही उपभोक्ता वाहन के अपरिमित उपयोग के प्रति निश्चिंत नहीं हो सकेगा। बिजली से चलने वाली कारों में जिस लीथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है, उस बैटरी को एक बार पूरी तरह चार्ज करने के बाद सामान्य परिस्थितियों में कार को दो सौ से तीन सौ किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। सामान्यतः शहरों में तीस से लेकर चालीस किलोमीटर तक गाड़ी प्रतिदिन चलती है। ऐसे में यह स्थिति पहली नजर में तो आदर्श प्रतीत होती है कि एक बार गाड़ी को चार्ज करने के बाद उसे अपनी मंजिल तक ले जाया जाए। लेकिन एक बार बैटरी खत्म होने के बाद उसे पूरी तरह चार्ज करने के लिए पूरी रात चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार द्रुत गति से चार्ज करने वाले चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरी बीस से पच्चीस मिनट में पूरी तरह चार्ज हो सकती है। लेकिन यदि बार-बार यह फास्ट चार्जिंग की गई तो इससे बैटरी पर बुरा असर पड़ेगा और वह अपेक्षाकृत कम समय तक ही चल पाएगी। उधर, पेट्रोल या डीजल खत्म होने पर किसी भी नजदीकी पेट्रोल-डीजल स्टेशन पर, जिनकी संख्या बहुत है, मनमाफिक ईंधन भरवाया जा सकता है। लेकिन देश में अभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बहुत कम है और ऐसे में यदि बिजली से चलने वाली कार से किसी परिवार को लंबी यात्रा करनी पड़े तो उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

चार्जिंग में लगने वाले समय से बचने के लिए एक उपाय यह भी हो सकता है कि ऐसे विश्वसनीय स्टेशन विकसित किए जाएं जो डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की हुई बैटरी उपलब्ध करा सकें। हालांकि कुछ कंपनियों ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन भारत में शहरों की दूरियां, सड़कों की हालत और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लोगों की आतुरता की प्रवृत्ति को देखते हुए इस दिशा में बहुत काम करना शेष प्रतीत होता है। विकसित देशों में सामान्यतः एक बैटरी एक लाख साठ हजार किलोमीटर या आठ वर्ष तक काम करती है। भारत में ये बैटरियां उपभोक्ताओं का कितना साथ निभा सकेंगी, यह आने वाला समय बिताएगा। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद बेकार हुई बैटरियों से निबटना भी समूची व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती होगा। प्लास्टिक कचरे से निबट रही दुनिया के सामने बेकार बैटरियों का ढेर लग जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि कारों के लिए बेकार हो चुकी बैटरियों को अन्य उपयोग में लाने के रास्ते सोचे जाएं। चीन और यूरोपीय संघ में तो कानून बना कर इन बैटरियों के समुचित व्यवस्थापन के लिए कार मालिकों को ही जिम्मेदार बनाया गया है और चीन में तो कुछ लोगों ने कार की बैटरियों को घरेलू उपयोग में लाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण काम भी किए हैं।

यदि बिजली से चलने वाली कारें बड़ी संख्या में भारत की सड़कों पर आईं तो बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी आवश्यक होगी और कुछ शहरों को छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति को हासिल कर पाना बहुत दुरूह लगता है। बेशक जिन लोगों के घरों में गैरेज हैं या जो अपने घर के भीतर कार खड़ी करते हैं, वो रात भर में बैटरी सहजता से चार्ज कर सकेंगे, लेकिन जो लोग अपने घर के बाहर गली में वाहन खड़ा करते हैं या अपने घर से दूर कार खड़ी करते हैं, उनके लिए वाहन की बैटरी को नियमित रूप से चार्ज करना बड़ी परेशानी का कारण बनेगा।

लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद डीजल और पेट्रोल के कारण होने वाले वायु प्रदूषण ने माहौल को जिस तरह दमघोंटू बना दिया है, उसे देखते हुए बिजली से चलने वाले वाहन हमारे समय की एक बड़ी जरूरत बन गए हैं। देखना है, सड़क पर बिजली से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ा कर पेट्रोल-डीजल वाहनों की संख्या कम करने की सरकार की यह पहल कब और कैसा रंग दिखाती है?

मौसम की मार

अमरेंद्र कुमार राय

दुनिया मेरे आगे

प्राथमिक विद्यालय में एक कविता पढ़ी थी- 'एक बार छिड़ गई बहस, हवा और सूरज में, कौन अधिक बलवान, शक्तिशाली है हममें-तुममें।' बहस हो ही रही है कि हवा की नजर एक व्यक्ति पर पड़ जाती है। फिर हवा और सूरज बारी-बारी से उस व्यक्ति पर बल दिखाते हैं। हवा की रफ्तार का तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन सूरज की गरमी की वजह से वह व्यक्ति बुरी तरह त्रस्त हो जाता है और अपने शरीर से ज्यादातर कपड़े उतार कर आखिर एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि सूरज जीत चुका था। हवा ने भी मान लिया कि सूरज उससे ज्यादा ताकतवर है।

वह कविता अब वर्षों बाद याद आई। साढ़े नौ बजे घर से दफ्तर के लिए निकला तो सोचा, जूता-मोजा पहनने से गरमी ज्यादा लगती है, इसलिए चप्पल पहन ली। मोटरसाइकिल पर बैठा तो थोड़ी ही देर बाद लगा कि गलती हो गई। शरीर का जो भी अंग खुला था, जलने लगा। पांव, हाथ, नाक-मुंह सब। जिस तरफ धूप थी, उधर तपन ज्यादा थी। बल्कि अपनी ही परछाईं से थोड़ा आराम मिल रहा था। लगा, आज फिर सूरज और हवा ने जोर-आजमाईश करने की ठान ली है। हवा तो तेज चली नहीं, हो सकता है कि सूरज ने कहा हो कि पिछली बार तुमने पहले अपना जोर दिखाया था, इस बार मैं पहले अपनी ताकत दिखाऊंगा। और वह दिखा रहा है। शाम होते-होते पता चल गया कि दिल्ली में अब तक का सबसे ज्यादा गरम दिन रहा। पारा 48 डिग्री सेल्शियस तक पहुंच गया।

दिल्ली में करीब पैंतीस साल से रह रहा हूं, पर ऐसी गरमी इससे पहले कभी महसूस नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले एक सुबह दरवाजा खोलते ही तपिश महसूस हुई थी। हालांकि तब सूरज की किरणों में तीखापन कम था। ऐसी गरमी एक बार वर्धा में महसूस की थी। वहां एक कार्यक्रम में शरीक होने गया था। विश्वविद्यालय के गेट पर बैठ कर चाय पी रहा था कि एक साहित्यकार मित्र आए और उन्होंने बताया कि यहां गरमी बहुत पड़ती है। सूरज उगने के साथ ही यहां बैठना मुश्किल हो जाता है। मैंने गौर किया कि वाकई वहां सामान्य से अधिक गरमी थी। विश्वविद्यालय परिसर के ज्यादातर मकान दोमंजिला या उससे ज्यादा ही थे। शायद वहां की भीषण गरमी को देखते हुए ही यह व्यवस्था की गई होगी। नीचे के कमरों में ताप कम पहुंचता है। गरमी इतनी थी कि कार्यक्रम में जाने से पहले मैंने दोपहर का खाना न खाने में ही भलाई समझी। वहां कुछ दिन और रुकने का मामला था। लेकिन गरमी देख कर मैंने वहां न रुकने का ही फैसला किया।

इसी तरह, एक बार पत्रकारिता की एक यात्रा के दौरान जोधपुर होते हुए जैसलमेर गया था। शाम को पुरानी दिल्ली से एक ट्रेन चलती थी। वह सुबह जोधपुर पहुंचाती थी। जोधपुर से भी रात को एक ट्रेन चलती थी जो सुबह जैसलमेर पहुंचाती थी। जैसलमेर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक जगह रास्ते में दोपहर का खाना खाने के लिए टेंट लगा कर इंतजाम किया गया। वहां इतनी गरमी थी कि पसीना पोंछना और खाना लगभग नामुमकिन था। वहां से आगे बढ़े तो पानी और ठंडे पेय की ढेर सारी बोतलें बस में भर ली गईं। लोग कहने लगे कि इतने की क्या जरूरत है! लेकिन करीब चार-पांच घंटे के भीतर ही सारा पानी और ठंडे पेय की बोतलें खाली हो गईं। सबका गला सूखने लगा।

बहरहाल, गंतव्य पर पहुंचने पर जान में जान आई। वर्धा और जैसलमेर में तो गरमी एक सामान्य तथ्य है। कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं रेगिस्तानी। मगर दिल्ली क्यों इतनी तप रही है? ऐसी हवाई बातें बताई गईं कि पाकिस्तान से गरम हवाएं आ रही हैं। यह कोई नहीं बता रहा कि अगर हवा पश्चिम से आएगी तो मैदानी इलाकों की हवा में तपन ज्यादा होती ही है। यह भी बताना जरूरी नहीं समझा गया कि दिल्ली जैसे शहरों में जितने एयरकंडीशनरों का इस्तेमाल हो रहा है, उनसे निकली हवा इस गरमी को और ज्यादा मारक बनाने में क्या भूमिका निभा रही होगी।

इसके अलावा, हम जो पेड़ काट रहे हैं, उसकी वजह से न केवल दिल्ली, बल्कि पूरी दुनिया में गरमी बढ़ रही है। कुछ दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि पचास डिग्री सेल्शियस गरमी के बाद एयरकंडीशनर काम करना बंद कर देते हैं, बावन डिग्री तापमान होने के बाद चिड़ियां मर जाती हैं, पचपन डिग्री तापमान होने पर इंसान का खून उबल जाता है और वह मरने की हालत में पहुंच जाता है। जंगलों को काटना इसकी सबसे बड़ी वजह है। क्या हम अभी भी चेतेंगे? इसमें दी गई जानकारी जितना तथ्य है, उससे ज्यादा यह चेतावनी कि अगर हमने प्रकृति की अनदेखी और पेड़ों का कत्लेआम जारी रखा तो आने वाले दिनों की कल्पना करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए।

हिंदी की राह

जिस हिंदी को जानने-समझने और सीखने के लिए दुनिया के तमाम देश आतुर हैं, उसी हिंदी को लेकर उसके देश के कुछ हिस्सों में हिचक दिखाई देना चिंता की बात है। तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े बनते उपभोक्ता बाजार के नाते तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कारोबार के लिए भारत का रुख कर रही हैं। यहां कारोबार चलाने की खातिर के लिए वे भाषा की दिक्कत दूर करने के लिए हिंदी भाषी कर्मचारियों को तवज्जो दे रही हैं लेकिन हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर दक्षिण के राज्यों में विरोध शुरू हो गया। यह बात और है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए वे अपना साहित्य हिंदी में पढ़ाने के लिए बेसब्र रहते हैं और अपनी फिल्मों को हिंदी में तैयार करा कर करोड़ों के वारे-न्यारे करते हैं। यह दोगलापन इस तथाकथित विरोध को सियासी ठहराने के लिए काफी है।

दक्षिण के राज्यों के विरोध के चलते केंद्र सरकार हिंदी को व्यापक बनाने के अपने दायित्व से पीछे हट जाती है तभी तो उसे त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी की अनिवार्यता खत्म करनी पड़ी। अब सरकार के इस कदम का विरोध भी शुरू हो गया। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने के मकसद से नई शिक्षा नीति को तैयार करने वाली समिति के दो वरिष्ठ सदस्यों ने बगैर सहमति त्रिभाषा फॉर्मूले से हिंदी को हटाए जाने का विरोध किया है। ऐसे में हिंदी के प्रति दक्षिणी राज्यों की इस हिचक की पड़ताल एक बड़ा मुद्दा है। हिंदी भारत ही नहीं, बल्कि विश्व में सर्वाधिक लिखी, बोली और समझी जाने वाली प्रथम भाषा के रूप में स्वीकार की गई है। भारत सहित एक सौ बत्तीस देशों के लगभग एक अरब लोगों की भाषा हिंदी है।

ऐसे में हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत हिंदी की अनिवार्यता समाप्त करने का जो संकेत सार्वजनिक किया गया है, शोचनीय है। शासन स्तर पर कस्तूरीरंगन समिति की ओर से त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत हिंदी के अस्तित्व-अस्मिता पर प्रहार करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से हिंदी की अनिवार्यता समाप्त करने का अर्थ है, भारत की भावनात्मक एकता को आघात पहुंचाना। वैसे त्रिभाषा सूत्र कोई नया प्रयोग नहीं है ऐसे में हिंदी की राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में दिख रही भूमिका प्रभावहीन बनकर रह जाएगी। लिहाजा, ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से बचते हुए इसके समाधान की जरूरत है।

● दिपिका शर्मा, सूरजकुंड, गोरखपुर

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

चौपाल

डॉक्टरों के साथ

कोलकाता के नीलरतन सरकार अस्पताल में दस जून को एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद जिस तरह जूनियर डॉक्टरों पर धावा बोला गया है, वह गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है। कुछ डॉक्टर घायल हुए, कुछ की तो जान पर बन आई। कायदे से सरकार को ऐसी अराजकता रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाने चाहिए थे, पर वोट बैंक के चलते उसने हीलाहवाली ही दिखाई। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार राजनीतिक हित साधने के फेर में अपने मूल दायित्व को ही भूल गई। सरकार ने हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय डॉक्टरों पर ही कार्रवाई की बात कही जिससे टकराव की नौबत आनी ही थी। निस्संदेह डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन नहीं किया जा सकता, पर उचित होता कि डॉक्टरों को सुरक्षा देकर सरकार उन्हें भय रहित माहौल प्रदान करती और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई करती।डॉक्टरों को भी विचार करना चाहिए था कि हड़ताल करना कितना उचित और कितना नैतिक है? हड़ताल के कारण मरीजों का जीवन संकट में है। डॉक्टरों को अपनी शपथ के विषय में भी तो सोचना चाहिए था। हालांकि डॉक्टरों को अपनी बात कहने या विरोध करने का अधिकार है, पर उनका पेशा उन्हें हड़ताल करने की इजाजत नहीं देता।

● आशुतोष अवस्थी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश

गैरवाजिब नियम!

दुनिया में अमेरिका को छोड़ सभी महाद्वीपों में क्रिकेट का बहुत प्रभाव है जबकि एशियाई देशों में क्रिकेट खेलती टीमों की तादाद बड़ी है। लिहाजा, दर्शकों की संख्या भी बड़ी है। बेशक क्रिकेट के अपने कायदे-कानून हैं मगर जब दर्शक इनका हिस्सा बनता है तो खेल और खिलाड़ियों से जज्बाती रिश्ता बना लेता है। क्रिकेट के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी देख कर दर्शकों का सवाल करना लाजिमी है। अव्वल तो दो छोरों से दो बल्लेबाज भागते हुए एक 'रन' जुटाते हैं जो किसी एक बल्लेबाज के हिस्से में जाता है। इस तरह एक रन के लिए टीम के दो खिलाड़ियों का बेवजह दौड़ना वाजिब नहीं लगता। दूसरी तरफ जान पर खेल कर फील्डर 'कैच' पकड़ता है मगर आउट का सेहरा गेंदबाज के हक में जाता है। वही सवाल स्टंपिंग का है जो दरअसल रन-आउट है, गेंदबाज के खाते में जाना तर्कसंगत नहीं लगता है। ऐसे ही कुछ नाइंसाफी भरे कायदों पर क्रिकेट काउंसिल को गौर करना चाहिए।

● एमके मिश्रा, रातू, रांची, झारखंड

सुधार के बजाय

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए चेतावनी और सजा से लैस सात नियमों वाला एक नोटिस निकाला है। ये सातों नियम सिर्फ अभ्यर्थियों के लिए हैं। आयोग की नजर में सारी समस्याओं की जड़ अभ्यर्थी ही हैं इसलिए उन्हें 'सुधारने' की दिशा में यह 'क्रांतिकारी व अनोखा कदम' उठाया गया है। बेहतर होता यदि इन नियमों के साथ एक नियम आयोग अपने लिए भी जोड़ देता कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आयोग के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता होने पर निलंबन/ बर्खास्तगी की कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

आयोग की यह कवायद पढ़ाई न करने वाले उस अभ्यर्थी की तरह है जो परीक्षाएं नजदीक आते ही अपनी आदतों से परेशान होकर 'व्हाट्सएप' और 'फेसबुक' डिलीट करता है, दोस्तों व घरवालों के फोन नहीं उठाता है और दरवाजे पर 'डू नॉट डिस्टर्ब' का पर्चा चिपका कर सोचता है कि अब पढ़ाई होगी कायदे से...! लेकिन इस कवायद से केवल दो काम होते हैं। पहला, जरूरी किताबों की धूल साफ हो जाती है और दूसरा, आसपास के लोगों में यह संदेश जाता है कि लड़का पढ़ाई के प्रति बहुत गंभीर है!

लेकिन हकीकत में इस कवायद से सिर्फ सोने का समय बढ़ता है क्योंकि जब तक आप सुधार की तलाश अपने से बाहर करते रहेंगे तब तक नाकामयाब ही रहेंगे। यह नियमों वाला नोटिस अखबारों की सुर्खियां बनने से आम लोगों में तो यही संदेश गया कि आयोग ने बहुत बड़ा सुधार किया है लेकिन हकीकत अभ्यर्थी ही जानते हैं।

● राहुल उपाध्याय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

जरा हट के

आइसीसी क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश के मैच के दौरान फोटो खिंचवाती खेल प्रशंसक।

बोल

मुझे लगता है कि मैं उस समाज (राजस्थान) के लिए उम्मीद की किरण बन गई हूं जहां से मैं आती हूं और अब मेरी जैसी लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने में कभी भी डरेंगी नहीं।

-सुमन राव, मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 (बयान में)

विवाद

तेल टैंकरों पर बिना उकसावे वाले हमले अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर खतरा हैं। ये नौसंचालन की आजादी पर निर्मम हमले की तरह हैं। ईरान तनाव बढ़ा रहा है, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता है।

-माइक पोम्पियो, अमेरिकी विदेश मंत्री

सम-सामयिक

नल जल योजना : 'जल शक्ति' से लैस होगा हर घर

जनसत्ता संवाद

केंद्र में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद जल संसाधन मंत्रालय को 'जल शक्ति' बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि आने वाले वक्त में घर-घर पेय जल की उपलब्धता उनकी प्राथमिकता होगी। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने हर घर को पेयजल मुहैया कराने के मिशन का विस्तृत एजंडा प्रस्तुत कर दिया। यह ठीक उसी तरह है, जिस तरह से 'सौभाग्य योजना' के तहत मोदी सरकार ने देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के अपने लक्ष्य को लगभग हासिल कर लिया है।

सरकार ने ग्रामीण भारत में 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य हाथ में लिया है। 'नल जल योजना' के तहत सरकार ने 2024 तक देश के हर घर में पानी की पाइप लाइन और नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग की सलाहकार परिषद की हाल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार का एजंडा रखते हुए कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य राज्यों के साथ मिलकर जल से जुड़े मुद्दों को हल करना है। यह काम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक गांवों में पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की वृद्धि दर 2013-14 में 12 फीसद थी। 2017-18 में इस योजना में 17 फीसद का इजाफा हुआ है।

वर्ष 2024 तक गांवों में हर घर तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाने की योजना को शौचालय निर्माण योजना जैसा भी बताया जा रहा है। अक्तूबर 2014 में ग्रामीण भारत के 33 फीसद घरों में ही शौचालय थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 99 फीसद तक पहुंच गया है। सरकार ने जल पहुंचाने के अलावा उसके संरक्षण और सदुपयोग के लिए भी लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। आमलोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार 'जलदूतों' की नियुक्ति की योजना बनाई है। इससे पहले सरकार ने स्वच्छता मिशन के तहत स्वच्छदूत या स्वच्छाग्रहियों का चयन किया था।

चुनाव से पहले भाजपा ने संकल्प पत्र में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी थी। जल जीवन मिशन का ऐलान किया था। सरकार गठन के बाद सरकार ने इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रिमंडल में इसकी जिम्मेदारी राजस्थान के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। नए जल शक्ति मंत्रालय में जल संसाधन, नदी विकास, गंगा जीर्णोद्धार और पेय जल एवं स्वच्छता विभाग को शामिल किया जा सकता है।

नए मंत्रालय का पहला काम देश में मौजूद जल स्रोतों का संरक्षण करना है। इसके लिए मनरेगा योजना की मदद ली जाएगी। जल स्रोतों को बचाने के लिए कुछ महीने पहले इजराइल और भारतीय अधिकारियों की नीति आयोग के साथ बैठक भी हो चुकी हैं। इजराइल में पाइप लाइन के जरिए लोगों को पेय जल दिया जा रहा है। फिलहाल, भारत में भूजल का चार फीसद पानी पीने और 80 फीसद खेती में इस्तेमाल होता है।

जल शक्ति मंत्रालय के प्रभारी मंत्री शेखावत के मुताबिक, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 2020 तक भारत के 21 शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पानी को राष्ट्रीय संपदा नहीं माना गया है। यह राज्य का विषय है। अभी भारत में ग्रामीण भारत की जरूरत का 90 फीसद भूजल के दोहन से मिलता है। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के बारे में जानकारों का मानना है कि उन्हें मिलकर अपने जल स्त्रोतों के इस्तेमाल का तरीका तलाशना होगा।

2030 तक देश में पानी की मांग दोगुनी

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक, 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। स्वच्छ पेय जल नहीं मिलने से देश में हर साल दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। अनुमान है कि 2030 तक देश में पानी की मांग मौजूदा वक्त से दोगुनी हो जाएगी। अगर इसे पूरा नहीं किया गया तो इससे जीडीपी में छह फीसद तक की गिरावट आ सकती है।

शोध-अनुसंधान

अंतरिक्ष में 2029 तक भारत का निजी स्टेशन

जनसत्ता संवाद

भारत ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की परियोजना पर काम शुरू करने का ऐलान किया है। हाल में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन डॉ. के सिवन ने कहा कि यह गगनयान मिशन का अगला कदम होगा। भारत के आगामी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मद्देनजर निजी अंतरिक्ष स्टेशन की जरूरत मानी जा रही है। इसरो ने दिसंबर 2021 तक तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। इसके लिए गगनयान परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। इसके बाद भारतीय वायुसेना 10 संभावित अंतरिक्षयात्रियों की सूची अगले दो महीने में इसरो को सौंपेगी। इसरो उनमें से तीन का चयन करेगा, जो अंतरिक्ष में जाएंगे।

इन जरूरतों के मद्देनजर चंद्रयान-2 और गगनयान के बाद भारत ने वर्ष 2029 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। अभी दो अंतरिक्ष स्टेशन काम कर रहे हैं। इनमें से एक अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और जापान के सहयोग से चलाया जा रहा- अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (आइएसएस) है और दूसरा चीन का तिआनगोंग-2 है।

इसरो प्रमुख ने कहा, 'हमें गगनयान कार्यक्रम को बनाए रखना होगा, इसलिए वृहद योजना के तहत हम भारत में अंतरिक्ष स्टेशन की योजना बना रहे हैं। हम मानव युक्त चंद्र अभियान के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा होंगे। हमारे पास अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए स्पष्ट योजना है। हम आइएसएस का हिस्सा नहीं हैं। हमारा अंतरिक्ष स्टेशन बहुत छोटा होगा। हम एक छोटा मॉड्यूल लांच करेंगे, जिसका इस्तेमाल माइक्रोग्रैविटी प्रयोग के लिए किया जाएगा।'

इसरो की योजना 20 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन को पृथ्वी से 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित करने की है। इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन

भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में जीएसएलवी मार्क-थ्री रॉकेट का इस्तेमाल करेगा, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में करीब 10 टन तक सामान ले जा सकता है। इसके अलावा स्पेस स्टेशन में कैमरे आदि भी ले जाए जाएंगे। मानवयुक्त अंतरिक्ष स्टेशन से भारत अच्छे गुणवत्ता वाली तस्वीरें हासिल कर सकेगा।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का वजन करीब 20 टन होने की संभावना है। 2022 तक प्रथम गगनयान मिशन के बाद इस परियोजना को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके क्रियान्वयन में पांच से सात साल लगेंगे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को भी पृथ्वी से 400 किमी की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। इसमें अंतरिक्ष यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। दरअसल, अंतरिक्ष स्टेशन एक तरह का मानव निर्मित उपग्रह होता है, जिसमें चालक दल के सदस्यों को रहने की सुविधा होती है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वह लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह सकता है और इसमें अन्य एक उपग्रह से भी जुड़ सकता है। आइएसएस इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसे वर्ष 1998 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था।

इसरो ने अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक योजना पर तीन साल पहले काम शुरू किया था। इसरो ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से भविष्य में इंसानों को एक अंतरिक्ष यान से दूसरे यान में भेजा जा सकेगा। अभी इसका मकसद अंतरिक्ष यानों में ईंधन भरने की सुविधा मुहैया कराना है। बहुउद्देश्यीय होता है अंतरिक्ष स्टेशन। इसे 'ऑर्बिटल स्टेशन' भी कहते है। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाएं हो ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है, जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है।

विश्व परिक्रमा

नस्ली टिप्पणी पर घिरे संपादक

रविवार, 09 जून : 'द अटलांटिक' पत्रिका के संपादक पर लैंगिक और नस्ली भेदभाव के आरोप लगे हैं। पत्रिका के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि दस हजार शब्दों की कवर स्टोरी लिखना कठिन है। अमेरिका में जो पत्रकार लंबी कवर स्टोरी लिख सकते हैं, वे बहुत हद तक श्वेत पुरुष हैं।

दुबई बस हादसा : लाए गए भारतीयों के शव

सोमवार, 10 जून : दुबई में बस हादसे में मरने वाले 12 भारतीयों में से 11 के शव रविवार को भारत भेज दिए गए। 22 वर्षीय एक अन्य भारतीय का खाड़ी अमीरात में ही अंतिम संस्कार किया गया। गौरतलब है कि ओमान से दुबई जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ।

मुगालते में ना रहे अमेरिका : ईरान

मंगलवार, 11 जून : ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को आगाह किया कि तेहरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ने के बाद वह सुरक्षित बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। खाड़ी में तनाव के मद्देनजर ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कड़े शब्दों में अपनी बातें रखी।

शाह महमूद कुरैशी

जरदारी को 11 दिन की हिरासत

बुधवार, 12 जून : पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को फर्जी बैंक खाता मामले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी बैंक अकाउंट मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर की अंतरिम जमानत को बढ़ाने की अर्जी नामंजूर कर दी थी।

चौथी बार नीरव मोदी की जमानत खारिज

गुरुवार, 13 जून : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले मामले में आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी को लंदन की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। जज ने नीरव को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बेल मिली तो सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है।

ईरान का अमेरिका से वार्ता से इनकार

शुक्रवार, 14 जून : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमेनी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का अमेरिका में कोई विश्वास नहीं है और पूर्व में हुए वार्ता के अनुभवों को दोहराना नहीं चाहेगा।

बराबरी के आधार पर करेंगे बात : कुरैशी

शनिवार, 15 जून : पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनका देश भारत से 'समानता के आधार पर' और 'सम्मानजनक तरीके से' ही बात करेगा। अब यह भारत सरकार पर है कि वह पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या रुख अपनाती है।

जानें-समझें

व्यापार युद्ध

भारत-अमेरिका निर्भरता का दांव

दीपक रस्तोगी

अमेरिका के 'नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च' (एनबीईआर) की हाल में जारी 'व्यापार युद्ध और अमेरिकी अर्थव्यवस्था' नामक रिपोर्ट की दुनियाभर में चर्चा है। अमेरिका के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने इस रिपोर्ट में कहा है कि व्यापार युद्ध यानी ट्रेड वॉर अमेरिका के हित में नहीं है। 2018 में व्यापार युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगभग 54 हजार करोड़ रुपए की चोट पहुंची। इस साल यह आंकड़ा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब एक ओर अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध खत्म होने की संभावना बन रही है। दूसरी ओर, अमेरिका ने व्यापार युद्ध का रुख भारत की ओर मोड़ते हुए भारत का जीएसपी लाभार्थी दर्जा खत्म कर दिया। फिर अमेरिका की ओर से एल्युमिनियम और स्टील पर भारत को मिलने वाली छूट वापस ले ली। जवाब में भारत ने 16 जून से 28 अमेरिकी वस्तुओं पर 70 से 120 फीसद तक प्रशुल्क बढ़ाने का फैसला लागू कर दिया।

क्या है भारत की अधिसूचना

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने 30 जून 2017 की अपनी एक पुरानी अधिसूचना को संशोधित करते हुए सरकार ने अमेरिका में उत्पादित या वहां से आयात किए जाने वाले बादाम, अखरोट और दालों सहित 28 विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रशुल्क बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। अमेरिका के खिलाफ जवाबी व्यापारिक कार्रवाई के तहत बढ़ाई गई नई दरें 16 जून से लागू कर दी गईं। इस कार्रवाई से इन वस्तुओं का निर्यात करने वाले अमेरिकी कारोबारी प्रभावित होंगे और भारत में इन वस्तुओं का आयात महंगा हो जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अमेरिका को छोड़ कर बाकी देशों से इन वस्तुओं पर व्यापार में तरजीही देश (एमएफएन) की व्यवस्था के तहत पहले से लागू दरें पूर्ववत बनी रहेंगी। भारत के इस्पात और एल्युमीनियम पर अमेरिका में शुल्क बढ़ाए जाने के बाद सरकार ने अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय पिछले वर्ष 21 जून को ही ले लिया था।

क्या है जानकारों की राय

भारत के अमेरिका से रिश्ते मजबूत रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी। भारत सरकार विकास को लेकर सजग है। वैसे अमेरिका को भारत की जरूरत है और भारत को भी अमेरिका का साथ चाहिए। अमेरिका अब भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वही भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक विकास दर वाला देश है।

- अनूप वधावन, वाणिज्य सचिव

नुकसान की कीमत पर अमेरिका पर निर्भरशील संबंध भारत कतई नहीं चाहेगा। भारत-अमेरिका के बीच कारोबारी तनाव कम करने के लिए बेहतर यही होगा कि दोनों देश वाणिज्यिक वार्ता को आगे बढ़ाएं। भारत अमेरिका से आयात होने वाले उन्नत तकनीक से लैस स्मार्टफोन, सूचना एवं संचार तकनीक से जुड़े उत्पाद आदि पर आयात शुल्क घटाए।

- अपर्णा पांडे, प्रतिनिधि, अमेरिकी थिंक टैंक 'हडसन इंस्टीट्यूट'

हम आशा करें कि भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्यिक और कूटनीतिक प्रयासों से द्विपक्षीय कारोबारी संबंधों का तनाव कम होगा। इससे दोनों देशों के मध्य आपसी कारोबार को सालाना 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को साधने में भी मदद मिलेगी। दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण आपसी कारोबार व निवेश संबंधों के कारण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इनकी अर्थव्यवस्थाएं भी सुदृढ़ होंगी।

- जी बालाचंद्रन, आइडीएसए में फेलो

पांच बार भारत ने दिया मौका

भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक और वाणिज्यिक बातचीत 2015 में शुरू हुई थी। दो सालाना बैठकों के बाद यह फैसला हुआ है कि कारोबार संबंधी मसलों को सुलझाने के लिए अलग से भारत-अमेरिका वाणिज्यिक बातचीत होगी। 2018 में दोनों देशों के बीच कारोबारी मसलों पर खींचतान बनी रही। भारत-अमेरिका के बीच कारोबार संबंधी विवाद जुलाई, 2018 में उच्च स्तर पर पहुंच गया, जब भारत ने 29 कृषि उत्पादों (16 जून की अधिसूचना में भारत ने इन उत्पादों में से झींगा को बाहर कर दिया) पर शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिका से आने वाले सेब, जैतून और अखरोट पर 50 फीसद ज्यादा कर लगाने के अलावा कुछ औद्योगिक उत्पाद भी निशाने पर रहे हैं। भारत ने इन उत्पादों पर कर लगाने का फैसला पांच बार टाला है।

अमेरिकी कार्रवाई की वजह

हाल में अमेरिका ने भारत से 'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज' (जीएसपी) कार्यक्रम के लाभार्थी का दर्जा वापस ले लिया। अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम में शामिल देशों को विशेष तरजीह दी जाती है और अमेरिका इन देशों से एक तय राशि के आयात पर कोई शुल्क नहीं लेता। इसके तहत भारत को 5.6 अरब डॉलर (लगभग 40 हजार करोड़ रुपए) के निर्यात पर छूट मिलती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि उन्हें भारत से यह भरोसा नहीं मिला कि वह अपने बाजार में अमेरिकी उत्पादों को इसके बराबर की छूट देगा।

अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और भारत

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का लाभ भारत को मिल रहा है। एक-दूसरे के उत्पादों पर प्रशुल्क बढ़ाने के बाद से इन देशों को भारत से निर्यात बढ़ा। जून से नवंबर 2018 के बीच चीन को होने वाले निर्यात में 32 फीसद और अमेरिका को होने वाले निर्यात में 12 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जून-नवंबर 2017 की अवधि में भारत से चीन को 637.40 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। लेकिन व्यापार युद्ध के बाद जून-नवंबर 2018 में चीन को होने वाला निर्यात बढ़कर 846.40 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया।

व्यक्तित्व

प्रमिला बिसोई : आंगनवाड़ी से संसद तक का सफर

जनसत्ता संवाद

लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं सांसद बनी हैं। इसमें एक नाम ओड़ीशा की प्रमिला बिसोई का भी है। प्रमिला बिसोई अस्का से सांसद हैं। प्रमिला बिसोई ने बीजू जनता दल (बीजेडी) के टिकट पर वहां से लगभग दो लाख वोटों की बढ़त के साथ जीत हासिल की। उनकी जीत इस मायने में खास है, क्योंकि उन्होंने खुद के दम पर आंगनवाड़ी कर्मी से सांसद तक का सफर तय किया है। इसे सही मायने में महिला सशक्तिकरण का मजबूत चेहरा बताया जा रहा है। 70 साल की प्रमिला बिसोई आंगनवाड़ी में खाना बनाने का काम करती थीं।

प्रमिला की शादी पांच साल की उम्र में ही कर दी गई थी। इस कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकीं। इसके बाद प्रमिला ने गांव में ही आंगनवाड़ी में रसोइया (कुक) का काम करना शुरू कर दिया। काम करने के दौरान उन्होंने गांव में ही एक स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की, जिसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। वे एक बेहद साधारण परिवार से हैं। उनके पति चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी थे। उनका बड़ा बेटा चाय की दुकान और छोटा बेटा गाड़ियों की रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। प्रमिला के पास एक एकड़ से भी कम जमीन है और उनका परिवार एक टिन की छत वाले घर में रहता है।

वर्ष 2001 में वे बीजू जनता दल की योजना 'मिशन शक्ति' से जुड़ीं और उसकी प्रतिनिधि बन गईं। वे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने लगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ स्वास्थ्य, सफाई जैसे मुद्दों पर काम करती रहीं और लोगों को जागरुक बनाती रहीं। सांसद चुने जाने से पहले करीब पांच दशकों से वे गांव में प्रसूति और उसके बाद मां-बच्चे की देखभाल में हमेशा आगे रही हैं। इसी कारण गांव वाले उन्हें प्यार से 'परी मां' पुकारते हैं।

वे 15 साल से लोगों की सेवा कर रही हैं। वे अस्का ब्लॉक के स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं। इसमें करीब सात सौ समूह है।

उन्होंने गांव की गरीब महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। प्रमिला ने न सिर्फ खुद को सशक्त बनाया, बल्कि बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है।

चुनाव के दौरान प्रमिला बिसोई की उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था, 'यह मिशन शक्ति से जुड़ी लाखों महिलाओं के लिए एक उपहार है।' प्रमिला सांसद बन चुकी हैं लेकिन उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। हालांकि लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, और इसी उम्मीद ने उन्हें संसद तक पहुंचाया है।

कोप -14 का आयोजन सितंबर में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 जून।

दुनिया में बढ़ रहे मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कॉफ्रेंस ऑफ पार्टी (कोप-14) की बैठक भारत में होगी। सोमवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि कोप-14 की मेजबानी भारत करेगा और इस बैठक में दुनिया भर के पांच हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक 2 से 14 सितंबर तक होगी। बैठक में दुनियाभर के विशेषज्ञ जमीन के मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए हो रहे प्रयासों पर मंथन करेंगे। मंत्री विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत मरुस्थलीकरण को रोकने की इस मुहिम की अगुआई करेगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में एक संकट है कि जमीन जो उपजाऊ थी, अब वह उपजाऊ नहीं रही है। जमीन में बहुत ज्यादा रासायनिक खाद और दवाएं डाली जा रही हैं। इस वजह से जमीन की गुणवत्ता खराब हो रही है। जमीन को बचाने के लिए योजनाओं और विचारों को साझा करने के लिए यह कोप-14 की एक अच्छी पहल है। इस पहल से खराब जमीन को सुधारा जा सकेगा और मरुस्थलीकरण को रोका जा सकेगा। इस सम्मेलन में करीब 5 लाख दर्शक भी आएंगे।

जावडेकर ने कहा कि भारत की विशेषता है कि दुनिया की 17 फीसद आबादी व 20 फीसद पशु केवल 2.5 फीसद जमीन पर बसते हैं। हमारे देश को मानसून के दौरान दुनिया का केवल एक फीसद पानी मिलता है। उन्होंने बताया कि इसके बाद भी भारत ने बीते पांच साल में अन्न उत्पादन में इजाफा किया है। पहले हम दूसरे देशों से अन्न खरीदते थे। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इसके लिए योजनाएं बनी हैं। देश में जमीन की जांच का प्रावधान किया गया है। इस जांच के बाद जमीन को उर्वर बनाने की दिशा में काम किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त देश में केंद्र सरकार ने पानी की उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की है, इसके लिए एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। इन प्रयासों से पांच साल में जंगल के अंदर व बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ी है। जमीन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार 14 करोड़ किसानों को 6 हजार रुपए दे रही है। इससे जमीन की हालत को बेहतर रखा जा सकेगा। हमारे देश की माली हालत सुधारने के लिए इन कार्यक्रमों को अपनाया गया है।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि मरुस्थलीकरण को रोककर तेजी से बढ़ते जा रहे तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। यूरोप के 24 देशों में करीब 29.3 फीसद जमीन ऐसी है जो धीरे-धीरे मरुस्थल में तब्दील हो रही है। यह हालत भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही है और इस वजह से सीधे तौर पर पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है।

मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने दिया नोटिस

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इन्सेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत की खबर पर सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। आयोग ने चार हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है।

बिहार में एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से करीब 103 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं चिकित्सकों की हड़ताल के कारण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से मरने वाले बच्चों की बढ़ती संख्या का स्वतः संज्ञान लिया है।'

मानवाधिकार आयोग ने बयान जारी कर बताया कि आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय के सचिव और बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए जापानी इन्सेफ्लाइटिस वायरस, एक्यूट इन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम पर नियंत्रण व रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को लागू करने की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी गई है।

देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का खासा असर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

पश्चिम बंगाल हुए में डॉक्टरों पर हिंसा के खिलाफ आइएमए के आह्वान पर देश भर में हुई चिकित्सकों की हड़ताल का व्यापक असर पड़ा। दिल्ली सहित देश के तमाम राज्यों में डॉक्टरों ने कामकाज ठप रखा। केवल इमरजेंसी सेवाएं ही चली।

कई मरीजों के आपरेशन टल गए। मरीज इलाज के लिए दर-दर भटकते रहे। ज्यादा गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में देखा गया। कुछ जगहों पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने ओपीडी संभाली। लेकिन ज्यादातर जगहों पर सन्नाटा रहा। इस बीच आइएमए ने मुख्यालय पर धरना दिया व केंद्र सरकार से मांग की कि 72 घंटे के भीतर हिंसा के खिलाफ अध्यादेश लाया जाय वर्ना डॉक्टर बेमियादी हड़ताल के साथ इमरजेंसी सेवाएं भी ठप कर देंगे।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टरों ने राजघाट तक मार्च निकाला। राष्ट्रीय राजधानी में कई सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं सोमवार को बाधित रहीं। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किए।

उच्चस्तरीय टीम बिहार जाएगी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बिहार के मुजफ्फरपुर के दौरे से लौट कर एक उच्चस्तरीय बहु-विषयी टीम मुजफ्फरपुर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को महामारी अनुसंधान में समर्थन दिया जाएगा।

बिहार के विभिन्न जिलों में पांच वायरोलॉजिकल प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। साथ ही राज्य सरकार की ओर से एक साल में एसकेएमसीएच में 100 बिस्तर का शिशु रोग आइसीयू स्थापित किया जाएगा।

उच्चस्तरीय केंद्रीय दल में डॉ. झुमा शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, शिशु रोग विभाग, एम्स दिल्ली, डॉ. वी रवि सीनियर प्रोफेसर न्यूरो वायरोलॉजी, निमहान्स, डॉ. अभिनव सिन्हा, वैज्ञानिक ई, राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान, डॉ. बिश्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेडियेट्रिक न्यूरोलॉजी, एम्स, डॉ. मनोज मुरहेकर, निदेशक, राष्ट्रीय महामारी संस्थान, चेन्नई, डॉ तंडाले, वैज्ञानिक एफ, एनआइवी, पुणे और डॉ अरलप्पा, वैज्ञानिक एफ, राष्ट्रीय आहार संस्थान, हैदराबाद शामिल हैं।

कानून के मसौदे पर विचार : हर्षवर्धन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

अस्पतालों में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में एक केंद्रीय कानून का मसौदा तैयार करने के मुद्दे पर सरकार 'फिर से विचार' करेगी। आइएमए व अन्य चिकित्सा संगठनों ने इस बारे में 72 घंटे के भीतर इस आशय की अधिसूचना जारी करने की मांग की है।

हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने पहले ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) के माडल कानून के सुझाव के साथ डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों को हिंसा से बचाने के लिए विशेष कानून बनाने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि हम इस समस्या पर फिर से गौर करेंगे और देखेंगे कि हम इस तरह का कोई कानून तैयार करने के बारे में केंद्रीय स्तर पर क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कानून के जानकारों ने इस मुद्दे पर पहले भी विचार किया था। उन्होंने कहा कि यह केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा नहीं है और डॉक्टरों की सुरक्षा बहस योग्य नहीं है।

भारत, चीन, पाकिस्तान बढ़ा रहे परमाणु हथियारों का जखीरा

पेज 1 का बाकी

तैनाती ऑपरेशनल बलों के साथ है और इनमें से 2000 परमाणु हथियारों को अत्यधिक सतर्कता की संचालन स्थिति में रखा गया है।

हाल के वर्षों में परमाणु हथियारों में कमी का श्रेय मुख्यतः अमेरिका और रूस को दिया जा सकता है जिनके पास कुल हथियार दुनिया के परमाणु हथियारों का 90 फीसदी से अधिक हैं। यह अमेरिका और रूस के बीच 2010 में नई 'स्टार्ट' संधि के कारण संभव हो पाया है जिसके तहत तैनात हथियारों की संख्या सीमित रखने का प्रावधान है। साथ ही इसमें शीत युद्ध के समय के पुराने हथियारों को खत्म करने का भी प्रावधान है।

बहरहाल, स्टार्ट संधि 2021 में समाप्त होने वाली है और काइल के मुताबिक यह चिंताजनक बात हैं क्योंकि वर्तमान में 'इसे विस्तारित करने के लिए कोई गंभीर चर्चा नहीं हो रही है।'

तीन पुलिसकर्मी निलंबित

पेज 1 का बाकी

जी किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से बात की और उनसे तुरंत कार्रवाई के लिए कहा है।

घटना के बाद गुस्साए लोगों ने रविवार रात मुखर्जी नगर थाने का घेराव किया और हंगामा किया। इस बीच थाने में मौजूद वरिष्ठ पुलिस आयुक्त लोगों से बातचीत करने आए तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 'ग्रामीण सेवा' चालक सरबजीत सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इस मामले में गृहमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी में निजी ट्रांसपोर्टरों के एक समूह ने आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की।

इस मामले में जिला पुलिस उपायुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि मुखर्जीनगर थाने में तैनात एएसआइ संजय मलिक, एएसआइ देवेंद्र और कांस्टेबल पुष्पेंद्र को 'ग्रामीण सेवा' चालक से गैर पेशेवर आचरण करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच जिला पुलिस के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस को सौंपी गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 'ग्रामीण सेवा' चालक सरबजीत सिंह का आरोप है कि एएसआइ योगराज से उसकी मामूली कहासुनी हुई थी, जिसके बाद वह उससे गाली-गलौज करने लगे। सरबजीत ने वाहन हटाने की बात कही लेकिन इसी बीच पुलिसकर्मी ने आगबबूला होकर फोन से थाने में इसकी जानकारी दी। लेकिन जब पुलिसकर्मी नहीं आए तो वह थाने गए, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी आ गए और सरबजीत के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान उसने अपने बचाव में किरपान निकाल ली। जब एक पुलिसकर्मी ने उसे दबोचा तो उसने आपा खो दिया और हमला कर दिया। हालांकि बताया गया है कि वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि सरबजीत का बेटा पुलिसकर्मियों पर वाहन चढ़ाने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिसकर्मी सरबजीत और उसके बेटे के साथ मारपीट करते हैं।

उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिकों के संरक्षकों को अनियंत्रित हिंसक भीड़ में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। उसके आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस का सही चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है।

इस बीच चंडीगढ़ से एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, 'एक मामूली बात को लेकर सरबजीत सिंह और बलवंत सिंह की बेरहमी से पिटाई करना दिल्ली पुलिस के लिए शर्मनाक घटना है। गृह मंत्री अमित शाह से न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं।'

ममता ने मांगें मानीं, हड़ताल खत्म

पेज 1 का बाकी

को इस बैठक की लाइव कवरेज की अनुमति दी थी। डॉक्टरों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अनुज शर्मा को हर अस्पताल में एक नोडल पुलिस अफसर की तैनाती के निर्देश दिए। इसके अलावा चिकित्सकों की मांग पर हर सरकारी अस्पताल में एक शिकायत निवारण सेल बनाने का निर्णय भी लिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक में बंगाल के हर मेडिकल कॉलेज से दो-दो प्रतिनिधि शामिल हुए।

ममता बनर्जी ने राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल ने ममता को मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में उन्हें आ रही समस्याओं से अवगत कराया। बैठक में स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य के अन्य अधिकारियों के अलावा 31 जूनियर डॉक्टर इस बैठक में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने हड़ताली डॉक्टरों से कहा कि राज्य सरकार ने किसी भी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया। जूनियर डॉक्टरों के संयुक्त मंच के प्रतिनिधियों ने 11 जून को एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों को दंडित किए जाने की मांग की।

बिहार में लू लगने से मरने वालों की तादाद 78 हुई

पटना, 17 जून (भाषा)।

बिहार में गर्मी के इस मौसम में लू लगने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर सोमवार को 78 हो गई। आपदा प्रबंधन विभाग के नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में लू लगने से अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से औरंगाबाद जिले में 33, गया में 31 और नवादा में 12 व जमुई जिले में दो लोगों की मौत हुई है।

सेना के आलोचक पाक ब्लॉगर-पत्रकार की हत्या

पेज 1 का बाकी

की इस्लामाबाद में कल रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। खान को ताकतवर सेना एवं उसकी कुख्यात जासूसी एजंसी के आलोचक के तौर पर जाना जाता था।'

मृतक के पिता अब्दुल्ला ने बताया कि खान के शरीर पर किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस संबंध में आतंकवाद रोधी कानून समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। खान ने पिता ने कहा कि इस घटना ने लोगों में भय पैदा कर दिया है।

जेपी नड्डा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, शाह बने रहेंगे अध्यक्ष

पेज 1 का बाकी

ने ट्वीट किया कि 'वे पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो अपनी कड़ी मेहनत और संगठनात्मक कौशल के बल पर आगे बढ़े हैं। विनम्र और मिलनसार नड्डा का भाजपा परिवार में बहुत सम्मान किया जाता है।' सिंह ने कई ट्वीट में कहा कि भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष शाह के नेतृत्व में कई चुनाव जीते हैं।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गृह मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद अमित शाह ने खुद कहा था कि पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और को दी जानी चाहिए। सिंह ने ट्वीट किया, 'इस नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए नड्डा जी को बधाई और शुभकामनाएं।''

ऐसा पहली बार है, जब पार्टी ने एक कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया है। कई केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने भी नड्डा को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। सूत्रों ने बताया कि शाह का कार्यकाल दिसंबर 2019 में समाप्त होना है और वे पार्टी के 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत के कारण पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल में विस्तार नहीं लेना चाहेंगे।

सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में भाजपा के संसदीय बोर्ड के सचिव नड्डा भाजपा के संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने तक कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और ऐसे संकेत हैं कि वे शाह का स्थान ले सकते हैं।

नड्डा (58) को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां भाजपा ने 80 सीटों में से 62 सीटें हासिल की थी। वे मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री थे। पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती छह जुलाई से सदस्यता अभियान शुरू करेगी। इस प्रक्रिया के पूरे होने में कुछ महीने लग सकते हैं, जिसका मतलब है कि पार्टी इस वर्ष हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव शाह और नड्डा के नेतृत्व में लड़ सकती है।

न पक्ष, न विपक्ष, केवल निष्पक्ष

पेज 1 का बाकी

बाद एक सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ और पहले से अधिक सीटों के साथ जनता ने सेवा का मौका दिया है।'

मोदी ने कहा, 'जब हम संसद आते हैं तो हमें पक्ष और विपक्ष भूल जाना चाहिए। हमें निष्पक्ष भावना के साथ मुद्दों के बारे में सोचना चाहिए और देश के व्यापक हित में काम करना चाहिए।' संसदीय लोकतंत्र में सक्रिय विपक्ष के महत्व को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा, 'विपक्ष की और सक्रिय विपक्ष की भूमिका संसदीय लोकतंत्र में जरूरी होती है। विपक्ष को अपनी संख्या के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। उम्मीद है कि वे सदन की कार्यवाही में सक्रियता से अपनी बात रखेंगे और भाग लेंगे। उनका हर शब्द, हर भावना हमारे लिए मूल्यवान है। मुझे उम्मीद है कि यह सत्र सार्थक होगा।' प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में सक्रिय भागीदारी की अपील सभी सांसदों से की। उन्होंने कहा, 'जब सदन चला है तो देश हित के निर्णय भी बहुत अच्छे हुए हैं। उन अनुभवों को आधार पर मैं आशा करता हूं कि सभी दल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा और जनहित के फैसले और जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे।' उन्होंने कहा कि निष्पक्ष भाव से जनकल्याण की भावना को ध्यान में रखकर सभी सदस्य इस सदन की गरिमा को ऊंचा उठाने में योगदान करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ विपक्षी सांसद बहस को प्राणवान बनाते हैं। उन्होंने कहा, 'कुछ सांसद बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन ज्यादातर वह रचनात्मक होते हैं और टीआरपी का मेल नहीं होता। लेकिन टीआरपी से ऊपर बहुत तर्कपूर्ण कोई सदन में सरकार की आलोचना भी करता है तो उससे हमें बल मिलेगा। पांच साल तक इस भावना को पूरा करने में आप भी (प्रेस) सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। अगर सकारात्मकता को बल देंगे तो सकारात्मकता की दिशा में जाने में बल मिलेगा।'

भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध की आशंका में लुढ़का शेयर बाजार

पेज 1 का बाकी

दोनों देशों के बीच कारोबार युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसे में निवेशक बाजार में निवेश करने में बेहद एहतियात बरत रहे हैं और निकासी कर रहे हैं। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'वैश्विक व्यापार युद्ध बढ़ने के कारण निवेशकों के सतर्क होने से घरेलू बाजार में गिरावट आई। इसके अलावा पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में अचानक तेजी आई है।'

यह लगातार चौथा कारोबारी सत्र है जब सूचकांक टूटा है। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 151 अंक से अधिक टूटकर 11,700 अंक के नीचे बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमजोर हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे टूटकर 69.91 प्रति डॉलर पर आ गया। यह लगातार तीसरा कारोबारी सत्र है, जब रुपया टूटा है। पिछले तीन कारोबारी दिनों में रुपया 57 पैसे टूट चुका है।

बीएसई सूचकांक 491.28 अंक यानी 1.25 फीसद की गिरावट के साथ 38,960.79 अंक पर आ गया। कारोबार के दौरान यह नीचे में 38,911.49 तथा ऊंचे में 39,540.42 अंक तक गया। इसी प्रकार एनएसई निफ्टी 151.15 अंक यानी 1.28 फीसद की गिरावट के साथ 11,672.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह नीचे में 11,657.75 तथा ऊंचे में 11,844.05 अंक तक गया। शेयरों में टाटा स्टील पांच फीसद से अधिक हानि में रहा। नुकसान में रहे अन्य शेयरों में वेदांता, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, भारती एअरटेल, रिलायंस, ओएनजीसी, सन फार्मा, मारुति और एल एंड टी शामिल हैं। इनमें 3.33 फीसद तक की गिरावट रही। यस बैंक, कोल इंडिया और इन्फोसिस में तेजी आई।

चोकसी ने अदालत में कहा, इलाज के लिए छोड़ा था देश

मुंबई, 17 जून (भाषा)।

करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक मेहुल चोकसी ने सोमवार को बंबई हाई कोर्ट में कहा कि उसने मामले के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने इलाज के लिए देश छोड़ा था।

फरार हीरा कारोबारी चोकसी अभी कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है। चोकसी ने अपने वकील विजय अग्रवाल के जरिए सोमवार को हलफनामा दायर कर कहा कि उसने विदेशों में मेडिकल जांच और उपचार के लिए जनवरी 2018 में देश छोड़ा था। हलफनामे में कहा गया है, 'मैंने संदिग्ध परिस्थितियों में देश नहीं छोड़ा था।' चोकसी ने अदालत में उसके द्वारा दायर दो याचिकाओं के संबंध में हलफनामा दायर किया है। उन याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एक विशेष अदालत में दायर एक आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया है।

ईडी के आवेदन में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया गया है। चोकसी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण भारत लौटने में असमर्थ है।

चोकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों पीएनबी के साथ 13,400 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी मामले में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वांछित हैं।

तृणमूल के 20 और नेता भाजपा में शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जून।

तृणमूल कांग्रेस के विधायक समेत 20 नेता सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी में शामिल हुए नेताओं व अन्य प्रतिनिधियों को पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इन पार्षदों में एक कांग्रेस पार्षद भी शामिल है। याद रहे कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी तृणमूल के कई पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे।

प्रधानमंत्री, मंत्रियों सहित नवनिर्वाचित सांसदों ने ली शपथ

पेज 1 का बाकी

की शपथ दिलाई। शपथ लेने के लिए लोकसभा महासचिव ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पुकारा, सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। भाजपा के सदस्यों ने 'मोदी...मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे भी लगाए। मोदी ने सदन का नेता होने के कारण सबसे पहले शपथ ली। उन्होंने हिंदी में शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी के बाद पीठासीन अध्यक्षों के पैनल में शामिल कांग्रेस के के सुरेश, बीजद के बी महताब और भाजपा के ब्रजभूषण शरण सिंह ने शपथ ली। सुरेश और सिंह ने हिंदी व महताब ने ओड़िया में शपथ ली।

इन तीनों सदस्यों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन व उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और स्मृति ईरानी समेत मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने भी शपथ ली। डॉ. हर्षवर्धन, श्रीपद नाइक, अश्विनी कुमारी चौबे और प्रताप षाड़ंगी ने संस्कृत भाषा में शपथ ली। रमेश बिधूड़ी ने संस्कृत में शपथ ली। गुजरात से पर्वत भाई पटेल, महेंद्र मुंजीपरा, देबू सिंह चौहान, सीआर पाटिल, हरियाणा से सुनीता दुग्गल, अरविंद कुमार शर्मा और झारखंड से निशिकांत दुबे ने भी संस्कृत में शपथ ली। गौतम गंभीर ने अंग्रेजी में शपथ ली।

डीवी सदानंद गौड़ा और प्रहलाद जोशी ने कन्नड़ में शपथ ली। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाबी में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत, रावसाहब दानवे पाटिल ने मराठी में, जितेंद्र सिंह ने डोगरी, बाबुल सुप्रियो ने अंग्रेजी, रामेश्वर तेली ने असमिया और देबश्री चौधरी ने बांग्ला में शपथ ली। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाइएसआर कांग्रेस के अधिकतर सांसदों ने तेलुगू में, असम के ज्यादातर सदस्यों ने असमिया और गुजरात के अधिकतर सदस्यों ने गुजराती में शपथ ली।

पश्चिम बंगाल कोटे से मंत्रियों बाबुल सुप्रियो और देबश्री चौधरी के नाम शपथ के लिए पुकारे जाने के बाद भाजपा सदस्यों ने 'जयश्री राम' के नारे लगाए। मंत्रियों का नाम शपथ के लिए पुकारे जाने के दौरान लोकसभा महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव ने गलती से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम पुकारा, जबकि वह सदन के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। बाद में उन्होंने प्रहलाद जोशी का नाम पुकारा। बिहार से भाजपा के गोपालजी ठाकुर और अशोक कुमार यादव ने मैथिली में शपथ ली। बिहार से भाजपा सदस्य निर्वाचित हुए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भोजपुरी में शपथ लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन लोकसभा महासचिव ने बताया कि भोजपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में नहीं है।

केरल के वायनाड से निर्वाचित हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा की सदस्यता की शपथ ली। उन्होंने निचले सदन की सदस्यता की शपथ अंग्रेजी में ली। कांग्रेस अध्यक्ष भोजनावकाश के बाद सदन में पहुंचे और उनके पहुंचने पर उनकी पार्टी व सहयोगी दलों के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। राहुल गांधी को केरल से निर्वाचित हुए सदस्यों के साथ क्रमवार शपथ दिलाई गई।

शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'लोकसभा के सदस्य के तौर पर यह मेरा लगातार चौथा कार्यकाल है। वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं संसद में अपनी नई पारी शुरू कर रहा हूं। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।' वह सफेद कुर्ता और पायजामा पहनकर सदन आए थे। वह सदन में अग्रिम पंक्ति में अपनी मां व रायबरेली से पुनः निर्वाचित हुईं सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए थे। शपथ लेने के लिए जब गांधी का नाम पुकारा गया तो सोनिया सहित कांग्रेस नेताओं व सदस्यों ने मेजें थपथपाकर उनका स्वागत किया। सोलहवीं लोकसभा में राहुल गांधी दूसरी पंक्ति में बैठते थे।

भारतवंशी परिवार के चार लोग मृत, मिले गोलियों के निशान

पेज 1 का बाकी

कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। हालांकि, पुलिस ने शवों पर गोलियों के निशान होने की पुष्टि की है। जन सुरक्षा विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि चंद्रशेखर प्रौद्योगिकी सेवा ब्यूरो में सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर थे। इसने कहा कि मामले में अभी तक किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सार्जेंट डैन वेड ने एक बयान में कहा कि इस दर्दनाक घटना का परिवार, मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के परिचितों पर असर पड़ेगा। पुलिस ने बताया कि अभी किसी संदिग्ध को हिरासत में नहीं लिया गया है और उसे भरोसा है कि इस घटना से समुदाय को किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। सुंकारा से एक दशक से परिचित श्रीकर सोम्याजुला ने कहा कि भारतीय समुदाय के साथ ऐसा नहीं देखा गया है।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर वह 18 जून को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्य कांत के अवकाशकालीन पीठ याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव की ओर से पेश हुए वकील की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग के बाद इसे मंगलवार के लिए सूचीबद्ध करने को तैयार हो गई। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को यह याचिका दायर की गई थी। गत सोमवार रात एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से डॉक्टरों का यह प्रदर्शन जारी है।

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन के कारण देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति से कई मरीजों की जान जा रही है।

याचिका में कहा गया, 'भारतीय चिकित्सा संघ ने डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन किया है और अपनी सभी राज्य शाखाओं के सदस्यों को शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर विरोध करने का निर्देश दिया। कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने आंदोलनरत डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकारी पदों से इस्तीफा दिया है।' कोलकाता में जूनियर डॉक्टर कामकाज के स्थान पर बेहतर सुरक्षा की मांग करते हुए 11 जून से हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) और रेजिडेंट डॉक्टरों के विभिन्न संघों (आरडीए) के आह्वान पर शुक्रवार को दिल्ली के अधिकतर अस्पताल के डाक्टर पश्चिम बंगाल के हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में देशव्यापी आंदोलन में शामिल हुए थे। आइएमए ने 17 जून को भी हड़ताल का आह्वान किया था।

अमेरिका में हथियार निर्यात कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश

वाशिंगटन, 17 जून (भाषा)। सीनेट में दो शीर्ष अमेरिकी सांसदों ने एक विधेयक पेश कर देश के हथियार निर्यात नियंत्रण कानून में बदलाव की मांग की है। इसके तहत अत्याधुनिक सैन्य सामग्री की बिक्री के मामले में भारत का दर्जा अमेरिका के नाटो सहयोगियों– इजराइल, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया की तरह करने को कहा गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मार्क वार्नर रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कॉर्निन ने अमेरिकी हथियार निर्यात कानून में आवश्यक संशोधन की मांग की। अगर इसे मंजूरी मिली तो अमेरिका के बड़े रक्षा भागीदार के तौर पर भारत की हालिया मान्यता को संस्थानिक आधार मिल जाएगा। यह कवायद ऐसे वक्त हुई है, जब एक साल पहले भारत और अमेरिका ने पिछले साल कॉमकासा (संचार, अनुकूलता और सुरक्षा समझौता) पर दस्तखत किया था।

पाक के 3.4 अरब कर्ज मिलने के दावे से दूरी बनाई एडीबी ने

इस्लामाबाद, 17 जून (भाषा)। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने पाकिस्तान की उस घोषणा से अपने को अलग कर लिया है जिसमें कहा गया है कि उसे इस संस्था से 3.4 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर हो गया है। पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाली इस घटना में बैंक ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी बातचीत जारी है और इस संबंध में प्रधानमंत्री इमरान खान के एक सलाहकार ने बात पक्की होने से पहले ही घोषणा कर दी है। नकदी संकट से जूझ रहा पाकिस्तान बढ़ते भुगतान संकट से निकलने के लिए कर्ज सहायता हेतु जगह–जगह हाथ पैर मार रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त मामलों के सलाहकार अब्दुल हफीज शेख व योजना, विकास और सुधार मंत्री खुसरो बख्तियार की घोषणा के एक दिन बाद एडीबी की ओर से यह टिप्पणी आई है। शेख और बख्तियार ने घोषणा की थी कि पाकिस्तान को बजटीय समर्थन के लिए 3.4 अरब डॉलर का कर्ज मिलेगा, जिसमें से 2.1 अरब डॉलर एक साल में जारी किए जाएंगे।

फिच ने भारत की वृद्धि दर के अनुमान को दूसरी बार घटाया

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)। वैश्विक रेटिंग एजंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2019–20) के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को लगातार दूसरी बार घटाकर 6.6 फीसद कर दिया है। पिछले एक साल के दौरान विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में सुस्ती दिखाई दे रही है जिसकी वजह से रेटिंग एजंसी ने दूसरी बार वृद्धि दर के अनुमान को कम किया है। इससे पहले मार्च में फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7 से 6.8 फीसद किया था। अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ने की वजह से उस समय फिच ने वृद्धि दर के अनुमान को घटाया था।

जमा ब्याज दरों में 0.25 फीसद तक की कटौती की निजी बैंकों ने

मुंबई, 17 जून (भाषा)। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों ने जमा पर ब्याज दरों में 0.25 फीसद तक की कटौती की है। बैंक अधिकारियों ने सोमवार को यह कहा। नकदी की स्थिति बेहतर होने व रिजर्व बैंक के इस महीने की शुरुआत में रेपो दर में कटौती के बाद आइसीआइसीआइ बैंक व एक्सिस बैंक समेत अन्य बैंकों ने यह कदम उठाया है। आइसीआइसीआइ बैंक ने मियादी जमा पर ब्याज दर में 0.10 से 0.25 फीसद की कटौती की है। यह कटौती सोमवार से लागू हुई।

State Bank of India भारतीय स्टेट बैंक

स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रांच–2, 18/4,एसबीआई हाउस, चतुर्थ तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005
फोन नंबर 011–26425673, ई–मेल : sbi.51521@sbi.co.in

नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति)

प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा लेने के संबंध में प्रतिभूतिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कर्जदार/गारंटर को सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने, भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 22–10–2018 जारी की थी, जिसमें श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी, निवासी : (i) मकान नंबर आर–384, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (ii) फ्लैट नंबर 1–बी, (प्रथम तल), प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 26 एमआई, शताब्दीपुरम, गोविंदपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201003, (गारंटर) : श्री सुनील कुमार पुत्र श्री राम मल सिंह, निवासी मकान नंबर 623, राजपुर, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) से सूचना में वर्णित अनुसार 01–05–2018 तक बकाया राशि रू. 15,01,283.00 (रूपए पंद्रह लाख एक हजार दो सौ तिरासी मात्र) + अनुबंधी खर्चों तथा लागत का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त कर्जदार/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, कर्जदार/गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त (अधिनियम) की धारा 13 की उप–धारा (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति कब्जा 14 जून, 2019 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, कर्जदार/गारंटर को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक, स्ट्रेस्ड असेट्स रिकवरी ब्रांच–2, 18/4, चतुर्थ तल, एसबीआई हाउस, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली की बकाया राशि रू. 15,01,283.00 (रूपए पंद्रह लाख एक हजार दो सौ तिरासी मात्र) का भुगतान उस पर लागतों इत्यादि सहित चुकाने के बाद ही किया जा सकता है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

भाग –।। : श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी श्री हेमंत कुमार सोनी के नाम में आवासीय फ्लैट नंबर 1–बी, (प्रथम तल), प्लॉट नंबर 1, खसरा नंबर 26 एमआई, शताब्दीपुरम, गोविंदपुरम, डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (छत के अधिकार के साथ), कवर्ड एरिया : 69.67 वर्ग मीटर।
चौहद्दी निम्नानुसार : पूरब : अन्य की भूमि, पश्चिम : रास्ता 20 फीट, उत्तर : अन्य का प्लॉट, दक्षिण : प्लॉट नंबर 2, प्रथम तल

तिथि : 14–06–2019, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या–7 गालुडीह
Email ID: eendd7gal.chandil@gmail.com

शुद्धि–पत्र

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा WRD/MDD-7/GALUDIH/IFB-02/2019-20, दिनांक 29.05.2019 जिसका PR No. 207706 Water Resources (19-20)_D, द्वारा प्रकाशित को निम्नवत संशोधन किया जाता है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–

1	विभाग का नाम	[illegible]
2	कार्य का नाम	CONSTRUCTION OF RESIDUAL E/W, LINING, STRUTURES & WBM SERVICE ROAD OF OR-49A & GAP OF OR-49C, EX. KM 103.818 OF CLMC
3	प्राक्कलित राशि	रू0 11,14,29,701.62 [illegible]
4	कार्य पूर्ण करने का समय	730 दिन
5	वेबसाइट पर ई–निविदा प्रकाशन की तिथि	07.06.2019 12:00 बजे अपराह्न से
6	ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	07.06.2019 से 20.06.2019 5:00 बजे अपराह्न तक
7	ई–निविदा (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि	03.07.2019 12:00 बजे अपराह्न
8	ई–निविदा प्रकाशित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता	श्री शशि भूषण कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या–7 गालुडीह
9	ई–प्रोक्यूरमेंट पदाधिकारी का मोबाईल नं.	09431169624
10	ई–प्रोक्यूरमेंट सेल का हेल्प लाईन नं.	[illegible]

नोटः– सिर्फ ई–निविदा स्वीकार होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट http://jharkhandtenders.gov.in पर देखें।

कार्यपालक अभियंता,
लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या–7
गालुडीह

PR 209132 (Water Resource)19-20*D

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, UP 201014
Ph.: 0120- 2652649
Fax: 0120-2651478, MICR 110025139
IFSC CODE: SYNB0008893

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 15.07.261.76 (रू. पन्द्रह लाख सात हजार दो सौ इकसठ और छिहत्तर पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता– 1). तेजवीर सिंह पुत्र श्रीपाल सिंह।
2). श्रीमती सुशीला देवी पत्नि तेजवीर सिंह।
पता: 333जी, शक्ति खण्ड 1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद–201014.

सुरक्षित मूल्य रू. 9,00,000/– (रू. नौ लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 90,000/– (रू. नब्बे हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

फ्लैट नं0. जी–179, भूमि तल, न्याय खण्ड–।।।, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद 201014.
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Trade Tax Bhawan, Raj Nagar, Ghaziabad-201014,
Phone.: 0120- 2780091,
Fax: 0120-2780091,
MICR: 110025165

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 67,78,171.11 (रू. सड़सठ लाख अठहत्तर हजार एक सौ इकहत्तर और ग्यारह पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता– 1. श्रीमति प्रीती सिरोही पत्नि उपेन्द्र सिरोही, पता: 578, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, यू0पी0– 201013.
2. श्री उपेन्द्र सिरोही, पता: 578, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, यू0पी0– 201013.

सुरक्षित मूल्य रू. 1,09,00,000/– (रू. एक करोड़ नौ लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 10,90,000/– (रू. दस लाख नब्बे हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

मकान नं0. डी–578, ब्लॉक– डी, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, यू0पी0, 200.02 स्क्वेयर मीटर माप के साथ।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Vaishali, Ghaziabad
111-A-1, Near Income Tax Office,
Vaishali- 201010
Phone.: 0120- 27774858
Mobile: 9868394326

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 24,16,770.64 (रू. चौबीस लाख सोलह हजार सात सौ सत्तर और चौसठ पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता– श्री स्वदेश कुमार पुत्र श्री राम जी मिश्रा, पता: प्लॉट नं0. 1029, द्वितीय तल, सैक्टर–3, वैशाली, गाजियाबाद।
जमानती: श्री संतोष कुमार दूबे पुत्र श्री हरी शंकर दूबे, पता: प्लॉट नं0. 398, सैक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद।

सुरक्षित मूल्य रू. 20,00,000/– (रू. बीस लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,00,000/– (रू. दो लाख मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय फ्लैट, द्वितीय तल, प्लॉट नं0. 1029, सैक्टर–3, वैशाली, गाजियाबाद।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- SF, Shastri Nagar, Ghaziabad, UP. 201001
Phone: 0120-2767430, 9868394314
E mail: br.8890@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 24,52,856/– (रू. चौबीस लाख बावन हजार आठ सौ छप्पन मात्र) + 01–02–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:– 1. चन्दन कुमार पुत्र श्री ए.के. सिंह, पता: ई– 134, अवन्तिका, गाजियाबाद।
जमानती:– श्रीमति पल्लवी सिंह पत्नि श्री चन्दन कुमार, पता: ई– 134, अवन्तिका, गाजियाबाद।

सुरक्षित मूल्य रू. 25,00,000/– (रू. पच्चीस लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,50,000/– (रू. दो लाख पचास हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय फ्लैट नं0. 308, तृतीय तल, टावर नं03, पंचशील प्राईम रोज अपार्टमैन्ट, हापुड़ रोड, गाजियाबाद, मालिक श्री चन्दन कुमार और श्रीमति पल्लवी सिंह।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 15-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- SF, Shastri Nagar, Ghaziabad, UP. 201001
Phone: 0120-2767430, 9868394314
E mail: br.8890@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 24,52,856/– (रू. चौबीस लाख बावन हजार आठ सौ छप्पन मात्र) + 01–02–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:– 1. चन्दन कुमार पुत्र श्री ए.के. सिंह, पता: ई– 134, अवन्तिका, गाजियाबाद।
जमानती:– श्रीमति पल्लवी सिंह पत्नि श्री चन्दन कुमार, पता: ई– 134, अवन्तिका, गाजियाबाद।

सुरक्षित मूल्य रू. 25,00,000/– (रू. पच्चीस लाख मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,50,000/– (रू. दो लाख पचास हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय फ्लैट नं0. 308, तृतीय तल, टावर नं03, पंचशील प्राईम रोज अपार्टमैन्ट, हापुड़ रोड, गाजियाबाद, मालिक श्री चन्दन कुमार और श्रीमति पल्लवी सिंह।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 15-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Patel Nagar, H-2, Patel Nagar III, Ghaziabad UP- 201001,
Phone.: 0120- 2834546,
Mobile: 9412219843
E: br.9838@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 24,21,770.04 (रू. चौबीस लाख इक्कीस हजार सात सौ सत्तर और चार पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:–
श्रीमति राज कली पत्नि श्री बाबू लाल, पता: 241, कृष्णा नगर, सरस्वती इण्टर कॉलिज के पास, मेरठ रोड के पास, गाजियाबाद, यू0पी0।
गारण्टर: श्री नीतिश कुमार पुत्र बाबू लाल, पता: 241, कृष्णा नगर, सरस्वती इण्टर कॉलिज के पास, मेरठ रोड़ के पास, गाजियाबाद, यू0पी0।

सुरक्षित मूल्य रू. 22,70,000/– (रू. बाईस लाख सत्तर हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 2,27,000/– (रू. दो लाख सत्ताईस हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय घर खसरा नं0. 840, कृष्णा नगर कॉलोनी, गांव सिहानी परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, मुंसीपिल नं0. 252, वार्ड नं0. 30, कृष्णा नगर–2, गाजियाबाद, जिसकी माप 71 स्क्वेयर मीटर चौहद्दी:– पूर्वःसतीश शर्मा और राजपाल का घर, पश्चिम– नन्द किशोर का घर उत्तर:– 13 फिट चौड़ा रास्ता, दक्षिण:– राजपाल का प्लॉट।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Patel Nagar, H-2, Patel Nagar III, Ghaziabad UP- 201001,
Phone.: 0120- 2834546,
Mobile: 9412219843
E: br.9838@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 11,39,123.35 (रू. ग्यारह लाख उन्तालिस हजार एक सौ तेईस और पैंतिस पैसे मात्र) + 02–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:–
श्री विजय पाल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, पता: ई–157, पटेल नगर–।।, पानी की टंकी के पास, गाजियाबाद, उ0प्र0।
श्रीमति सरिता पत्नि श्री विजय पाल सिंह, पता: ई–157, पटेल नगर–।।, पानी की टंकी के पास, गाजियाबाद, उ0प्र0।

सुरक्षित मूल्य रू. 18,36,000/– (रू. अठारह लाख छत्तीस हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 1,83,600/– (रू. एक लाख तिरासी हजार छ सौ मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

आवासीय फ्लैट पटेल नगर–।।, फ्लैट नं0. ई0–157 बी, पटेल नगर–।।, पानी की टंकी के पास गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, मालिक विजय पाल सिंह और श्रीमति सरिता जिसकी माप 37.63 स्क्वेयर मीटर चौहद्दी– पूर्व 15 फिट चौड़ा रोड, पश्चिम– 30 फिट चौड़ा रोड उत्तर– मकान नं0. ई–156बी, दक्षिण– मकान नं0. ई–158बी।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय : घोण्डा गाँव मौजपुर, दिल्ली–110053

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **29/01/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मोहम्मद अबरार पुत्र श्री ईमाम बख्श एवं श्रीमती परवीन पत्नी मोहम्मद अबरार** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.19,21,260/– (उन्नीस लाख इक्कीस हजार दो सौ साठ रुपये मात्र) 29/01/2019 को**, एवं 30.01.2019 से भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार/गारंटर** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.19,21,260/– (उन्नीस लाख इक्कीस हजार दो सौ साठ रुपये मात्र) प्लस 30.01.2019 से बैंक द्वारा लगाये गये भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती परवीन पत्नी मोहम्मद अबरार के नाम पर गांव घोण्डली, गली नं. 8 की आबादी, कांति नगर, एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा में स्थित साम्पिक बंधक सम्पत्ति सं. ए–30, एरिया परिमाप 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.80 वर्ग मीटर, खसरा नं. 23 का भाग के सभी भाग एवं हिस्से जो घिरी हैं:

पूर्व: गली 15 फीट चौड़ी — पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति
उत्तर: अन्य की सम्पत्ति — दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति

स्थान: घोण्डा, दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 12/06/2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

शाखा कार्यालय : घोण्डा गाँव मौजपुर, दिल्ली–110053

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **29/01/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स कुबेर एण्टरप्राईजेज (मालिक– श्रीमती सविता पत्नी श्री महेन्द्र सिंह)** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.44,08,132/– (चौवालिस लाख आठ हजार एक सौ बत्तीस रुपये मात्र) 29.01.2019 को**, एवं 30.01.2019 से भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 12.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.44,08,132/– (चौवालिस लाख आठ हजार एक सौ बत्तीस रुपये मात्र) प्लस 30.01.2019 से बैंक द्वारा लगाये गए भविष्य में ब्याज एवं आकस्मिक शुल्क** के साथ **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, घोण्डा, दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री महेन्दर सिंह पुत्र श्री तेज पाल सिंह के नाम पर गांव मौजपुर, शास्त्री मार्ग की आबादी, मौजपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. ए–31/11एम, खसरा नं. 379 का भाग में शामिल वाणिज्यिक सम्पत्ति जिसमें 2 दुकानें है भूमि परिमाप 40 वर्ग यार्ड जो घिरी हैं:

पूर्व: रोड — पश्चिम: अन्य की सम्पत्ति
उत्तर: रोड 15 फीट चौड़ी — दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति

स्थान: घोण्डा, दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथि: 12/06/2019 — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Rakesh Marg, J1/III F, Nehru Nagar, Ghaziabad (UP).
Phone.: 0120- 28227000632,
Mobile: 9868394422
E: br.9311@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 26,12,667.41 (रू. छब्बीस लाख बारह हजार छ सौ सड़सठ और इकतालिस पैसे मात्र) + 01–01–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:–
मै0. रोहित एण्टरप्राईजेज (प्रो0. श्री विनोद चन्द) पता: यूनिट 379, कुरैशी मार्केट कल्लूपुरा, गाजियाबाद–201001, यू0पी0।
श्री विनोद चन्द पुत्र श्री रमेश चन्द पता: मकान नं0. 318, कल्लूपुरा जिला गाजियाबाद।
श्री रमेश चन्द (गारण्टर) पुत्र श्री तेजा राम पता: मकान नं0. 319, कल्लूपुरा जिला गाजियाबाद।
श्री सुरेश चन्द (गारण्टर) पुत्र श्री देवी शरन पता: एम–96ए, महिन्द्रा एन्कलेव, जिला गाजियाबाद– 201001, यू0पी0।

सुरक्षित मूल्य रू. 13,05,000/– (रू. तेरह लाख पांच हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 1,30,500/– (रू. एक लाख तीस हजार पांच सौ मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

भूमि और ईमारत, आवासीय घर मुन्सीपिल नं0. 318, जिसकी माप 50 स्क्वेयर यार्डस, खसरा नं0. 666 एम, मौ0. कल्लूपुरा, गांव जटवाड़ा गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। चौहद्दी:– पूर्वःमालिक का घर, पश्चिम:– गली/गैलरी 3 फिट चौड़ी और श्री जगदीश का घर, नाला और रास्ता 8 फिट चौड़ा उत्तर:– श्री रमेश चन्द का घर, दक्षिण:– श्री रमेश चन्द का घर।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

Branch- Rakesh Marg, J1/III F, Nehru Nagar, Ghaziabad (UP).
Phone: 9868394422
Phone.: 0120- 2822700632,
E: br.9311@syndicatebank.co.in

परिशिष्ट – IV– ए [नियम 8 (6) का परंतुक देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार तथा गारंटर को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडिटर के पास बंधक रखी गई/प्रभारित निम्नवर्णित सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक (जो भी लागू है) कब्जा प्रतिभूत क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्राप्त किया जा चुका है, प्रतिभूत क्रेडिटर की निम्नलिखित कर्जदारों की तरफ बकाया राशि रू. 7,77,578.86 (रू. सात लाख सतहत्तर हजार पांच सौ अठहत्तर और छियासी पैसे मात्र) + 01–03–2019 से ब्याज तथा लागतों इत्यादि सहित की वसूली के लिए, दिनांक 24–07–2019 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।

उधारकर्ता:–
1. मै0. रोहित किंग ट्रेडर्स प्रो0. श्री रमेश चन्द, यूनिट पता: प्लॉट नं.4, कल्लूपुरा, एक्सप्रैस मार्किट के सामने, गाजियाबाद–201001, यू0पी0.
2. श्री रमेश चन्द पुत्र श्री तेजा राम पता: मकान नं0. 319, कल्लूपुरा, जिला गाजियाबाद, यू0पी0.
3. श्री विनोद चन्द (गारंटर) पुत्र श्री रमेश चन्द पता: मकान नं0. 318, कल्लूपुरा, जिला गाजियाबाद, यू0पी0.
4. श्री सुरेश चन्द (गारंटर) पुत्र श्री देवी शरन पता: एम–96ए, महिन्द्रा एन्कलेव, जिला गाजियाबाद–201001, यू0पी0.

सुरक्षित मूल्य रू. 9,70,000/– (रू. नौ लाख सत्तर हजार मात्र) होगा तथा धरोहर राशि जमा रू. 97,000/– (रू. सत्तानवे हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का वर्णन

भूमि और ईमारत आवासीय घर मुन्सीपिल नं0. 319 (न्यू नं0. 535) जिसकी माप 25 स्क्वेयर यार्डस, आई ई20.90 स्क्वेयर मीटर, खसरा नं0. 666एम, मौ0. कल्लूपुरा, गांव जटवाड़ा, जिला गाजियाबाद। चौहद्दी– पूर्व मकान नं0. 319, पश्चिम– श्रीमति शीला का घर उत्तर:– श्री बाबू राम,श्री पूरन और श्री जगदीश का घर, दक्षिण– गैलरी रास्ता 3.6 चौड़ी, श्री खत्ते की खाली भूमि।
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट नामतः। www.syndicatebank.in में उपलब्ध करवाया गया लिंक देखें।

दिनांक: 13-06-2019 — प्राधिकृत अधिकारी

यूको बैंक ने यशोवर्धन बिड़ला को जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित किया

नई दिल्ली,17 जून (भाषा)।

सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने बिड़ला सूर्या लिमिटेड की ओर से 67.55 करोड़ रुपए का बकाया नहीं चुकाने के कारण यशोवर्धन बिड़ला को जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला (विलफुल डिफाल्टर) घोषित किया है। कंपनी को यह कर्ज यूको बैंक की ओर से दिया गया है। कर्जदाताओं की समिति में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हैं।

यूकों बैंक की ओर से अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की गई सूचना के मुताबिक, बैंक ने चूककर्ता से बकाया वसूलने के लिए मुकदमा दायर किया है। बैंक के सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक बिड़ला सूर्या लिमिटेड को पूंजी आधारित सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की कर्ज सीमा मंजूर की गई थी, जिसमें से ब्याज सहित 67.55 करोड़ रुपए बकाया है। यूको बैंक की नरीमन प्वाइंट स्थित कारपोरेट शाखा ने कंपनी को मल्टी क्रिस्टलाइन सौर फोटोवोल्टिक सेल के विनिर्माण के लिए यह कर्ज सुविधा दी थी।

नोटिस में कहा गया है- बकाए का भुगतान नहीं होने पर 3 जून 2013 को खाते को गैर - निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया था। कई नोटिस देने के बावजूद लेनदार ने बैंक को बकाए का भुगतान नहीं किया है।

लेनदार कंपनी और उसके निदेशकों , प्रवर्तकों , गारंटरों को बैंक का कर्ज जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, एक बार जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाला घोषित होने पर लेनदार को बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की ओर से कोई कर्ज सुविधा नहीं दी जाती है। कंपनी पर पांच साल के लिए नया उद्यम लगाने से रोक लग जाती है। इसके अलावा कर्जदाता कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

कोलकाता स्थित यूको बैंक ने 665 चूककर्ताओं की सूची जारी की है। जान-बूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले अन्य प्रमुखों में जूम डेवलपर्स पर 309.50 करोड़ रुपए, फर्स्ट लिजिंग कंपनी ऑफ इंडिया पर 142.94 करोड़ रुपए, मोजर बेयर इंडिया पर 122.15 करोड़ रुपए और सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज पर 107.81 करोड़ रुपए की देनदारी है जिसे इन्होंने चुकाया नहीं है।

बैंकों ने जेट एअरवेज को फिर खड़ा करने की कोशिश छोड़ी

मामला दिवाला कार्रवाई के लिए एनसीएलटी को भेजने का फैसला किया

मुंबई, 17 जून (भाषा)।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की अगुआई में बैंकों के गठजोड़ ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एअरवेज को फिर खड़ा करने की अपनी ओर से की जा रही कोशिश छोड़ दी है। बैंकों के गठजोड़ ने ठप पड़ी इस एअरलाइन में फंसे अपने कर्ज के समाधान का मामला दिवाला संहिता के तहत कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में भेजने का फैसला किया है। बैंकों को अब तक के प्रयास में कर्ज में डूबी इस एअरलाइन के पुनरोद्धार के लिए किसी इकाई से कोई पुख्ता प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बैंकों की सोमवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया।

एसबीआइ ने बयान में कहा कि गहन विचार विमर्श के बाद ऋणदाताओं ने फैसला किया है कि दिवाला संहिता के तहत जेट एअरवेज के मामले का निपटान किया जाए। एअरलाइन के लिए सिर्फ एक बोली ही प्राप्त हुई है। उसके साथ भी शर्त जुड़ी है। बयान में कहा गया है कि यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि संभावित निवेशक सौदे के तहत सेबी के कुछ छूट चाहता है। इस तरह का सौदा दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता के तहत बेहतर तरीके से हो सकता है।

बैंक ने कहा कि ऋणदाता ठप खड़ी विमानन कंपनी का समधान दिवाला संहिता (आइबीसी) से बाहर निपटाना चाहते थे, लेकिन अब आइबीसी के तहत ही निपटान का फैसला किया गया है। उल्लेखनीय है कि जेट एअरवेज के साथ व्यवसायिक सौदों में उधार देने वाली दो फर्मों शैमन वील्स और गग्गर एंटरप्राइजेज ने एअरलाइन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए 10 जून को एनसीएलटी में अपील की थी। न्यायाधिकरण ने अभी तक इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर नहीं किया है। 13 जून को न्यायाधिकरण ने इस मामले की आगे की सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। एनसीएलटी ने संबंधित पक्षों से जेट एअरवेज को कानूनी नोटिस भेजने को कहा है। जेट एअरवेज का परिचालन 17 अप्रैल से बंद है। एअरलाइन पर शामन वील्स का 8.74 करोड़ रुपए और गग्गर का 53 करोड़ रुपए का बकाया है।

जेट एअरवेज पर एसबीआइ की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ का 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। अभी एअरलाइन का परिचालन बैंकों द्वारा ही किया जा रहा है। यही जेट एअरवेज का कुल नुकसान 13,000 करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है। एअरलाइन पर उसे माल और सेवाएं देने वालों का 10,000 करोड़ रुपए और कर्मचारियों के वेतन का 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है।

आइसीआइसीआइ बैंक की जयप्रकाश एसोसिएट्स के खिलाफ दिवाला याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

आइसीआइसीआइ बैंक ने सोमवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का दरवाजा खटखटाया। बैंक ने एनसीएलएटी से जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के खिलाफ अपनी दिवाला याचिका की सुनवाई में तेजी लाने का राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को निर्देश देने का आग्रह किया है। बैंक ने सितंबर, 2018 में जेपी समूह की कंपनी जेएएल के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी की इलाहाबाद पीठ के समक्ष याचिका दायर की थी।

आइसीआइसीआइ बैंक ने एनसीएलएटी में दायर याचिका में कहा कि पिछले नौ महीनों में उसकी याचिका पर कोई प्रगति नहीं हुई है। न्यायमूर्ति बंसी लाल भट की एक सदस्यीय एनसीएलएटी पीठ ने आइसीआइसीआइ बैंक की याचिका को सुनवाई के लिए एक जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। जेपी इंफ्राटेक की अनुषंगी कंपनी जेएएल पहले से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।

बैंक के मुताबिक, जयप्रकाश एसोसिएट्स पर 1,296 करोड़ रुपए का बकाया है। बैंक ने आईबीसी की धारा सात के तहत जेएएल के खिलाफ दिवाला याचिका दायर करके बकाये की वसूली के लिए एनसीएलटी का रुख किया था।

एअरटेल व वोडा आइडिया पर जुर्माने को मंजूरी

नई दिल्ली,17 जून (भाषा)।

दूरसंचार विभाग के लिए निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने सोमवार को रिलायंस जियो को प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं उपलब्ध कराने के लिए वोडाफोन आइडिया और भारती एअरटेल पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दी। हालांकि , आयोग ने जुर्माना लगाने से पहले, दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से कंपनियों पर लगाए गए जुर्माने में संशोधन करने पर नियामक से विचार मांगने का फैसला किया है।

सूत्रों ने बताया- डिजिटल संचार आयोग ने कंपनियों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी है। आयोग ने रिलायंस जियो के ग्राहकों को गुणवत्तापरक सेवा देने में नाकाम रहने के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। एक प्रमुख मंत्रालय के सचिव ने कहा था कि जुर्माना रिलायंस जियो पर भी लगना चाहिए।

उनका कहना था कि क्या प्राथमिक लाइसेंसधारक की ओर से गुणवत्तापरक सेवा की जिम्मेदारी किसी और पर डाली जा सकती है। हालांकि,आयोग के सदस्य जियो पर जुर्माना लगाने के विचार पर सहमत नहीं थे। सूत्र ने कहा- आयोग ने रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन नहीं देने पर भारती एअरटेल, वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने को मंजूरी दी है। हालांकि, दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय संकट को देखते हुए जुर्माने की राशि में संशोधन पर ट्राई का विचार लेने का फैसला किया है।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अक्तूबर 2016 में जियो को कथित रूप से इंटरकनेक्टिविटी देने से मना करने पर एअरटेल, वोडाफोन आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

एअरटेल और वोडाफोन पर 1,050-1050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था जबकि आइडिया पर करीब 950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। चूंकि अब वोडाफोन आइडिया के कारोबार का विलय हो चुका इसलिए नई कंपनी वोडाफोन आइडिया को दोनों कंपनियों के जुर्माने का बोझ उठाना होगा।

U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd.
(ISO 9001:2008 Certified Company)
Visheshwaraiya Bhawan, Gomti Nagar, Lucknow

Notice No.- 1906/G.M. (Ayodhya Zone)/NIVIDA/RNN/18-19 Dated : 15.06.2019

E-Tender Notice

On behalf of U.P.R.N.N, E-Tenders are invited on two bid system for Construction of Development of Janakpur Temple Balrampur.
Detail can be downloaded from etender.up.nic.in and U.P.R.N.N. Website www.upmn.co.in.

General Manager, Ayodhya Zone

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना सं. 03/UE/ALLD/2018-19 दिनांक 18.06.2019

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, (क) शिक्षा विभाग की आन्तरिक एवं बाहरी दीवारों की पुताई एवं मरम्मत का कार्य (ख) विज्ञान परिसर स्थित क्रिकेट मैदान में लगी ए.सी. की छावनी को बदलने और स्टेडियम की मरम्मत, पुताई कार्य के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के उपयुक्त श्रेणी के पात्र पंजीकृत संविदाकारों/ठेकेदारों से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।

ई-निविदा आमंत्रित करने की विस्तृत सूचना वेबसाइट www.eprocure.gov.in एवं www.allduniv.ac.in पर उपलब्ध होगी। इस निविदा सूचना में और निविदा दस्तावेज में किसी संशोधन/शुद्धि की स्थिति में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त सभी वेबसाइटों पर जारी किया जाएगा और उसकी कोई भी प्रेस सूचना किसी अन्य रूप में जारी नहीं की जाएगी।

कुलसचिव

SBI भारतीय स्टेट बैंक

स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकवरी शाखा, ... 23, राजेन्द्र प्लेस ..., नई दिल्ली-110015, फोन 25816077, 25812877 ई-मेल sbi.05169@sbi.co.in

शुद्धि-पत्र

दिनांक 07.06.2019 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक के खाते के कर्जदार मैसर्स एलाइड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 10.07.2019 को होनी थी, हम इस ई-नीलामी को निरस्त करते हैं।

दिनांक 17.06.2019 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग
डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेन्टर (20वां तल), जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

सार्वजनिक सूचना

सं. टैक्स/एचक्यू/एसडीएमसी/एमवीसी-IV/2019/डी-448 दिनांक : 17.06.2019

चौथी निगम मूल्यांकन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है जिस पर निगम ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और जनता से आपत्तियाँ/प्रतिवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर आपत्तियाँ/प्रतिवेदन भेजे जा सकते हैं। कार्यालय, संयुक्त कर निर्धारक एवं समाहर्ता/मुख्यालय, ए. एण्ड सी. विभाग/एसडीएमसी, 20वाँ तल, ई-1 ब्लॉक, सिविक सेन्टर, जे.एल. नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002 में आपत्तियाँ भेजी जा सकती हैं।

विस्तृत सार्वजनिक सूचना सहित अंतरिम रिपोर्ट एसडीएमसी की वेबसाइट www.mcdonline.gov.in/tri/sdmc_mcdportal/ पर उपलब्ध है। ह./-

आर.ओ. नं. 13/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 सहायक ए. एण्ड सी./मुख्यालय

सार्वजनिक सूचना

निदेशक टाउन एवं कंट्री प्लानिंग, हरियाणा ने (1) ... लैंड एंड हाउसिंग प्रा. लि. (2) ... लैंड एंड हाउसिंग प्रा. लि. (3) ... इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (4) ... लैंड एंड हाउसिंग प्रा. लि. की कोलोबेरेशन बी डी इंफ्राडेवेलपर्स प्रा. लि. के साथ, रजिस्टर्ड ऑफिस: हाउस नं० एच 38, ... एम 2 के ... हाउस, सै० 57, गुरुग्राम को सेक्टर 90, गुरुग्राम रेवेन्यू इस्टेट ... में भूमि माप 5 एकड़ जमीन पर अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी विकसित करने के लिए लाइसेंस सं. 30, दिनांक 28-02-2019 की मंजूरी प्रदान की है।

अब, कंपनी के अनुरोध पर डी.टी.सी.पी., हरियाणा ने ... मेमो नं. ... सी-3748-Asstt. (AK) 2019/13374 दिनांक 07-06-2019 के माध्यम से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियम नियमावली 1976 के नियम 17 के अनुसार लाइसेंस में हस्तांतरण के लिए मै. बी डी इंफ्राडेवेलपर्स प्रा. लि. को उक्त लाइसेंस के अंतरण के लिए ... सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। नीति के अनुसार हम इस प्रस्तावित परिवर्तन के ... आम जनता की आपत्तियां को आमंत्रित करते हैं। लाइसेंस के प्रस्तावित अंतरण पर आपत्ति यदि कोई हो, इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर o/o एस.टी.पी. गुरुग्राम में दाखिल की जा सकती है।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
मै. बी डी इंफ्राडेवेलपर्स प्रा. लि., गुरुग्राम

ब्रिज एंड रूफ कं० (इंडिया) लि०
बी एण्ड आर B AND R
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN No. U27310WB1920GOI003601
"कांकरिया सेंटर", (4था व 5वां तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (ई-निआसू) सं० मैट(पी)/ईआरई/71094/423 दिनांक : 18.06.2019

वैश्विक निविदा

पलता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल स्थित केएमसी के देश के पुराने इंदिरा गांधी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (आईजीडब्ल्यूपीएल) को बचाने को लेकर बड़े पैमाने पर कटाव को रोकने के लिए तट सुरक्षा से संबंधित शीट पाइल की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित, साधनसंपन्न पार्टियों से दो भाग प्रणाली में ऑनलाइन आइटर दर बोली/ प्रस्ताव आमंत्रित है।

स्टॉकिस्ट/ डिस्ट्रिब्यूटर/ डीलर, जिन्हें निर्माता से वैध प्राधिकार प्राप्त है, वे भी इस निविदा में भाग ले सकते हैं।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	वेबसाइट व सीपीपी पोर्टल पर ई-निआसू निविदा प्रपत्र उपलब्धता की तिथि	बोली दाखिले की अंतिम तिथि (ऑन-लाइन)
अ.	अधोलिखित विनिर्देशन के अनुसार 4800 एमटी हाट रोल्ड "यू" टाइप स्टील शीट पाइल का निर्माण, जांच, निरीक्षण, आपूर्ति व सुपुर्दगी। > चौड़ाई (इंटरलॉक के केंद्र के बीच की दूरी = 600 एमएम > फ्लैंज व वेब दोनों की मोटाई= 17.5 एमएम (न्यूनतम) व टोलरेंस (-) 0% / (+) 3% > वाल का प्रति मीटर सेक्शन माड्यूल = 2650 सीएम^3/एम (न्यूनतम) > न्यूनतम इल्ड स्ट्रेंथ = 430 एन/एमएम^2 > इलोंगेशन = 18.0% (न्यूनतम) > प्रत्येक पाइल की लंबाई = 12 मी० (न्यूनतम)	18.06.2019	02.07.2019

इच्छुक बोलीदाताओं को https://eprocure.gov.in में लॉगिंग के जरिए सरकारी ई-प्रापण प्रणाली में सूचीबद्ध व पंजीकृत होना होगा।

इस संदर्भ में कोई भी संयोजन/ शुद्धिपत्र सिर्फ कंपनी की वेबसाइट : www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टल : https://eprocure.gov.in पर जारी की जाएगी।

बागवानी विभाग
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
पालिका केन्द्र, नई दिल्ली-110001

ई-प्रापण निविदा सूचना

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174259_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : नम्बर 1 घास कारपेट के चयन के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 9,99,000/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174258_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : पालना के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 9,99,283/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174255_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : सर्दी/गर्मी के वार्षिक बीजारोपण के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 20,90,793/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174257_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन वार्षिक बल्बों के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 14,93,400/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174251_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : फोकस प्रजातियों के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 14,95,160/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174244_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक : अर्ध तने पेड़ों के लिए वार्षिक दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 14,99,565/-

निविदा आईडी सं. : 2019_NDMC_174252_1
कार्य का नाम : 2019-20 के दौरान उद्यानों और बगीचों का रखरखाव।
उपशीर्षक वार्षिक : टॉपियरी, साइप्रस, जुनिपर्स, बोगेनविलिया और गुलाबों के लिए दर अनुबंध।
अनुमानित लागत : ₹ 23,86,365/-

ई-प्रापि सुविधा के माध्यम से निविदा जारी करने की तिथि : 15.06.2019
ई-प्रापि सुविधा के माध्यम से निविदाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि/समय : 27.06.2019 दोपहर 3.00 बजे
अधिक जानकारी के लिए https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
नोट:- यदि नए, की ई-निविदा में भाग लेने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ई-निविदा प्रणाली के साथ पंजीकरण अनिवार्य है। हस्ताक्षरित निदेशक(उद्यान)

To be The Global Benchmark for a Capital City

DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD
GOVT OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, C-7
RANA PRATAP BAGH, DELHI-110007
NOTICE INVITING E-TENDER

Executive Engineer, C-7,DUSIB, R. P. Bagh Delhi-110007 invites on behalf of Delhi Urban Shelter Improvement Board, percentage rate bid (On Line) on two bid system for the following works.

NIT No:- 07/EEC-7/DUSIB/2019-20 **Name of work:-** Pay & Use JSC. **Sub Head:-** Up-gradation of 20 seater JSC at JJ cluster, Dairy Munshi Ram near BVK (PID No. 11551). **Esstt. Cost :-** Rs. 27,42,312.00 **Earnest Money:-** 54,900.00 **Tender Cost:-** Rs. 500.00 **Period of completion:-** 150 Days.

NIT No:- 08/EEC-7/DUSIB/2019-20 **Name of work:-** E.I.U.S. **Sub Head:-** Construction of road by providing & laying RMC Pavement in JJ Cluster at Om Nagar Dhobi ghat Sangam Park, Mahavir Modern School, R.P. Bagh. (PID No. 11614). **Esstt. Cost:-** Rs. 41,94,739.00 **Earnest Money:-** Rs. 83,900.00 **Tender Cost:-** Rs. 500.00 **Period of completion :-** 150 Days.

Last Time & Date of Submission of Bid:- 28.06.2019 upto 15:00 Hours

Date of Opening Technical Bid:- 28.06.2019 after 15:30 Hours

The bid forms and other details can be obtained from the website http://govtprocurement.delhi.gov.in/ All the corrigendum (if required) will be uploaded on portal and will not be published in News Paper.

Sd/-
(RAJINDER BANSAL)
EXECUTIVE ENGINEER, C-7 (DUSIB)
DIP/Shabdarth/0223/19-20

हेलिक्स प्रोबिल्ड एलएलपी
पंजीकृत कार्यालयः 23, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश
ईमेलः cs@eiul.in; टेलीफोनः 0120-4175700
LLPIN: AAJ-3856
केन्द्र सरकार के समक्ष
लिमिटेड लायएबिलिटी पार्टनरशिप, कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के रजिस्ट्रार के माध्यम से लिमिटेड लायएबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008, नियम 13(3) के मामले में
तथा
हेलिक्स प्रोबिल्ड एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय 23, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश में है, के मामले में
आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य से रा.रा. क्षेत्र दिल्ली में उसके पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के लिये लिमिटेड लायएबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 के नियम 13(3) के अंतर्गत यह लिमिटेड लायएबिलिटी पार्टनरशिप केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने के लिये इच्छुक है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पते पर पंजीकृत कार्यालय में एलएलपी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति एलएलपी के रजिस्ट्रार के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

पताः 23, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद-201010, उत्तर प्रदेश

द्वारा तथा उसकी ओर से
हेलिक्स प्रोबिल्ड एलएलपी
हस्ता./-
मनीशा गुप्ता
तिथिः 17.6.2019 पदनामित पार्टनर
स्थानः गाजियाबाद DIN: 00897657

फार्म-ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारत दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के नियम 6 के अधीन]
प्रासंगिक विवरण

1.	कारपोरेट देनदार का नाम	उन्नति फार्चुन इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	12.02.2007
3.	प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत हैं	आरओसी-दिल्ली
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान सं./ सीमित देयता पहचान सं.	U25203DL2007PTC159154
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	**पंजीकृत कार्यालयः** 560 जी.टी. रोड, प्रथम तल, शाहदरा, यूको बैंक के विपरीत, दिल्ली-110032, भारत कारपोरेट कार्यालयः बी-117, सेक्टर-67, नोएडा-201301, यू.पी.
6.	कारपोरेट देनदार के संबंध में दिवालियापन की शुरुआत तिथि	आदेश की सुपुर्दगीः 11.06.2019 (आदेश की प्रति 17.06.2019 को प्राप्त हुई)
7.	दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बंद होने की अनुमानित तिथि	08.12.2019 (सीआईआरपी के प्रारंभ से 180 दिन)
8.	अंतरिम समाधान पेशेवर के तौर कार्य करने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या	नामः सीए प्रदीप कुमार मित्तल पंजीयन सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01591/2018-19/12424
9.	अंतरिम समाधान पेशेवर का पता एवं ईमेल, जो बोर्ड के पास पंजीकृत हैं	पंजीकृत पताः जे-58, सेक्टर-41, नोएडा-201301 ई-मेलः camittal56@gmail.com
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार हेतु प्रयोग किए जाने वाला पता व ई-मेल	पताः एएए इनसोल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी, ई-10 ए, कैलाश कालोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ई-मेलः unnati.industries@aaainsolvency.com
11.	दावा दाखिले की अंतिम तिथि	01.07.2019
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा 21 की उपधारा (6अ) के खंड(ब) के अधीन सुनिश्चित लेनदारों की श्रेणी, यदि कोई हो	प्रयोज्य नहीं
13.	एक श्रेणी में लेनदारों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने की पहचान रखने वाले दिवालियापन पेशेवर का नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	प्रयोज्य नहीं
14.	(अ) प्रासंगिक फार्म तथा (ब) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण यहां उपलब्ध है	प्रयोज्य नहीं

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली ने 11.06.2019 को उन्नति फॉर्चुन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की कारपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया है (आदेश की प्रति 17.06.2019 को प्राप्त हुई है)

उन्नति फॉर्चुन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपील है कि वे अंतरिम पेशेवर को इंट्री नं. 10 में उल्लिखित पते पर 01.07.2019 से पहले अथवा को प्रमाण के साथ अपना दावा पेश करें।

दावे का प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट फार्म के जरिए दाखिल करें:

- फार्म बीः श्रमिक व कर्मचारी को छोड़कर परिचालनगत लेनदारों की ओर से दावे के प्रमाण हेतु
- फार्म सीः वित्तीय लेनदारों की ओर से दावे के प्रमाण हेतु
- फार्म डीः श्रमिक अथवा कर्मचारी की ओर से दावे के प्रमाण हेतु
- फार्म ईः श्रमिक और कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि की ओर से दावे के प्रमाण हेतु
- फार्म एफः लेनदारों की ओर से दावे के लिए (परिचालनगत व वित्तीय लेनदारों के अलावे)

उपर्युक्त उल्लिखित फार्म भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के अधीन वेबसाइटः www.ibbi.gov.in/downloadform.html से डाउनलोड किया जा सकता है।

वित्तीय लेनदार सिर्फ इलेक्ट्रानिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपना दावा पेश करें। अन्य सभी लेनदार व्यक्तिगत तौर पर, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए प्रमाण के साथ अपना दावा पेश कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण पेश करने पर अर्थदंड लगेगा।

(सीए प्रदीप कुमार मित्तल)
अंतरिम समाधान पेशेवर
दिनांकः 18.06.2019 उन्नति फॉर्चुन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
स्थानः नई दिल्ली पंजीयन सं.: IBBI/IPA_001/IP_P01591/2018-19/12424

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 18.07.2019 को सांय 5.00 बजे तक

चल आस्तियों के विक्रय हेतु कब्जा नोटिस, बकायों की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में वर्णित चल सम्पत्ति जो बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु दर्शायी गई है कार्पोरेशन बैंक के अंतर्गत प्रत्याभूत है। नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स को प्रत्याभूत - दाता कार्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित होगी।

चल वाहन का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	छतरपुर शाखा - श्री सतिश कुमार दीक्षित, मो. +91-9671734498, फोन 011-26303231, ई-मेल : cb1538@corpbank.co.in	कर्जदार : मैसर्स विभा इंटिरियर्स और इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक : 1. श्री ध्रुव सिंह, 2. श्री राजेश धामी	Toyota Corolla Altis with Registration number- DL-12-CD-1480, Chassis number- MBJ53NEE004014582, Yr of Manufacture-07/2013.	₹ 4,95,481.00 कब्जा नोटिस दिनांक 03.04.2019 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 7.75 लाख ₹ 77,500/- ₹ 10,000/-	19-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 510101002220260 IFSC Code: CORP0001538

कृप्या विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vibha_interiors_and_infracon_private_limited.pdf

दिनांक: 17.06.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

कार्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालयः दिल्ली दक्षिण, प्रथम तल, कार्पोरेशन बैंक बिल्डिंग, 1, फैज़ रोड, झण्डेवालान, नई दिल्ली-110005, फोन : 011-28755514 / 28754642, 7042597411
ईमेल : cb8821rec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
धरोहर राशि तथा दस्तावेजों की प्रस्तुति की अंतिम तिथि व समय : 18.07.2019 को सांय 5.00 बजे तक

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का भौतिक कब्जा, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता कार्पोरेशन बैंक से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 19.07.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रुपए होगी।

चल वाहन का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम, पता, फोन नं. और ई-मेल आईडी	ऋणधारक का नाम	सम्पत्ति का विवरण	प्रतिभूति ऋण मांग सूचना की तारीख	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि व समय	ईएमडी प्रेषण खाता और IFSC कोड
1	पलवल शाखा, श्री प्रियमजीत सिंह चौहान, मो. 9971101518, फोन: 01275-244050, ईमेल: cb1245@corpbank.co.in	कर्जदार : श्री राजू पुत्र हल्दी राम गारंटर: श्री महेन्द्र प्रताप पुत्र जीत राम	Maruti Swift Dezire Tour Deisel BS/IV/2013 with Registration No. HR73-6099, Chassis No. MA3FSEB1S00459104	₹ 4,94,465.00 मांग सूचना दिनांक 30.07.2014 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 2.00 लाख ₹ 20,000/- ₹ 5,000/-	19-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 510101003593559 IFSC Code: CORP0001245
2	Neb Sarai Branch, Mr. Vinod Kumar Das Mob: 9643436787, Ph: 011-29535449, 29535450 Email ID: cb1688@corpbank.co.in	कर्जदार मैसर्स एमडी मेट्रो ट्रांजिट प्रा. लि., गारंटर : 1. श्री मनिंदर झा पुत्र बीएस झा, 2. श्रीमती कविता झा पत्नी मनिंदर झा, 3. श्रीमती विमला झा पत्नी बीएस झा, 4. श्रीमती संगीता झा पत्नी धीरेंद्र झा, 5. श्री धीरेंद्र झा पुत्र बीएस झा	Tata Sumo Gold Victa, Registration No. UP19T1477, Engine No. J02780, Chassis No. MAT446246FRC00168, Year of manufacture-03/2015	₹ 2,83,54,794.63 दिनांक 22.06.2019 तक + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 3.50 लाख ₹ 35,000/- ₹ 5,000/-	19-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 510101002242027 IFSC Code: CORP0001688
3	Palwal Branch, Mr . Priyamjeet Singh Chauhan, Mob: 9971101518 Ph no. 01275-244050 Email ID- cb1245@corpbank.co.in	कर्जदार श्री तारिफ सिंह पुत्र श्री नन्हे राम गारंटर - प्रमोद कुमार पुत्र प्रताप सिंह	Toyota Etios GD/2013 with Registration No. HR-30M-4784, Chassis No. MBJB42BT600662320913, Year of manufacture-03/2013.	₹ 5,09,313.00 मांग सूचना दिनांक 05.03.2016 के अनुसार + भविष्य का ब्याज, लागत, खर्चे प्रभार इत्यादि	₹ 1.40 लाख ₹ 14,000/- ₹ 5,000/-	19-07-2019 पूर्वा. 11.45 बजे से अपरा. 1.15 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार	A/C No: 510101003593559 IFSC Code: CORP0001245

कृप्या विक्रय की विस्तृत नियम व शर्तों के संदर्भ हेतु लिंक देखें :
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/m_d_metro_transit_pvt_ltd_0.pdf
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/raju.pdf, https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/tarif_singh.pdf

दिनांक: 17.06.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

राजस्थान में नेताओं की अनुशासनहीनता पर कांग्रेस सख्त

जनसत्ता ब्यूरो
जयपुर, 17 जून।

लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी पर अब पार्टी सख्त हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल ने जयपुर की प्रत्याशी रही ज्योती खंडेलवाल और प्रदेश सचिव धूप सिंह पूनिया को कारण बताओ नोटिस देकर सात दिन में जवाब मांगा है। इन दोनों नेताओं ने पार्टी की हार के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा कर बयानबाजी की थी। इससे पहले प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे ने हार को लेकर बयानबाजी नहीं करने की नसीहत पार्टी नेताओं को दी थी।

प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल का कहना है कि आलाकमान की नसीहत के बाद भी कई नेताओं ने मीडिया में बयान जारी कर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने जयपुर की पूर्व मेयर और लोकसभा में प्रत्याशी रही ज्योती खंडेलवाल के साथ ही प्रदेश सचिव धूप सिंह पूनिया को भी नोटिस जारी किया है। पूनिया पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट जारी की जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। ज्योती खंडेलवाल का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं की। नोटिस का जवाब तय समय में दिया जाएगा। इससे पहले खंडेलवाल ने अपनी हार के लिए जयपुर के कई बड़े नेताओं की कार्यशैली को कठघरे में खड़ा करते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए जांच की मांग आलाकमान से की थी। इससे पहले कांग्रेस सरकार के दो मंत्रियों उदयलाल आंजना और रमेश मीणा ने हार की जिम्मेदारी तय करने की आवाज उठाई थी। इसी दौरान हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने अपना इस्तीफा दे दिया था।

गुजरात : आयोग के फैसले के खिलाफ अदालत पहुंची कांग्रेस

नई दिल्ली, 17 जून (भाषा)।

गुजरात कांग्रेस ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर के राज्य में दो राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग उपचुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। ये दोनों सीटें भाजपा प्रमुख अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने पर खाली हुई हैं।

अमरेली से कांग्रेस विधायक और गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी द्वारा दायर याचिका में चुनाव आयोग को दोनों सीटों पर साथ-साथ चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया। अधिवक्ता वरुण के चोपड़ा के जरिए दायर याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए अवकाशकालीन पीठ के सामने मंगलवार को उल्लेख किया जा सकता है। चुनाव आयोग द्वारा 15 जून को जारी प्रेस नोट में पांच जुलाई को दोनों सीटों पर चुनाव कराने का कार्यक्रम बताया गया था शाह के गांधीनगर और स्मृति के अमेठी लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा सीटें खाली हुई हैं।

त्रिपुरा में करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी

अगरतला, 17 जून (भाषा)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि एडीबी 1650 करोड़ रुपए देगा, जिसमें से 80 फीसद राशि अनुदान के रूप में होगी और राज्य सरकार को 20 फीसद कर्ज का भुगतान करना होगा। अधिकारी ने रविवार को संवाददाताओं से कहा, 'यह त्रिपुरा में अपनी तरह की पहली एडीबी सहायता प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजना है। परियोजनाओं से सभी जिला मुख्यालय कस्बों को आधुनिक बनाने और भविष्य में पर्यटन एवं व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।'

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक
निर्माण इकाई-फैजाबाद
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
प्रस्तावित: प्रशिक्षण काम्पलेक्स, अंगूरी बाग, अयोध्या, ई-मेल: nirmanfai.tdb@gmail.com

पत्रांक: 506/AC-14/20 दिनांक: 17.06.2019

शुद्धि पत्र

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अति अल्पकालीन ई-निविदा सूचना संख्या 469/ए0 सी0-14/18 दिनांक 10.06.2019 के क्रमांक-2 पर सामु0स्वा0 केन्द्र सुनवा अयोध्या के अवशेष निर्माण कार्य हेतु टू बिड पद्धति पर ई-निविदा आमंत्रित की गयी थी। जिसे अपरिहार्य कारणोवश ई-निविदा को निरस्त किया जाता है।

नोट- उक्त निविदा से सम्बन्धित सूचना कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई-फैजाबाद या परिषद की वेबसाइट www.upavp.in एवं http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है।

परियोजना प्रबन्धक

होण्डा सियल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
[illegible]
वेबसाइट: www.hondasielpower.com, ई-मेल: ho.legal@hspp.com
[illegible]
तिथि: 17-06-2019
स्थान: नई दिल्ली
होण्डा सियल पॉवर प्रोडक्ट्स लि. के लिए तथा उनकी ओर से
सुनीता गंजू
कम्पनी सेक्रेटरी
HONDA

सार्वजनिक सूचना
[illegible]

जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
सी आई एन : L14106UP1995PLC019017
पंजीकृत कार्यालय: सेक्टर-128, नोएडा-201304 उ.प्र. दूरभाष: +91(120)2470800
कॉर्पोरेट कार्यालय: 'जेए. हाउस, 63 बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
दूरभाष: +91(11) 49828500 फैक्स: +91(11) 26145389
वेबसाइट: www.jalindia.com ई मेल: jal.investor@jalindia.co.in

अंशधारकों को सूचना

[illegible]
ई-मेल info@alankit.com पर प्रेषित कर सकते हैं।

कृते जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड
JAYPEE
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18.06.2019
एम. एम. सिब्बल
संयुक्त अध्यक्ष एवं कंपनी सचिव
(सदस्यता क्रमांक एफ सी एस-3538)

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED
CIN: L35911HR1965PLC004485
Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar - 135001, Haryana
Corporate Office: Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2 , Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037
Telephone: +91 11 45504550, **Fax:** +91 11 45504551
Website: www.jaispring.com.

NOTICE

Sub: Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2011-12 (Final) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") 2013, if a dividend remain unclaimed for a period of seven years then such dividend is required to be statutorily transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) establishes by the Central Government.

Accordingly, the following are required to be transferred to IEPF:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
Unclaimed Dividend FY 2011-12 (Final)	September 18, 2019	On or before September 13, 2019

Further, please note that in terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer all the Equity Shares in respect of which dividend(s) has not been encashed or claimed by the shareholders for consecutive seven years to IEPF Demat Account on the aforesaid due date. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account.

The details of such unclaimed or unpaid dividends are available on Company's website viz. www.jaispring.com. The shareholders are hereby requested to check and to take immediate actions to claim their pending dividend(s) before transfer of unclaimed dividend amount to IEPF. We request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents either by sending manual documents to our Registrar & Share Transfer Agent at the addresses given below or through an email:

(i) A formal letter duly signed by all the joint holders, if any
(ii) Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; and
(iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.

You are requested to note that if dividend is not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares to the IEPF Demat Account by the aforesaid due date without any further notice.

Please note that after the transfer of dividend and shares to the IEPF Demat Account, you may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount(s) and the shares, by making an online application in the prescribed Form IEPF-5. The Rules and the application form, as prescribed by the MCA for claiming back the shares/dividend are available on the website i.e. www. iepf.gov.in.

In case of any queries on the subject matter, shareholders may write to the Company or to our Registrar & Share Transfer Agent at the following addresses so that it should reach on or before September 13, 2019:

To Company	To Registrar & Share Transfer Agent
Jamna Auto Industries Limited Hotel Novotel & Pullman, Commercial Tower, 5th Floor, Asset Area No. 2, Hospitality District, Aerocity, New Delhi-110 037 Contact No. - 011-45504550 Email - praveen@jaispring.com	**Skyline Financial Services Private Limited** D-153 A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 Ph. No.: 011-40450193-97 Email: parveen@skylinerta.com; grievances@skylinerta.com Contact Person: Mr. Parveen Sharma

For Jamna Auto Industries Ltd
sd/-
Place: New Delhi
Date: June 17, 2019
Praveen Lakhera
Company Secretary & Head-Legal

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

रिडेम्पशन एवं रिकार्ड तिथि के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किये गये बंधपत्रों की निम्नलिखित श्रृंखला हेतु रिडेम्पशन प्राप्त करने के हकदार बंधपत्रधारकों के लिए निम्नांकित रिकार्ड तारीख (खें) का निर्धारण किया गया है :-

क्र.सं.	बॉण्ड विवरण	रिडेम्पशन भुगतान की तारीख	रिकार्ड तारीख
1.	8.75 (कर योग्य) सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल बॉण्ड्स-ए जे-II जी सिरीज, आईएसई 114Q07505	15.09.2019	23.08.2019

सभी बॉण्डधारक, जिनके पास बॉण्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पते, बैंक ब्यौरे, अधिदेश, ई सी एस अधिदेश, पीएएन (पैन) आदि में परिवर्तन से संबंधित अनुरोध ब्यौरे को संबंधित डिपोजिटरी भागीदार को भेज दें। रिकॉर्ड तिथि पर जिन बंधपत्रधारकों के नाम डिपोजिटरी द्वारा भेजी गई सूची में हिताधिकारी स्वामी के रूप में शामिल कर लिया जाता है वे ही संबंधित रिडेम्पशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

कृपया नोट करें कि इन बॉण्डों पर विमोचन की तिथि से गणना बंद हो जाएगी।

स्थान: नई दिल्ली (एम सी जैन)
दिनांक: 13.06.2019 कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा) एवं सचिव

पंजीकृत कार्यालय: इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर L27109DL1973GOI006454, वेबसाइट: www.sail.co.in
हर किसी की जिन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

भारतीय स्टेट बैंक
आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद
एससीओ-98, 1ला एवं दूसरा तल, सेक्टर-16 मार्केट, फरीदाबाद,
फोन: 0129-2289222, फैक्स: 0129-2290222

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी फरीदाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 6.4.2019 जारी कर ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों) श्रीमती अमीता गुप्ता तथा अनुज कुमार गुप्ता, निवासी 156-बी, अशोक एन्कलेव मैन, सेक्टर-25, फरीदाबाद-121003 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 04.01.2019 को रु. 17,65,738.00 (रुपये सत्तरह लाख पैंसठ हजार सात सौ अड़तीस मात्र)+4.1.2019 से ब्याज के साथ अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) खाता सं. 30945298157 इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 9.6.2019 को रु. 16,58,411.00 (रुपये सोलह लाख अन्ठावन हजार चार सौ ग्यारह मात्र) तथा 10.6.2019 से अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज आदि के लिये भारतीय स्टेट बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति सं. सी-193, प्रथम तल, मेफिल्ड गार्डन, सेक्टर-51, गुड़गांव

तिथि: 16.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: फरीदाबाद भारतीय स्टेट बैंक, आरएसीपीसी-कम-एसएआरसी

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
न्यू फ्रेन्डस कालोनी शाखा
32, कम्युनिटी सेन्टर
न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110025,
फोन नं. 011-26839206, 26898171

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

[illegible]

अचल संपत्तियों का विवरण

[illegible]

दिनांक : 15.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली बैंक ऑफ इण्डिया

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
न्यू फ्रेन्डस कालोनी शाखा
32, कम्युनिटी सेन्टर
न्यू फ्रेन्डस कालोनी, नई दिल्ली-110025,
फोन नं. 011-26839206, 26898171

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

[illegible]

अचल संपत्तियों का विवरण

[illegible]

दिनांक : 15.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली बैंक ऑफ इण्डिया

फार्म ए
सार्वजनिक उद्घोषणा

[illegible]

SRS LIMITED
Regd. & Corporate Off : SRS Multiplex, 2nd Floor, City Center, Sector -12, Faridabad, NCR-Delhi -121007
E-mail:compliances@srsparivar.com, Website- www.srsparivar.com, CIN - L74999HR2000PLC040183
Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter / nine month ended 31st December 2018
(₹ in Lacs, except per equity share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended 31-Dec-18	Quarter Ended 30-Sep-18	Quarter Ended 31-Dec-17	Half Year Ended 31-Dec-18	Half Year Ended 31-Dec-17	Year Ended 31-Mar-18
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1.	Total Income From Operations (net)	1,700.88	2,128.42	2,338.90	6,472.79	8,847.81	11,372.05
2.	Net Profit / (Loss) after Tax from continuing operations	(51.79)	(1,611.84)	254.99	(5,980.59)	(4,845.81)	(7,414.74)
3.	Net Profit / (Loss) after Tax from discontinued operations	—	—	(65,541.29)	—	(85,880.61)	(138,690.37)
4.	Net Profit / (Loss) after Tax	(51.79)	(1,611.84)	(65,286.30)	(5,980.59)	(90,728.00)	(146,105.11)
5.	Total Comprehensive Income for the period	(50.38)	(1,610.44)	(65,286.82)	(5,976.37)	(90,728.00)	(146,087.41)
6.	Equity Share Capital	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20	27,858.20
7.	Other Equity						(125,598.73)
8.	Earning Per Share (of Rs 10/- each) Basic :	(0.02)	(0.58)	(23.44)	(2.15)	(32.57)	(52.44)
	Diluted :	(0.02)	(0.58)	(23.44)	(2.15)	(32.57)	(52.44)

Note:- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter / nine months ended 31st December 2018 filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter / nine months ended 31st December 2018 are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's website www.srsparivar.com.

For SRS Limited
(Raju Bansal)
Whole Time Director
Place: Faridabad
Date: 15th June 2019

एनडीएच सिक्युरिटीज एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
CIN NO: U65923DL1995PTC065050
302, प्रेस कॉम्प्लैक्स, ई-13, जवाहर पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
Email Id: ndhsfpltd@gmail.com

एतद्द्वारा सूचित किया जात है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 14 जून, 2019 को 11.30 बजे पूर्वा. में उसके पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी जिसमें दिनांक 1 फरवरी, 2018 को आयोजित उसकी असाधारण आम सभा में कम्पनी द्वारा की गई श्रीमती अंजलि गोयल की नियुक्ति की सूचना प्रकाशित की जायेगी।

हस्ता./-
कमलेश सिंह रावत
स्थानः दिल्ली (निदेशक)
तिथिः 14.6.2019 Din No.: 02163076

unitech
यूनीटेक लिमिटेड
CIN: L74899DL1971PLC009720
पंजीकृत कार्यालयः बेसमेन्ट, 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
टेली/फैक्सः- 11-26857338,
E-mail: share.dept@unitechgroup.com
Web: www.unitechgroup.com

सूचना
बैठक का स्थगन
[31 मई, 2019 को प्रकाशित सूचना के अधिक्रम में]

सूचित किया जाता है कि 30 मई, 2019 को मूल रूप से निर्धारित कम्पनी की ऑडिट कमिटी की बैठक जो 15 जून, 2019 के लिये स्थगित कर दी गई थी, स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता के कारण पुनः स्थगित कर दी गई थी। तदनुसार, कम्पनी के अध्यक्ष ने उस तिथि को पर्याप्त संख्या में निदेशकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के बाद बोर्ड की बैठक जो मूलरूप से 30 मई, 2019 के लिए निर्धारित थी तथा जिसे 15 जून के लिये स्थगित कर दिया गया था, को फिर से पुनः मंगलवार, 25 जून, 2019 तक के लिये स्थगित कर दिया है जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किये जाएंगे।

पुनः बोर्ड की बैठक के उपरोक्त स्थगन को देखते हुए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट के लिए कम्पनी की आचार संहिता के अनुसार ट्रेडिंग विण्डो बंद रहने की अवधि जो 4 अप्रैल, 2019 को शुरू हुई थी, अब 25 जून, 2019 को इन परिणामों को सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगी।

निवेशकगण www.unitechgroup.com, www.bseindia.com, www.nseindia.com भी देख सकते हैं।

यूनिटेक लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
गुरुग्राम रमेश चन्द्रा
15 जून, 2019 अध्यक्ष

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED
CIN: L29199DL1985PLC015796
Registered Office:- 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22 Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001
Tel: +91-011-43502950, 0120- 2462673, 0120-4842400 Fax: 0120-2462675
Email: compsect@udtltd.com Website: http://www.udtltd.com/

POSTAL BALLOT NOTICE

Members are hereby informed that pursuant to Section 108, 110 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the company as on Monday, the 17th day of June, 2019 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot along with the Explanatory statement and Postal Ballot Form to all the members whose names are appearing on the Register of Members / List of Beneficial Owners as on 12th day of June, 2019. The Postal Ballot Notices are sent through e-mails to the members whose e-mail IDs are registered with the Depository Participant and through physical mode along with prepaid postage self addressed Business Reply Envelope to those members whose e-mail IDs are not registered with their respective Depositories Participants. The Postal Ballot Notices are sent for seeking the approval of the shareholders of the Company through Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

S. No. Description of the Resolution
ITEM NO. 1 - TO APPROVE THE GRANT OF LOAN

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing e-voting facilities to all its members. Members are requested to note that the voting, both through postal ballot and through electronic mode shall commence from Tuesday, 18th June, 2019 (10:00 a.m.) and ends on Wednesday, 17th July, 2019 (5:00 p.m.).

The Board of Directors has appointed Mr. Akash Gupta, Company Secretary in Practice, Membership No. 30099, C. P. No. 11038 as scrutinizer for conducting the postal Ballot and e-voting process in fair and transparent manner. Members are requested to note that the duly completed and signed Postal Ballot Form should reach Scrutinizer not later then 5:00 p.m., 17th July, 2019. Postal Ballot Form received after 5:00 p.m., 17th July, 2019 will not be considered as valid.

Members whose names appear on the register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e. June 12, 2019 will be considered for the purpose of voting. A person who is not the member as on the cut-off date should treat this notice for information purpose only. Any member who does not receive the Postal Ballot Form may either e-mail to compsect@udtltd.com or may apply to Alankit Assignments Limited Company's Registrar and Share Transfer Agent / Company and obtain a duplicate Postal Ballot Form. The Postal Ballot Notice and Form may be downloaded from the website of the Company i.e. www.udtltdcom.

The results of the postal ballot shall be declared by the chairman or any other person authorize in writing by the chairman on Friday, 19th July, 2018 and shall be communicated on the same day to the Stock exchange, Depository, registrar and share transfer agent and will also be displayed on the website of the Company i.e. www.udtltdcom.

In case of any queries/ grievances connected with the e-voting may refer to the user manual available to the CDSL website i.e. www.evotingindia.com. In case queries related to the postal ballot, the shareholder can address the queries to the:

a) The Company Secretary, United Drilling Tools Limited, A-22, Phase-II, Noida - 201305
b) Mr. Mahesh Pandey, M/s Alankit Assignments Limited, 3E/7, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055 Registrar and Share Transfer Agent by writing to him or through mail on maheshcp@alankit.com or call him on landline No. 011-42541958.

For and on Behalf of Board
United Drilling Tools Limited
Sd/-
Pramod Kr. Ojha
Date : 18/06/2019 Company Secretary
Place: Noida M. No. 8698

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक
उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

गुनाकिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
[illegible]
7108, जीएफ, कुतुब रोड, नई दिल्ली, दिल्ली - 110055
कृते एवं हिते आवेदक
गुनाकिया इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
मनीष कसेरी
निदेशक
तिथि : 17-06-2019
स्थान : दिल्ली
डीआईएन : 07178440

प्रपत्र आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केंद्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में
तथा
वरुण बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड (CIN: U45400DL2007PTC168342) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-7, निम्न भू तल, अशोका निकेतन, दिल्ली-110092 में है, के मामले में

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 17 जून, 2019 को आयोजित ईजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत यह कंपनी केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा बी-7, निम्न भू तल, अशोका निकेतन, दिल्ली-110092 में स्थित उस पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:

तिथि: 17.6.2019 निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से
स्थान: दिल्ली वरुण बिल्डटेक प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
विनोद शर्मा
निवासी: एच-96, शास्त्री नगर, (निदेशक)
मेरठ-250004, उत्तर प्रदेश भारत DIN: 03561744

फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः 5वाँ तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एस.टी. रोड, कलीना, सांताक्रुज (ई), मुम्बई-400098

कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मै. फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा नीचे वर्णित सांविधिक उत्तराधिकारियों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

उक्त ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा सांविधिक उत्तराधिकारी इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, सह-ऋणधारक तथा सांविधिक उत्तराधिकारी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों सह-ऋणधारकों तथा सांविधिक उत्तराधिकारियों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय संबंधित तिथियों से आगे के ब्याज, लागतों तथा चार्जेज के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि के लिये मै. फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों तथा सांविधिक उत्तराधिकारियों, गिरवी सम्पत्ति, ट्रस्ट का नाम, बकाया देयता, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सूचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इस प्रकार है।

ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋणखाता सं., ऋण राशि	प्रतिभूतियों का विवरण	1. कब्जा की तिथि 2. मांग सूचना तिथि 3. बकाया राशि (रु. में)
श्रीमती पुष्पा देवी (सह-ऋणधारक तथा श्री महेन्दर कुमार गुप्ता) (अब मृत) के सांविधिक उत्तराधिकारी के रूप में तथा श्रीमती सुनेहरी देवी, श्री वरुण गुप्ता (श्री महेन्दर कुमार गुप्ता (अब मृत) ऋणधारक के सांविधिक उत्तराधिकारी के रूप में) एवं श्री विशाल गुप्ता (द्वारा उनके स्वामित्व अभिभावक श्रीमती पुष्पा देवी) सभीः एच. नं. 135, टाइप एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद (हरियाणा)-121005 श्रीमती सुनहरी देवी एवं श्री विशाल गुप्ता, दोनोंः खेवत नं. 196, खसरा नं. 17, पाली गाजीपुर रोड, सोहना रोड, ग्राम पाली, फरीदाबाद (हरियाणा)-121005 ऋण खाता संख्याः 4010HL31748186, एवं 4010HL31748565 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 57,00,000/- (रुपये सत्तावन लाख) जिसमें ऋण खाता सं. 4010HL31748186 के अंतर्गत रु. 18,00,000/- की ऋण तथा ऋण खाता सं. 4010HL31748565 के अंतर्गत रु. 39,00,000/- के ऋण के रूप में	एच नं. 135, टाइप एलआईजी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-23, माप 90 वर्ग यार्ड्स, फरीदाबाद (हरियाणा)-121005 का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौहद्दी इस प्रकार हैः उत्तरः एच. नं. 136/एलआईजी पूर्वः 30' चौड़ी सड़क दक्षिणः एच. नं. 134/एल.आई.जी. पश्चिमः एच. नं. 10/एल.आई.जी. मार्टगैजर का नामः महेन्दर कुमार गुप्ता, पुत्र स्व. सीताराम गुप्ता (अब मृत) एवं पुष्पा देवी, पत्नी स्व. महेन्दर कुमार गुप्ता	1. 14.6.2019 2. 28.3.2019 3. रु. 6305836.39 (रुपये तिड़ेसठ लाख पांच हजार आठ सौ छत्तीस तथा पैसे उन्तालिस मात्र) 28.03.2019 को बकाया तथा देय तथा उसके साथ 29.03.2019 से सम्पूर्ण भुगतान तक लागतों एवं चार्जेज के साथ लागू दर पर आगे का ब्याज

प्राधिकृत अधिकारी
फीनिक्स एआरसी प्रा. लि.
स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 18.06.2019 (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 18-1 स्कीम ई के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)
किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया श्री लोकेश मित्तल (+91 83778099456 एवं 0120-6173760) से सम्पर्क करें।

दिलचस्प आंकड़े

रन	9338
विकेट	283
छक्के	152
अर्धशतक	49

सबसे ज्यादा रन
शाकिब अल हसन

उच्चतम स्कोर
जैसन रॉय

बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को दी शिकस्त

टांटन, 17 जून (भाषा)।

शाकिब अल हसन के लगातार दूसरे शतक और लिटन दास के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से बांग्लादेश ने आइसीसी क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में सोमवार को यहां वेस्ट इंडीज को सात विकेट से हराकर सेमी फाइनल में जगह बनाने की उम्मीदों को जीवंत रखा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह बांग्लादेश की एकदिवसीय क्रिकेट में लगातार पांचवीं जीत है। यह विश्व कप के इतिहास की यह लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरी सबसे बड़ी और बांग्लादेश की एकदिवसीय क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

वेस्ट इंडीज के 322 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शाकिब ने 99 गेंद में 16 चौकों की मदद से नाबाद 124 रन की पारी खेलने के अलावा लिटन दास (नाबाद 94) के साथ चौथे विकेट के लिए 189 रन की अटूट साझेदारी की जिससे बांग्लादेश ने 51 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 322 रन बनाकर जीत दर्ज की। लिटन ने 69 गेंद की अपनी पारी में आठ चौके और चार छक्के मारे। शाकिब ने सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल (48) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। वेस्ट इंडीज की हार उसकी दिशाहीन गेंदबाजी भी रही। टीम ने 26 अतिरिक्त रन दिए जिसमें वाइड के 25 रन शामिल थे। वेस्ट इंडीज की टीम इससे पहले शाई होप (96), सलामी बल्लेबाज एविन लुईस (70) और शिमरोन हेटमायर (50) की पारियों की बदौलत आठ विकेट पर 321 रन बनाने में सफल रही। होप ने 121 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का मारा। उन्होंने लुईस (70) के साथ दूसरे विकेट के लिए 116 और हेटमायर के साथ चौथे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी भी की। हेटमायर ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंद की अपनी पारी में तीन छक्के और चार चौके मारे। वेस्ट इंडीज की टीम अंतिम 18 ओवर में 163 रन जोड़ने में सफल रही। बांग्लादेश की ओर से मुस्ताफिजुर रहमान और मोहम्मद सैफुद्दीन ने क्रम से 59 और 72 रन देकर तीन-तीन विकेट चटकाए। शाकिब ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 54 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इस जीत से बांग्लादेश के पांच मैचों में पांच अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गई है।

वेस्ट इंडीज की टीम पांच मैचों में तीन अंक के साथ छठे स्थान पर है। लक्ष्य का पीछा करने उतरे बांग्लादेश के तमीम (48) और सौम्य सरकार (29) ने 8.2 ओवर में 52 रन जोड़कर सधी हुई शुरुआत दिलाई। तमीम ने शेल्डन कोट्रेल पर चौके से खाता खोला जबकि सरकार ने भी इस तेज गेंदबाज की लगातार गेंदों पर चौका और छक्का मारा। सरकार ने रसेल पर छक्के के साथ नौवें ओवर में टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंचाया लेकिन अगली गेंद पर स्लिप में गेल को कैच दे बैठे। तमीम और शाकिब ने इसके बाद रन गति में इजाफा किया। तमीम ने रसेल पर दो चौके मारे जबकि शाकिब ने शेनन गैब्रिएल और ओशेन थामस की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। तमीम ने गैब्रिएल पर चौके के साथ 14वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। शाकिब इस पारी के दौरान 23 रन बनाते ही एकदिवसीय क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले बांग्लादेश के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज बने। उनसे पहले बांग्लादेश की ओर से सिर्फ तमीम 6000 से अधिक रन बना पाए हैं। तमीम हालांकि इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए।

वेस्ट इंडीज बनाम बांग्लादेश — स्कोर बोर्ड

बांग्लादेश: तमीम इकबाल रन आउट 48, सौम्य सरकार का गेल बो रसेल 29, साकिब अल हसन नाबाद 124, मुशफिकुर रहीम का होप बो थामस 01, लिटन दास नाबाद 94, अतिरिक्त: 26, कुल: 41.3 ओवर में तीन विकेट पर: 322 रन, विकेट पतन: 1-52, 2-121, 3-133, गेंदबाजी : कोट्रेल 10-0-65-0, होल्डर 9-0-62-0, रसेल 6-0-42-1, गैब्रिएल 8.3-0-78-0, गेल 2-0-22-0

वेस्टइंडीज: क्रिस गेल का मुशफिकुर बो सैफुद्दीन 00, एविन लुईस का स्थानापन्न बो साकिब 70, शाई होप का लिटन मुस्ताफिजुर 96, निकोलस पूरण का सरकार बो साकिब 25, शिमरोन हेटमायर का तमीम बो मुस्ताफिजुर 50, आंद्रे रसेल का मुशफिकुर बो मुस्ताफिजुर 00, जेसन होल्डर का महमूदुल्लाह बो सैफुद्दीन 33, डेरेन ब्रावो बो सैफुद्दीन 19, ओशेन थामस नाबाद 06, अतिरिक्त: 22 कुल: 50 ओवर में आठ विकेट पर: 321 रन, विकेट पतन: 1-6, 2-122, 3-159, 4-242, 5-243, 6-282, 7-297, 8-321, गेंदबाजी: मुर्तजा 8-1-37-0 सैफुद्दीन 10-1-72-3, मुस्ताफिजुर 9-0-59-3, मेहदी हसन 9-0-57-0, मोसादिक 6-0-36-0, साकिब 8-0-54-2

विश्व कप डायरी

रोहित की ताकत है उनका शांत स्वभाव

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

शांत स्वभाव हमेशा से रोहित शर्मा की सबसे बड़ी खूबी रही है और पिता बनने के बाद तो इसमें इजाफा ही हुआ है जिसका असर विश्व कप में उनके प्रदर्शन पर भी नजर आ रहा है। भारतीय उपकप्तान ने दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ शतक जमाए जबकि आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अर्धशतक जड़ा था।

पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 113 गेंद में 140 रन बनाने वाले रोहित ने कहा, मैं इस समय जिंदगी के अच्छे मुकाम पर हूं। जिंदगी में बेटी आने से यह हुआ और मैं अपने क्रिकेट का भी पूरा मजा ले रहा हूं। उन्होंने कहा, एक टीम के तौर पर हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारे लिए हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है और हम वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले दो दिन से हम यहां हैं और पिच कवर में थी। शुरुआत में थोड़ी नरम थी। ऐसे हालात में नई गेंद काफी महत्त्वपूर्ण हो जाती है और शुरुआती विकेट गंवाने से दबाव बन सकता था। अपनी पारी के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, अगर मैं अगले मैच में शतक बनाऊंगा तो भी आप यही सवाल करेंगे। क्या इससे आप संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता। किसी एक पारी को सर्वश्रेष्ठ कहना कठिन है क्योंकि देश के लिए खेली गई हर पारी अहम है।

पाकिस्तान के पास सोच नहीं थी : तेंदुलकर

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

चैंपियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का मानना है कि पाकिस्तानी कप्तान सरफराज खान भारत के खिलाफ विश्व कप मुकाबले में 'कन्फ्यूज' थे और उनकी टीम के पास कोई सोच नहीं दिखी। भारत ने डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर पाकिस्तान को 89 रन से हराया।

तेंदुलकर ने इंडिया टुडे से कहा, मुझे लगा कि सरफराज कन्फ्यूज थे क्योंकि जब वहाब रियाज गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने शॉर्ट मिडविकेट लगाया था। इसके बाद जब शादाब खान आए तो उन्होंने स्लिप में एक फील्डर लगाया। उन्होंने कहा, ऐसे हालात में लेग स्पिनर के लिए गेंद पर पकड़ बनाना मुश्किल होता है, खासकर जब सही लैंग्थ और लाइन नहीं हो। यह बड़े मैच में खेलने का सही तरीका नहीं है। उनके पास सोच का बिल्कुल अभाव दिखा। तेंदुलकर ने कहा कि पाकिस्तान का कोई गेंदबाज हालात का फायदा नहीं उठा सका।

अपनी गेंदबाजी से हैरान नहीं हूं : शंकर

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

विजय शंकर ने विश्व कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान के दो विकेट चटकाकर लोगों का ध्यान खींचा और तमिलनाडु के इस हरफनमौला को भरोसा है कि वह भारत के अभियान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

शंकर ने कहा कि छह महीने पहले अगर कोई उनसे कहता कि विश्व कप में भारत की योजना में उनकी गेंदबाजी अहम होगी तो उन्हें हैरानी नहीं होती। इस मध्यम गति के गेंदबाज ने सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक और विरोधी कप्तान सरफराज अहमद के विकेट चटकाए। शंकर ने 'मिक्सड जोन' में मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पता था कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं लेकिन मेरी गेंदबाजी मुझे उपयोगी बनाती है। पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण भुवनेश्वर कुमार के बाहर होने पर शंकर ने विश्व कप में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट हासिल किया। उन्होंने 5.4 ओवर में 22 रन देकर दो विकेट चटकाए।

शंकर ने कहा, मुझे खेल के सभी विभागों को सुधार करने रहने की जरूरत है और मैं चीजों को इसी तरह देखता हूं जिससे कि जब स्थिति आए तो मैं इसका सामना करने को तैयार रहूं। मेरा ध्यान हमेशा अपनी तैयारी पर होता है। शंकर को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए चुना गया था लेकिन शीर्ष तीन बल्लेबाजों के अच्छा प्रदर्शन करने पर टीम प्रबंधन के हार्दिक पंड्या को ऊपर भेजने की उम्मीद है।

मैं खुद को 10 में से छह अंक दूंगा : राहुल

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

पारी का आगाज करने वाले लोकेश राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने प्रदर्शन को 10 में से छह अंक देते हुए कहा कि चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के साथ धैर्यपूर्ण अर्धशतक के बाद उनके प्रदर्शन में सुधार ही होगा।

अंगूठे में हेयरलाइन फ्रेक्चर के कारण शिखर धवन के बाहर होने के कारण राहुल को रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज करने का मौका मिला। यह पाकिस्तान के खिलाफ राहुल का पहला मैच था। राहुल ने 78 गेंद में 57 रन की पारी खेली और रोहित के साथ पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। राहुल ने कहा, शिखर और रोहित पिछले तीन या चार साल में काफी खतरनाक जोड़ी बने हैं। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मौके के लिए इंतजार करना होगा और मुझे खुशी है कि मुझे शीर्ष तीन में बल्लेबाजी का मौका मिला।

अफगानिस्तान को हराकर सेमी फाइनल का दावा पुख्ता करना चाहेगा इंग्लैंड

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

खिलाड़ियों की चोटों से परेशान इंग्लैंड कमोबेश कमजोर प्रतिद्वंद्वी अफगानिस्तान के खिलाफ मंगलवार को विश्व कप के मुकाबले में टीम संयोजन दुरूस्त करके सेमी फाइनल में प्रवेश का दावा प्रबल करने के इरादे से उतरेगा।

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन को कमर में दर्द के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के दौरान मैदान छोड़कर जाना पड़ा। सलामी बल्लेबाज जैसन रॉय को भी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण इसी मैच में मैदान से जाना पड़ा था। वह मंगलवार और शुक्रवार को नहीं खेल सकेंगे। मोर्गन ने वेस्ट इंडीज पर मिली जीत के बाद कहा, मुझे पहले भी इस तरह का दर्द हुआ है और ठीक होने में कुछ दिन लगते हैं।

अगले 24 घंटे में पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, जैसन रॉय की चोट का स्कैन होगा। दो खिलाड़ियों को चोट लगना चिंता का विषय है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मोर्गन के फिट नहीं होने पर उपकप्तान जोस बटलर टीम की कमान संभालेंगे। इंग्लैंड की बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है जिसमें टाम कुरेन और मोईन अली जैसे खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान से हारने के बाद इंग्लैंड ने तीनों विभागों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और अब वह जीत की लय कायम रखने के इरादे से उतरेगा।

मैच का समय

दोपहर तीन बजे से

● जैसन रॉय चोट के कारण नहीं खेल सकेंगे मैच। कप्तान इयोन मोर्गन को लेकर स्थिति साफ नहीं, कमर में दर्द के कारण वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के दौरान मैदान छोड़कर जाना पड़ा था।

दूसरी ओर अफगानिस्तान पहली जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेगा। दूसरी बार विश्व कप में खेल रही अफगान टीम अब तक दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका और न्यूजीलैंड से हार चुकी है। युद्ध की विभीषिका झेल चुके देश के खिलाड़ियों ने हालांकि श्रीलंका को नाकों चने चबवा दिए थे। अफगानिस्तान की चिंता का सबब उसकी बल्लेबाजी है क्योंकि किसी भी मैच में वे 40 ओवर भी नहीं टिक सके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरुआत अच्छी रही लेकिन बड़े स्कोर नहीं बन सके। रशीद खान को छोड़कर उनका कोई खिलाड़ी प्रदर्शन की छाप नहीं छोड़ पाया। विकेट अगर स्पिनरों की मददगार होती है तो रशीद और मोहम्मद नबी की भूमिका अहम होगी।

कोहली की टीम से खौफजदा है पाकिस्तान : वकार

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनुस का मानना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मौजूदा भारतीय टीम से खौफजदा है जिस कारण वे बड़े मैचों में हमेशा दबाव में रहते हैं। भारत ने रविवार को पाकिस्तान को 89 रन से शिकस्त देकर आइसीसी विश्व कप मुकाबले में उनके खिलाफ सातवीं जीत दर्ज की।

वकार ने कहा कि इस हार से दोनों टीमों के बीच 'बड़े अंतर' का पता चलता है। वकार ने आइसीसी के लिए लिखे कॉलम में कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत और पाकिस्तान की टीम में बड़ा अंतर आया है और रविवार को यह एक बार फिर यहां के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर दिखा। इस पूर्व दिग्गज ने कहा, पाकिस्तान की टीम अब भी सिर्फ प्रतिभा पर भरोसा कर रही है, जबकि भारत के खेल में टीम वर्क दिखता है। टीम के खिलाड़ी अपनी भूमिकाओं को जानते हैं और अपनी भूमिका को मैदान पर उसे शानदार तरीके से निभाते हैं।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) दिल्ली, 1398, प्रथम तल, चांदनी चौक दिल्ली-110006, फोन: 011-23940444, 23950684

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी ओल्ड राजिन्दर नगर शाखा, जीडी साल्वन पब्लिक स्कूल, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110060 को हमारी पटेल नगर, नई दिल्ली शाखा में विलय एवं शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्टिंग की अनुमानित तिथि 31.08.2019 है।

(क्षेत्रीय प्रबंधक)

पूर्व क्रिकेटरों ने पाक टीम को लताड़ा

हार पर रार

कराची, 17 जून (भाषा)।

पूर्व कप्तान वसीम अकरम समेत पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने विश्व कप में चिर प्रतिद्वंद्वी भारत के खिलाफ आसानी से घुटने टेकने के लिए टीम को आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान का विश्व कप में भारत के खिलाफ हार का रेकार्ड 7-0 है। इस बार मैनचेस्टर में उसे वर्षाबाधित मैच में भारत ने 89 रन से मात दी।

वसीम ने कहा, टीम चयन ही गलत था। विश्व कप से पहले किसी तरह की रणनीति नजर नहीं आई। उन्होंने कहा, जीत हार खेल का हिस्सा है लेकिन इस तरह से बिना लड़े हारना सही नहीं है। टास जीतकर गेंदबाजी के अपने फैसले का पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने भले ही बचाव किया हो लेकिन पूर्व क्रिकेटरों ने इसे गलत ठहराया। पूर्व टैस्ट बल्लेबाज बासित अली ने कहा, विराट कोहली दिमागी खेल खेलते हैं। उसने कहा कि वह पहले गेंदबाजी चुनते और हम उनके जाल में फंस गए। पूर्व तेज गेंदबाज सिकंदर बख्त ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ऐसा इंतजाम करने को कहा कि अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर खिलाड़ियों के अनुबंध और मैच फीस में से पैसा काट लिया जाए। उन्होंने कहा, इन खिलाड़ियों को जवाबदेह बनाना होगा। उन्हें दबाव में खेलने का शऊर आना ही चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर ही भुगतान होना चाहिए। पूर्व कप्तान मोहम्मद युसूफ ने कहा, भारत के खिलाफ मुकाबला अहम होता है और हम कभी हारना नहीं चाहते लेकिन कल हमारे कप्तान और खिलाड़ियों के हाव भाव सकारात्मक नहीं थे और ऊर्जा का भी अभाव था। उन्होंने कहा, दो साल पहले कोहली ने टास जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता देने की गलती की जो सरफराज ने कल दोहराई। बड़े मैच में लक्ष्य का पीछा करना हमेशा कठिन होता है।

खिलाड़ियों में आपसी मतभेद की वजह से हारे : पाक मीडिया

कराची, 17 जून (भाषा)।

भारत के हाथों विश्व कप के मैच में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के लिए स्थानीय मीडिया ने खिलाड़ियों के बीच आपसी मतभेदों और कप्तान सरफराज अहमद को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तानी क्रिकेट जगत के लिए भारत से कहीं भी मिलने वाली हार को पचाना मुश्किल होता है। मैनचेस्टर में रविवार को मिली हार के बाद मीडिया अब हार के कारणों की पड़ताल में जुट गया है।

'समा' न्यूज चैनल ने कहा कि आउट होने के बाद सरफराज ने कथित तौर पर आपा खो दिया और इमाद वसीम तथा इमाम उल हक समेत खिलाड़ियों पर उनके खिलाफ गुटबाजी करने का आरोप लगाया। 'दुनिया' समाचार चैनल ने कहा कि टीम में दो गुट हैं जिनमें एक मोहम्मद आमिर का और दूसरा इमाद का है। आस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद एक मशहूर अभिनेता और क्रिकेटप्रेमी ने सोशल मीडिया पर मौखिक संदेश जारी करके शोएब मलिक, इमाम और बाबर आजम पर सरफराज के खिलाफ गुट खड़ा करने का आरोप लगाया।

एजंसी ने जब दो खिलाड़ियों से संपर्क किया तो उन्होंने गुटबाजी से इनकार किया लेकिन कहा कि सरफराज काफी नाराज होकर ड्रेसिंग रूम में आए थे और अपना गुस्सा कुछ खिलाड़ियों पर निकाला। एक खिलाड़ी ने कहा, लेकिन वह हताशा की वजह से था। उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया या गुटबाजी की बात नहीं की। उन्होंने यह जरूर कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। पूर्व कप्तान मोईन खान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फर्ज है कि वह अपने प्रबंधन का साथ दे। उन्होंने कहा, बड़े मैच हारने पर ड्रेसिंग रूम में मतभेदों की बात हमेशा होती है।

आस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ गलतियां हुई लेकिन वह सरफराज के साथ हैं।

हम नब्बे के दशक में अच्छी टीम थे, अब भारत बेहतर है : सरफराज

मैनचेस्टर, 17 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने इस बात को स्वीकार किया कि नब्बे के दशक में उनकी टीम भारत से बेहतर थी लेकिन अब हालात इसके विपरीत है। भारत से विश्व कप के मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान पर उनके देश के मीडिया ने असहज सवालों की बौछार कर दी। यह पूछने पर कि क्या इतने साल में भारत-पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता का रोमांच खत्म हो गया है, सरफराज ने कहा, हम दबाव का बखूबी सामना नहीं कर पा रहे। इस तरह के मैचों में दबाव का सामना करने वाली टीम जीतती है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिच नम होने पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी की सलाह दी थी लेकिन सरफराज ने पहले गेंदबाजी के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि तीनों विभागों में नाकामी के कारण उनकी टीम हारी।

(This is only an advertisement for information purpose and is not a prospectus announcement and does not constitute an invitation or offer to acquire, purchase or subscribe for securities. Not for publication or distribution or indirectly outside India)

anand RAYONS LTD.

ANAND RAYONS LIMITED

Corporate Identification Number: U51909GJ2018PLC104200

Our Company was originally formed and registered as a partnership firm under the Partnership Act, 1932 ("Partnership Act") in the name and style of "M/s Anand Enterprise", pursuant to a deed of partnership dated July 01,1987. Subsequently, the partnership firm was reconstituted on April 3,1992, October 8, 1999 and March 09, 2018. Thereafter, the partnership firm was converted in to a public limited company on September 20, 2018 under Part I chapter XXI of the Companies Act, 2013 in the name and style of "M/s. Anand Rayons Limited" and received a certificate of incorporation dated October 02, 2018 from the Deputy Registrar of Companies, Central Registration Center, Ministry of Corporate Affairs. The Corporate Identification Number of our Company is CIN: U51909GJ2018PLC104200. For further details, please refer to chapter titled "Our History and Certain Corporate Matters "beginning on page no. 74 of the Prospectus.

Registered Office : 305-306, Jay Sagar Complex, Opp. Sub Jail, Khatodra, Surat-395002 Gujarat.
Tel No: - 0261-2635521; Website: www.anandrayons.com; E-Mail: anandrayonsltd@gmail.com;

Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Rahul Makwana

PROMOTER OF THE COMPANY: MR. ANAND BAKSHI

THE ISSUE

PUBLIC ISSUE OF 46,88,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH OF ANAND RAYONS LIMITED ("ARL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1265.76 LACS ("THE ISSUE"), OF WHICH 2,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH WILL FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 17 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 64.80 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 44,48,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 27 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1200.96 LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.29% AND 29.68 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 128 OF THE PROSPECTUS.

CORRIGENDUM CUM ADDENDUM TO PROSPECTUS

This corrigendum cum addendum should be read with the prospectus dated June 04, 2019 filed with Registrar of Companies at Ahmedabad and Pre Issue Advertisement released on June 14, 2019 in the Financial Express and Jansatta.

In the above referred prospectus and pre-issue advertisement, the website of Lead Manager M/s. Guiness Corporate Advisors Private Limited is mentioned as www.guinessonline.net. The said website is crashed on account of technical reason therefore the website www.guinesscorporate.com be read instead of www.guinessonline.net where ever appear in prospectus and pre-issue advertisement.

Date : June 17, 2019
Place : Surat, Gujarat

For, ANAND RAYONS LIMITED
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Anand Bakshi
Managing Director

Anand Rayons Limited is proposing, subject to market conditions, an initial public issue of its equity shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.guinesscorporate.com, website of the BSE at www.bseindia.com and website of Issuer Company at www.anandrayons.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details, investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 12 of the Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and will not be issued or sold with in the United States or to, or for the account or benefit of "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Garima Advt

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 212, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।